पीईसी लिमिटेड

53वीं वार्षिक रिपोर्ट
2023-2024

कंपनी का विवरण

निदेशक मंडल

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
श्री हरदीप सिंह
(27–10–2022 से)

निदेशक–विपणन (अतिरिक्त प्रभार)
श्री कपिल कुमार गुप्ता
(12–10–2020 से)

अंशकालिक निदेशक (सरकार द्वारा नामित)
डॉ. सी. वनलालरामसांगा (22–03–2021 से)
श्री अनूप सिंह (22–03–2021 से)

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक
श्री अतुल तनेजा
मुख्य वित्तीय अधिकारी
(28–10–2022 से 22.01.2024)

श्री धनंजय कुमार
मुख्य विपणन प्रबंधक
सह मुख्य वित्त अधिकारी
(22.03.2024 से प्रभावी)

श्रीमती श्वेता पाहुजा
कंपनी सचिव
(17–12–2021 से)

सांविधिक लेखा परीक्षक
मैसर्स पी डी अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली

अध्यक्ष का उद्‌बोधन

प्रिय हितधारकों,

मैं, मैसर्स पीईसी लिमिटेड की 53वीं वार्षिक आम बैठक में आपका स्वागत करता हूं। मुझे आपकी कंपनी के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट, निदेशक की रिपोर्ट, लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा विवरण और आपकी कंपनी की लेखा परीक्षक रिपोर्ट आपके पास है।

कंपनी सितंबर, 2019 से कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं कर रही है। वर्ष 2023–24 में आपकी कंपनी का बिक्री कारोबार शून्य था और वित्त वर्ष के दौरान 339.59 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ था। यह नुकसान मुख्य रूप से ऋणदाता बैंकों को देय ब्याज के कारण है।

मैं बोर्ड के सदस्यों द्वारा दिए गए बहुमूल्य योगदान को स्वीकार करना चाहूंगा जिसका विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए।

मैं आपके समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूं।

जय हिंद!

हस्ता/–
हरदीप सिंह,
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)

दिनांक: 22/10/2024

निदेशक की रिर्पोट

सेवा में

सदस्य,

पीईसी लिमिटेड ("कंपनी")

आपके निदेशक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ–साथ भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) की लेखापरीक्ष रिपोर्ट और लेखों पर टिप्पणियां के साथ निगम के कामकाज पर अपनी 53 वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं।

वित्तीय सारांश और मुख्य बिंदू

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी का प्रदर्शन नीचे संक्षेप में दिया गया है :–

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
कारोबार	शून्य	शून्य
वित्तीय स्थिति		
कर और ओसीआई के पूर्व लाभ	(–)33959.29	(–)27304.45
कर और ओसीआई के बाद लाभ	(–)33976.73	(–)27199.87
कुल मूल्य	(–)283574.65	(–)249597.92

कंपनी के मामले

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष के लिए शून्य कारोबार की सूचना दी है। वित्त वर्ष 2023–24 के लिए शुद्ध घाटा 33976.73 लाख रुपये है।

लाभांश

वर्ष 2023–24 के दौरान पीईसी के खाते एनपीए बने रहे। इसके अलावा, वर्ष 2023–24 के दौरान कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं की गई और कंपनी ने 33976.73 लाख रुपये का शुद्ध घाटा दर्ज किया है।

31–03–2024 तक कंपनी का नकारात्मक शुद्ध मूल्य 283574.65 लाख रुपये था। इसके परिणामस्वरूप, 31–03–2024 तक पीईसी का संचित घाटा बढ़कर 33976.73 लाख रुपये हो गया, इसलिए कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष 2023–24 के लिए किसी भी लाभांश की सिफारिश नहीं की है।

आरक्षी निधि को / स्थानांतरण

कंपनी की वर्तमान वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, निदेशक मंडल ने जनरल रिजर्व को कोई राशि हस्तांतरित नहीं की है।

पूंजीगत अग्रिम

आपकी कंपनी के पास चालू वित्त वर्ष में शून्य पूंजी अग्रिम नहीं था।

व्यवसाय की स्वरुप में परिवर्तन

पीईसी ने वाणिज्य मंत्रालय के निर्देश के अनुसार सितंबर 2019 से व्यावसायिक गतिविधियों को बंद कर दिया है।क्योंकि

पीईसी को बंद करने के लिए निर्धारित किया गया था। कंपनी के वित्तीय विवरण वित्त वर्ष 2021–22 से नॉन–गोइंग कंसर्न के रूप में तैयार किए गए हैं।

वास्तविक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ

31 मार्च, 2024 तक कंपनी का बकाया अनुबंध –4 के बिंदु संख्या 5 (फॉर्म नंबर 2) के अनुसार है। (एमजीटी –9 वार्षिक रिपोर्ट का उद्धरण)

नियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित किए गए महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण भौतिक आदेश, जो वर्तमान कंपनी की स्थिति और भविष्य में कंपनी के संचालन को प्रभावित करते हैं।

प्रशासनिक मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, पीईसी ने सितंबर 2019 से व्यावसायिक गतिविधियों को रोक दिया है, बैंकों के समूह के साथ एक बारगी निपटान प्रक्रियाधीन है, हालांकि बैंकों ने 09–05–2022 को पीईसी के खिलाफ डीआरटी मामला दर्ज किया है।

आचार संहिता

बोर्ड ने निगम के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए एक आचार संहिता प्रतिपादित की है, जिसे सभी संबंधितों को परिचालित कर दिया गया है।

सहायक कंपनी

आपकी कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कोलकत्ता के माननीय न्यायालय द्वारा नियुक्त आधिकारिक परिसमापक द्वारा समापन प्रक्रिया में है। चूंकि भारतीय टी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड समापन प्रक्रिया में है, इसलिए हमने समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय इस पर विचार नहीं किया है।

जमा

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय 5 के अनुसार समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं की है। इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय 5 की आवश्यकता लागू नहीं होती है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण

कंपनी व्यापारिक गतिविधियों में लगी हुई थी और सितंबर, 2019 से कोई व्यवसाय नहीं किया गया था, इस प्रकार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम) के साथ कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (3) के तहत यथा निर्धारित ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन संबंधी अपेक्षित सूचना शून्य है।

विदेशी मुद्रा आय और व्यय

आपकी कंपनी की विदेशी मुद्रा आय और व्यय शून्य रहा है।

बोर्ड की बैठकें

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 173 और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सचिवीय मानक –1 की आवश्यकता का अनुपालन करते हुए निदेशक मंडल की पांच बैठकें बुलाई गई हैं।

लेखा परीक्षा समिति की संरचना का प्रकटीकरण

लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं :–

क्रं. सं.	सदस्यों के नाम	पद
1.	डॉ. सी. वनलालरामसांगा (सरकार द्वारा नामित निदेशक)	अध्यक्ष
2.	श्री अनूप सिंह (सरकार द्वारा नामित निदेशक)	सदस्य
. 3	श्री कपिल कुमार गुप्ता (निदेशक– अतिरिक्त प्रभार)	सदस्य

बोर्ड ने 16–02–2023 को आयोजित अपनी बैठक में डॉ. सी. वनलालरामसांगा, निदेशक (सरकार द्वारा नामित) को पीईसी लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति तक लेखा परीक्षा समिति की अध्यक्षता करने के लिए नामित करने का निर्णय लिया।

सतर्कता तंत्र और व्हिसल ब्लोअर नीति

कंपनी की एक सतर्कता तंत्र और व्हिसल–ब्लोअर नीति है।

धारा 186 के तहत ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

कंपनी ने कोई ऋण, गारंटी प्रदान नहीं की है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के अंतर्गत कोई निवेश नहीं किया है।

संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्था का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की उपधारा (1) धारा 188 में उल्लिखित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी ने कोई अनुबंध / व्यवस्था / लेन–देन नहीं किया है।

जोखिम प्रबंधन नीति

कंपनी की एक जोखिम प्रबंधन नीति है, हालांकि कंपनी सितंबर 2019 से कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं कर रही है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के लिए विवरण

कंपनी के पास शक्तियों का एक प्रत्यायोजन (डीओपी) है, जो कंपनी के अधिकारियों के विभिन्न स्तरों के लिए उपलब्ध वित्तीय शक्तियों को निर्धारित करता है।

कंपनी ने वित्त वर्ष 2023–2024 के लिए मेसर्स अग्रवाल मनोज निधि एंड एसोसिएट्स को अपना आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया था, जिसने कंपनी की आंतरिक लेखा परीक्षा की है।

कंपनी कोई व्यावसायिक गतिविधियां नहीं चला रही है और प्रशासनिक मंत्रालय के निर्देशों के अनुसरण में वीआरएस के कार्यान्वयन के कारण पीईसी की जनशक्ति में भी काफी कमी आई है।

राजभाषा

14 सितंबर, 2024 से 22 सितंबर, 2024 तक हिंदी पखवाड़े को चिह्नित करने के लिए पीईसी में एक पखवाड़े का कार्यक्रम आयोजित किया गया और कर्मचारियों ने हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया।

सतर्कता

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 30 अक्टूबर, 2023 से 5 नवंबर, 2023 तक मनाया गया।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में विस्तृत प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट अनुलग्नक–1 के रूप में रखी गई है।

निगम से संबंधित शासन प्रणाली

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसरण में, इस रिपोर्ट के भाग के रूप में वर्ष 2023–24 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर एक रिपोर्ट अनुपत्र–2 में दी गई है।

श्रीमती आतिमा खन्ना, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अनुपालन की जांच और प्रमाणन किया है। यहा प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट का हिस्सा है और इसे अनुलग्नक–2 के रूप में रखा गया है।

कॉर्पोरेटकी सामाजिक जिम्मेदारी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध नुकसान के कारण कंपनी ने वर्ष 2023–24 के लिए सीएसआर बजट आवंटित नहीं किया गया है। हालांकि, वित्त वर्ष 21–22 के दौरान पिछले वर्षों की अप्रयुक्त

राशि 0.25 करोड़ रुपये को "प्रधान मंत्री राहत कोष" में स्थानांतरित कर दिया गया था।

कंपनी (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में कंपनी की सीएसआर गतिविधियों पर एक वार्षिक रिपोर्ट अनुलग्नक–3 में दी गई है।

कर्मचारियों का विवरण

पीईसी एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी होने की वजह से उसके पूर्णकालिक क्रियाशील निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक कंपनी के प्रशासनिक मंत्रालय के कारण वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के जरिए सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। गैर–कार्यकारी, अंशकालिक निदेशक (सरकारी नामित) कोई भी पारिश्रमिक गैर–सरकारी (स्वतंत्र निदेशकों) को बोर्ड द्वारा अनुमोदित शुल्क पर बोर्ड/समिति की प्रत्येक बैठक मे शामिल होने हेतु सिटिंग शुल्क का भुगतान किया जाता है।

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए पात्रता संबंधी मानदंड भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित किए जाता हैं। उनसे प्रत्येक वर्ष यह पुष्टि करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में स्वतंत्रता की घोषणा प्राप्त की गई है वे स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए बने रहेंगे ।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

पीईसी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 के अनुसार अपने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, सभी कार्यात्मक निदेशकों, सीएफओ और कंपनी सचिव को प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के रूप में नामित किया है। कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्तियों/परित्याग के संबंध में विवरण इस रिपोर्ट में अन्यत्र दिए गए हैं।

निदेशकों के दायित्व का विवरण

वर्तमान में, पीईसी कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं कर रही है और कुछ समय के लिए एक गैर–ऑपरेटिव कंपनी के रूप में जारी है। दो स्वतंत्र निदेशक और एक कार्यात्मक निदेशक का पद रिक्त हैं और कार्यात्मक निदेशक (सीएमडी सहित) अतिरिक्त प्रभार पर हैं।

वित्त वर्ष 2023–24 से पीईसी के खातों को नॉन–गोइंग कर्न्सन के आधार पर प्रकाशित किया गया है। इसलिए, रिपोर्ट में कोई विशिष्ट निदेशक जिम्मेदारी विवरण नहीं रखा जा सकता है।

वार्षिक विवरणियो का उद्धरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (ए) के तहत आवश्यकतानुसार, अधिनियम की धारा 92 (3) के अनुसरण में वार्षिक रिटर्न का उद्धरण इस रिपोर्ट में अनुबंध–4 के रूप में संलग्न है।

यौन उत्पीड़न विरोधी नीति

कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप पीईसी में महिलाओं के यौन उत्पीड़न की **रोकथाम/निषेध और निवारण** की नीति निर्धारित की है। इस संबंध में प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। सभी कर्मचारी (स्थायी, संविदा, अस्थायी, प्रशिक्षु) इस नीति के तहत शामिल होते हैं।

वर्ष 2023–24 के दौरान ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान यह बैठक 07–12–2023 को आयोजित की गई।

आंतरिक शिकायत समिति के सदस्य निम्नलिखित हैं :

क्रं. सं.	सदस्यों के नाम	पद
1.	श्रीमती मोनिशा लाकरा	सभापति
2.	श्रीमती सुमति आनंद	स्वतंत्र बाहरी सदस्य
3.	श्रीमती मधुमिता सोरेंग	सदस्य सचिव
4.	श्रीमती प्रज्ञा श्रीवास्तव	सदस्य
5.	श्रीमती सरला सोम	सदस्य

वैधानिक लेखा परीक्षक

मैसर्स पीडी अग्रवाल एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सी एंड एजी द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रबंधन के उत्तरों के साथ उनकी रिपोर्ट इसके साथ संलग्न है और वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

सी एंड एजी की टिप्पणियाँ

सी एंड एजी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ए) के तहत 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए पीईसी लिमिटेड के वित्तीय विवरण की पूरक लेखा परीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया है और उनकी रिपोर्ट संलग्न है और वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

आभार

बोर्ड समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कर्मचारियों द्वारा किए गए योगदान की सराहना करता है तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और विभिन्न हितधारकों जैसे बैंकरों, निवेशकों, ग्राहकों और वैधानिक प्राधिकरणों से उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन और समर्थन के लिए प्राप्त समर्थन को रिकॉर्ड में दर्ज करता है।

निदेशक की रिपोर्ट का अनुलग्नक–1

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

प्रशासनिक मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, पीईसी ने सितंबर, 2019 से व्यावसायिक गतिविधियों को रोक दिया है।

मानव संसाधन

31 मार्च, 2024 तक पीईसी की जनशक्ति 35 है जिसमें 33 प्रबंधक और 02 कर्मचारी शामिल हैं। कुल जनशक्ति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) का समग्र प्रतिनिधित्व क्रमशः 28.57% (10 अधिकारी), 5.57% (02 अधिकारी), 14.28% (05 अधिकारी) और 5.71% (02 अधिकारी) है। कंपनी में कोई नई भर्ती नहीं हुई है।

31–03–2024 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर आंकड़े के जानकारी।

वर्ग	जनशक्ति रोल पर	अनुसूचित जाति	%आयु	अनुसूचित जनजाति	%आयु	ओबीसी	%आयु
क	33	09	27.27	02	6.06	04	14.71
ख	02	01	50.00	00	00.00	01	50.00
ग	00	00	00.00	00	00.00	00	00.00
कुल	35	10	28.57	02	5.71	05	14.28

नैगमिक सामाजिक जिम्मेदारी

सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक–3 के रूप में संलग्न है।

भावी रणनीति

पीईसी खुद को बनाए रखने के लिए चूककर्ता सहयोगियों से बकाया राशि की वसूली करने के निरंतर प्रयास को जारी रखने की कोशिश कर रही है।

एहतियाती विवरण

कंपनी के उद्देश्यों, आशाओं अथवा पूर्वानुमानों का वर्णन करते हुए प्रबंधन के विचार–विमर्श और विश्लेषण संबंधी विवरण लागू प्रतिभूतियों, कानूनों और विनियमों के अर्थ के भीतर भावी नीति विवरण हो सकते हैं। वास्तविक परिणाम प्रत्याशा से काफी अलग हो सकते हैं।

चूंकि कंपनी कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं कर रही है और प्रशासनिक मंत्रालय के निर्देशों के अनुसरण में वीआरएस के कार्यान्वयन के कारण पीईसी की जनशक्ति में भी काफी कमी आई है।

दो स्वतंत्र निदेशक और एक कार्यात्मक निदेशक का पद रिक्त है और कार्यात्मक निदेशक (सीएमडी सहित) अतिरिक्त प्रभार पर हैं जिसके कारण कंपनी को विभिन्न प्रशासनिक कार्यों और कार्यात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

पिछले दस वर्ष का विवरण
रूपये करोड़ में

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17 (पुनः संशोधित)	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
बिक्री	**6,186.76**	**3,746.59**	**4,254.07**	**4,451.92**	**617.87**	**8.03**	**-**	**-**	**-**	**-**
निर्यात	601.22	122.7	64.1	327.61	51.97	7.79	-	-	-	-
घरेलू	613.29	191.59	209.86	275.21	42.66	0.24		-	-	-
आयात	4,972.25	3,432.30	3,980.11	3,849.10	523.24	-	-	-	-	-
आमदनी	**(137.61)**	**(1110.84)**	**(62.17)**	**(26.09)**	**(474.95)**	**(129.54)**	**(113.7)**	**(302.86)**	**(263.95)**	**(330.55)**
व्यय	**42.18**	**31.18**	**30.76**	**30.87**	**24.70**	**17.73**	**15.92**	**11.43**	**9.09**	**9.04**
स्थापना	29.54	21.65	22	22.25	17.96	12.64	13.79	9.94	7.32	7.59
प्रशासन	12.64	9.53	8.76	8.62	6.74	5.09	2.13	1.49	1.77	1.45
पूर्व अवधि समायोजन	0.01	0.11	(0.09)	-	-	-	-	-	-	-
कर से पहले लाभ	(179.79)	(1142.02)	(92.84)	(56.96)	(499.65)	(147.27)	(129.62)	(314.29)	(273.04)	(339.59)
टैक्स	28.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कर के बाद लाभ	**(208.54)**	**(1142.02)**	**(92.84)**	**(56.96)**	**(499.65)**	**(147.27)**	**(129.62)**	**(314.29)**	**(273.04)**	**(339.59)**
ओसीआई	-	-	0.65	3.02	0.46	0.25	0.53	(0.48)	1.05	(0.18)
कर और ओसीआई के बाद लाभ	**-**	**-**	**(92.19)**	**(53.94)**	**(499.19)**	**(147.02)**	**(129.09)**	**(314.77)**	**(271.99)**	**(339.77)**
पूंजी नियोजित	**1,453.10**	**(45.21)**	**(251.48)**	**(189.56)**	**(155.4)**	**(185.69)**	**(203.87)**	**(308.49)**	**(338.39)**	**(373.14)**
शेयरधारक की निधि	154.21	(987.81)	(1,079.97)	(1,133.91)	(1,633.10)	(1,780.12)	(1909.21)	(2223.98)	(2495.98)	(2835.75)
ऋण निधि	1,298.89	942.6	828.49	944.35	1,477.70	1,594.43	1705.34	1915.49	2157.59	2462.61

निदेशक की रिपोर्ट का अनुलग्नक–2

नैगमिक अभिशासन संबंधी रिर्पोट

नैगमिक शासन संबंधी कंपनी की विचारधारा

कंपनी ने बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कामकों के लिए आचार संहिता, व्हिसल ब्लोअर नीति, दस्तावेजों के संरक्षण पर नीति, जोखिम प्रबंधन नीति जैसी नीतियां निर्धारित की हैं।

निदेशक मंडल

आज की तारीख में बोर्ड में दो पूर्णकालिक निदेशक शामिल हैं, जिनके पास अतिरिक्त प्रभार, दो अंशकालिक सरकारी नामित निदेशक और कोई स्वतंत्र निदेशकों नहीं है। आज की तारीख में बोर्ड में निदेशकों के नाम, उनकी योग्यता, नियुक्ति की तिथियां और जिन श्रेणियों के तहत उन्हें नियुक्त किया गया था, वे इस प्रकार हैं :–

क्रं. सं.	निदेशको के नाम	योग्यता	पद	नियुक्ति की तिथि
1.	श्री हरदीप सिंह	बी. कॉम(ऑनर्स), एलएलबी	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	27–10–2022
2.	श्री कपिल कुमार गुप्ता	चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए)	निदेशक विपणन (अतिरिक्त प्रभार)	12–10–2022
3.	डॉ. सी. वनलालरामसांगा	आईईएस (2001 बैच, पीएचडी (अर्थशास्त्र), एमपीए (एलकेवाईएसपीपी, एनयूएस), एमए (अर्थशास्त्र)	गैर–कार्यकारी अंशकालिक सरकारी निदेशक (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय)	22–03–2021
4.	श्री अनूप सिंह	बी. एस. सी.	गैर–कार्यकारी अंशकालिक सरकारी निदेशक (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय)	23–02–2022

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (4) के साथ पठित कंपनी (निदेशक की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के अनुसार प्रत्येक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी दस करोड़ रूपये से अधिक की चुकता शेयर पूंजी होने पर कम से कम दो निदेशक होंगे स्वतंत्र निदेशक, हालाकि बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं किया गया है क्योंकि कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 60 करोड़ रूपये है।

निदेशक मंडल की संरचना, बोर्ड बैठकों में उपस्थिति, वार्षिक आम बैठक वर्ष 2023–24 के दौरान आयोजित और अन्य निदेशक पद इस प्रकार हैं :–

क्र. सं.	निदेशकों के नाम और पदनाम	बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति की संख्या	पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति	अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में धारित निदेशक पद
पूर्णकालिक निदेशक				
1.	श्री हरदीप सिंह, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	5/5	हाँ	1. पीईसी लिमिटेड 2. एमएमटीसी लिमिटेड 3. भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड।
2.	श्री कपिल कुमार गुप्ता,निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	5/5	हाँ	1. पीईसी लिमिटेड 2. एमएमटीसी लिमिटेड 3. एसटीसीएल 4. फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड (06.02.2024 तक) 5. एमएमटीसी–पीएएमपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
अंशकालिक निदेशक				
5.	डॉ. सी. वनलालरामसांगा (सरकार द्वारा नामित)	4/5	हाँ	1. पीईसी लिमिटेड 2. आईटीपीओ सर्विस लिमिटेड़
6.	श्री अनूप सिंह (सरकार द्वारा नामित)	5/5	हाँ	1. पीईसी लिमिटेड

निदेशक मंडल में परिवर्तन

बोर्ड की बैठकें और प्रक्रियाएं

बोर्ड की बैठकें

वर्ष के दौरान पांच (5) बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं और दो (2) बैठकों के बीच अधिकतम समय अंतराल दो (2) बैठकें 120 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए। बोर्ड की बैठकों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	बोर्ड की बैठक सं.	दिनांक	सदस्यों की अधिकतम संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	328	01.06.2023	4	4
2.	329	01.08.2023	4	4
3.	330	12.09.2023	4	4
4.	331	14.12.2023	4	4
5.	332	22.03.2024	4	3

बोर्ड की प्रक्रियाएं

बोर्ड की बैठक नियमित रूप से तिमाही में कम से कम एक बार होती है, बैठकों में सार्थक सूचित और केंद्रित चर्चा की सुविधा के लिए सदस्यों के बीच विस्तृत एजेंडा दस्तावेज पहले से वितरित किए जाते हैं ।

निदेशक मंडल / प्रबंधन समिति की बैठकों के कार्यवृत्त लागू कानूनों के अनुसार रखे जाते हैं।

विवाद निपटान समिति

बोर्ड ने 20 मार्च, 2019 को आयोजित अपनी 311 वीं बोर्ड बैठक में पीईसी में विवाद निपटान समिति (डीएससी) बनाने का निर्देश दिया था। कंपनी के डीएससी में वित्त प्रमुख, कानूनी पक्ष से एक प्रतिनिधि, यदि उपलब्ध हो, पीईसी लिमिटेड का एक निदेशक और सलाहकार के पैनल से एक सदस्य शामिल होता है जो डीएससी के अध्यक्ष और प्रमुख होंगे। अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक सलाहकार के पैनल से सदस्यों के नाम तय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी होगा जो डीएससी के अध्यक्ष और प्रमुख होंगे। **वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान विवाद निपटान समिति की कोई बैठक नहीं हुई।**

लेखा परीक्षा समिति – संरचना और उपस्थिति

लेखा परीक्षा समिति के सदस्यों का विवरण नीचे दिया गया है :–

1. डॉ. सी. वनलालरामसांगा – अध्यक्ष
2. श्री अनूप सिंह – सदस्य
3. श्री कपिल कुमार गुप्ता – सदस्य

लेखा परीक्षा समिति ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधानों के तहत परिकल्पित ऐसी भूमिकाओं का निर्वहन किया है। डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार ऑडिट समिति में कम से कम 3 निदेशक और अधिकांश सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। एक वित्तीय वर्ष में चार बैठकें होनी चाहिए और समीक्षा अवधि के दौरान अपेक्षित बैठकें आयोजित की जानी चाहिए । लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का विवरण इस प्रकार है।

क्रं. सं.	लेखा परीक्षा समिति की बोर्ड की बैठक सं	दिनांक	सदस्यों की अधिकतम संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	17	01.06.2023	3	3
2.	18	01.08.2023	3	3
3.	19	12.09.2023	3	3
4.	20	14.12.2023	3	3
5.	21	22.03.2024	3	2

जोखिम प्रबंधन

कंपनी के पास व्यवसाय से जुड़े विभिन्न जोखिमों का ध्यान रखने के लिए एक बोर्ड अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति है।

पारिश्रमिक समिति – संरचना और उपस्थिति

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक नहीं हुई। पारिश्रमिक समिति के सदस्यों का विवरण नीचे दिया गया है :–

1. डॉ. सी. वनलालरामसांगा – अध्यक्ष
2. श्री कपिल कुमार गुप्ता – सदस्य

नैगमिक सामाजिक जिम्मेदारी और सतत विकास पर बोर्ड की समिति :

वित्तीय वर्ष 2023–2024 के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता विकास समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी। कंपनी घाटे में चल रही है और 2014–2015 से नेटवर्थ नाकारात्मक है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के सदस्यों का विवरण नीचे दिया गया है :–

1. डॉ. सी. वनलालरामसांगा – अध्यक्ष
2. श्री कपिल कुमार गुप्ता – सदस्य

प्रबंधन समिति

कंपनी के मामलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए शीघ्र विचार करने और निर्णय लेने की सुविधा के लिए, बोर्ड ने तीन (3) नई समितियों का गठन किया है :–

1. प्रबंधन और वरिष्ठ अधिकारियों की समिति (सी ओ एम एस ओ)
2. वरिष्ठ अधिकारियों की समिति (सी ओ एस ओ)
3. प्रबंधन समिति (सी ओ एम)

1 जून 2023 से समिति के अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष सह–प्रबंध निदेशक, कार्यात्मक निदेशक (ओं) और वित्त प्रमुख और सचिव के रूप में कंपनी सचिव में विशिष्ट भूमिका, जवाबदेही और अधिकार के साथ समिति के सदस्य के रूप शामिल है।

बैठकों का विवरण निम्नानुसार है :–

प्रबंधन समिति और वरिष्ठ अधिकारी (सी ओ एम एस ओ)				
सं. नं.	समिति बैठक नं.	दिनांक	समिति ताकत	सदस्यों की संख्या उपस्थित
1.	1st	09.08.2023	9	9
वरिष्ठ अधिकारीयों की समिति (सी ओ एस ओ)				
1.	1st	26.06.2023	6	6
2.	2nd	07.07.2023	6	6
3.	3rd	14.07.2023	6	6
4.	4th	25.07.2023	6	6
5.	5th	24.08.2023	6	6
6.	6th	20.09.2023	6	6
7.	7th	06.10.2023	6	5
8.	8th	30.11.2023	6	6

9.	9th	19.12.2023	6	5
10.	10th	13.02.2024	5	5
11.	11th	29.02.2024	5	5
प्रबंधन समिति (सी ओ एम)				
1.	1st	29.08.2023	4	4
2.	2nd	14.12.2023	3	3
3.	3rd	24.03.2024	3	3

वर्ष के दौरान COMSO की कवल (01) बैठक आयोजित की गई और समिति के सदस्यों ने 12.09.2023 से समिति को भंग करने का निर्णय लिया।

निदेशकों का पारिश्रमिक

कंपनी, एक सरकारी कंपनी होने के नाते, अपने पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक के नियम और शर्तें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के माध्यम से सरकार द्वारा तय की जाती हैं। स्वतंत्र निदेशकों को छोड़कर गैर–कार्यकारी अंशकालिक निदेशक (सरकार द्वारा नामित) कोई पारिश्रमिक या बैठक शुल्क नहीं लेते हैं।

वर्ष 2023–24 के लिए भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण निम्नानुसार है :

क्रं. सं.	निदेशकों के नाम	वेतन और लाभ (करोड़ रूपए में)	31–03–2024 के अनुसार धारित पीईसी के शेयर्स की संख्या
कार्यात्मक निदेशक			
1.	श्री हरदीप सिंह, अध्यक्ष सह–प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	-	शून्य
2.	श्री कपिल कुमार गुप्ता, निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	-	शून्य
अंशकालिक निदेशक (सरकारी नामित)			
3.	डॉ. सी. वनलालरामसांगा	-	1
4.	श्री अनूप सिंह	-	1

आम सभा की बैठक

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित कंपनी की आम सभा की बैठकों का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

बैठक की प्रकृति	वित्तीय वर्ष	बैठक की तिथि	कार्यक्रम–स्थल
वार्षिक आम बैठक	2022-23	19.09.2023	कमरा नहीं 13, वाणिज्य भवन नई दिल्ली–11001
वार्षिक आम बैठक	2021-22	09.11.2022	उद्योग भवन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली
वार्षिक आम बैठक	2020-21	23.12.2021	उद्योग भवन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली

प्रकटन

भौतिक रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन पर प्रकटीकरण

वर्ष के दौरान, निदेशकों या प्रबंधन या सहायक कंपनी या रिश्तेदारों के साथ भौतिक प्रकृति का कोई लेनदेन नहीं हुआ था, जिसका कंपनी के हित के साथ संभावित टकराव हो।

शेयरधारकों की जानकारी

1. धारा 96 (तीसरे प्रावधान) के अनुसार कंपनी ने वित्त वर्ष 2023–2024 के लिए एजीएम आयोजित करने के लिए विस्तार की मांग की है।
2. कंपनी का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक है।
3. लाभांश भुगतान

पिछले 3 वर्षो के दौरान भुगतान किये गये लाभांश का विवरण इस प्रकार है।

वर्ष	दर (%)	राशि (करोड़ रु. में)	भुगतान की तिथि
2022-23	शून्य	शून्य	लागू नहीं
2021-22	शून्य	शून्य	लागू नहीं
2020-21	शून्य	शून्य	लागू नहीं

व्हिसल ब्लोअर नीति

कंपनी ने एक व्हिसल ब्लोअर नीति अपनाई है।

जोखिम प्रबंधन

निदेशक मंडल ने आपकी कंपनी द्वारा किए गए व्यवसाय से जुड़े विभिन्न जोखिमों का ध्यान रखने के लिए जोखिम प्रबंधन नीति को मंजूरी दे दी।

धारा 186 के तहत ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के तहत कवर किए गए ऋणों, गारंटियों और निवेशों का विवरण वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट के क्रमशः नोट 4, 5, 7, 13 में दिया गया है।

शेयरधारिता की प्रवृति

60 करोड़ रुपये की पूरी चुकता इक्विटी पूंजी 100 रुपये के 60 लाख शेयरों में विभाजित है, जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

नैगमिक अभिशासन संबंधी अनुपालन

कंपनी डीपीई द्वारा जारी सीपीएसई 2010 के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं का अनुपालन करती है।

वर्ष 2023–24 के दौरान कुछ गैर–अनुपालन देखे जा रहे हैं :–

1. श्री अतुल तनेजा की 22.02.2024 से सेवा समाप्ति हेतु फॉर्म डीआईआर–12 भरने में देरी लेकिन फॉर्म 07.03.2024 को दाखिल किया गया था।
2. वर्तमान में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (4) के साथ कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम,

2014 के नियम 4 की आवश्यकता के अनुसार कंपनी में कोई स्वतंत्र नहीं है और सचिवीय मानक (एसएस–1) के अनुसार **वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदशकों की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई है।** भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी किया गया । अनुपालन के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को इसकी सूचना दे दी गई है। सीपीएसई होने के नाते सभी की नियुक्ति निदेशकों का नियंत्रण मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

मैसर्स ए.के.एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिवों ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अनुपालन की जांच और प्रमाणन किया है, प्रमाणपत्र फॉर्म इसके साथ संलग्न है और वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

ए के एंड एसोसिएट्स

बी–14 वसंत कुज एन्कलेव, नई दिल्ली–110070
फोन –9873676963, 011–61115152
ईमेलः atimakhanna@gmail.coma

& ASSOCIATES

कॉर्पोरेट प्रशासन पर अनुपालन प्रमाणपत्र

को
सदस्यगण,
पीईसी लिमिटेड

हमने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर निर्धारित दिशानिर्देशें के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए पीईसी लिमिटेड (निगम) द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्त के अनुपालन की जॉच की है।

कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तो का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जॉच कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तो के अनुपालन को सुनिश्ति करने के लिए निगम द्वारा अपनाई गई प्रकियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो ऑडिट है और न ही कंपनी के वितीय विवरणें पर राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्म जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टिकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते है कि कंपनी ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है, सिवाय इसके के :–

1. श्री अतुल तनेजा की 22.01.2024 से सेवा समाप्ति हेतु फॉर्म डीआईआर–12 भरने में देरी लेकिन फॉर्म दाखिल किया गया 07.03.2024 को ।
2. वर्तमान में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(4) की आवश्यकता के अनुसार कंपनी में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है, जिसे कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के साथ पढ़ा जाता है और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ;ैब्ध्द्ध द्वारा जारी सचिवीय मानक ै;.1द्ध के अनुसार वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की कोई नियंत्रित की जाती है।

हम आगे यह भी कहते है कि इस प्रकार का अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में आश्रासन है, न ही प्रबंधन द्वारा कंपनी के कार्यो को संचलित करने की दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में ।

ए के एंड एसोसिएट्स के लिए

A K & ASSOCIATES PRACTISING COMPANY SECRETARY

अतिमा खन्ना
(अभ्यासरत कंपनी सचिव)
सी.पी.नं. 10296
एम.सं. F9216
पीआर नंम्बर 1102/2021 यूडीआईएन
नंम्बर : F009216F001569841

दिनांक : 15.10.2024
स्थानः नई दिल्ली

निदेशक की रिपोर्ट का अनुलग्नक–3

नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट (2023–24)

1. उद्देश्य संबंधी विवरण :

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता नीति (सीएसआर और स्थिरता नीति) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निगम बड़े पैमाने पर समाज के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रतिबद्ध एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार कॉर्पोरेट इकाई बने।

2. सीएसआर समिति की संरचना

i	डॉ. सी. वनलालरामसांगा	– सभापति
ii	श्री अनूप सिंह	– सदस्य
iii	श्री कपिल कुमार गुप्ता	– सदस्य

3. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का औसत शुद्ध लाभ/(हानि)

वित्तीय वर्ष	निवल लाभ/(निवल हानि) (पीबीटी) करोड़ रुपये में
2021–22	(314.77)
2022–23	(271.99)
2023–24	(339.77)
अनुमानित लाभ/(हानि)	(308.84)*

4. निर्धारित सीएसआर व्यय (लाभ के मामले में उपरोक्त मद 3 में राशि का * 2%)

पिछले तीन वर्षों में घाटे के कारण शून्य।

5. वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च किए गए सीएसआर का विवरण

(क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि : शून्य

(ख) पिछले 3 वर्षों में हानियों और लाभों की अनुपलब्धता को देखते हुए वित्त वर्ष 2023–24 के लिए सीएसआर निधि का कोई नया आवंटन नहीं किया गया था।

2023–24 के दौरान गतिविधियों के लिए पिछले वर्षों से आवंटित राशि : शून्य

वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि : शून्य

6. यदि कंपनी पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2% या उसके किसी भी हिस्से को खर्च करने में विफल रही है, तो इसकी बोर्ड रिपोर्ट में राशि खर्च नहीं करने के कारण : (लागू नहीं)

निदेशक की रिपोर्ट का अनुलग्नक–4

फॉर्म सं. एमजीटी–9

31.03.2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के अनुसार
{(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसार)}

I	**पंजीकरण और अन्य विवरण :**	
i	सीआईएन	U74899DL1971GOI005600
ii	पंजीकरण की तिथि	21/04/1971
iii	कंपनी का नाम	पीईसी लिमिटेड
iv	कंपनी की श्रेणी	कंपनी शेयरों द्वारा लिमिटेड ६ केंद्र सरकार कंपनी
v	पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण	
	पता :	एफ–ब्लॉक, तीसरी मंजिल, फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स, एफ एंड जी ब्लॉक, झंडेवालान ज्वैलरी कॉम्प्लेक्स, रानी झांसी रोड, दिल्ली –110055
	नगर/शहर :	नई दिल्ली
	राज्य:	दिल्ली
	देश का नाम :	भारत
vi	चाहे सूचीबद्ध कंपनी हो	नहीं
vii	रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) का नाम और पता :–	
	आरटीए का नाम :	लगू नहीं
	पता :	लगू नहीं
	नगर/शहर :	लगू नहीं
	राज्य :	लगू नहीं
	पिन कोड :	लगू नहीं
	दूरभाष :	लगू नहीं
	फैक्स नंबर :	लगू नहीं
	ईमेल पता :	लगू नहीं
II	**कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक कार्यकलाप** :– कंपनी ने सितंबर 2019 से व्यावसायिक कार्यकलाप को बंद कर दिया है।	

III	**धारक, सहायक और सहयोगी कंपनियों का विवरण**					
जिन कंपनियों की जानकारी भरी जा रही है उनकी संख्या : 1						
क्रं. सं.	**कंपनी का नाम**	**कंपनी का पता**	**सीआईएन**	**धारक, सहायक और सहयोगी**	**धारित शेयरों का %**	**लागू अनुभाग**
1	मैसर्स टी ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	7 वुड कोलकाता स्ट्रेट पश्चिम बंगाल–700016	U51226WB1971PLC028174	सहायक	100%	धारा 2 (87) (ii)

IV	शेयर धारण पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी ब्यौरा)								
IV (A)	श्रेणी–वार शेयर धारिता								
शेयरधारकों की श्रेणी डीमैट	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान परिवर्तन
	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
क. प्रवर्तक									
(1) भारतीय									
क) व्यक्तिगत/एचयूएफ	-	-	-	0%	-	-	-	0%	0%
ख) केंद्रीय सरकार	-	60,00,000	60,00,000	100%	-	60,00,000	60,00,000	100%	0%
ग) राज्य सरकार	-	-	-	0%	-	-	-	0%	0%
घ) निकाय निगम	-	-	-	0%	-	-	-	0%	0%
ड़) बैंक/वित्तीय संस्थाएं	-	-	-	0%	-	-	-	0%	0%
च) कोई अन्य	-	-	-	0%	-	-	-	0%	0%
(2) विदेशी									
क) एनआरआई – व्यक्तिगत/	-	-	-	0%	-	-	-	0%	0%
ख) अन्य – व्यक्तिगत	-	-	-	0%	-	-	-	0%	0%
ग) निकाय निगम	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
घ) बैंक/वित्तीय संस्थान	-	-	-	0%	-	-	-	0%	0%
ड़) कोई अन्य	-	-	-	0%	-	-	-	0%	0%
कुल शेयरधारण (क)	-	**60,00,000**	**60,00,000**	**100%**	-	**60,00,000**	**60,00,000**	**100%**	**0%**
ख. सार्वजनिक शेयरधारिता									
1. संस्थान									
क) म्यूचुअल फंड	-	-	-	0%	-	-	-	0%	0%
ख) बैंक/वित्तीय संस्थान	-	-	-	0%	-	-	-	0%	0%
ग) केंद्रीय सरकार	-	-	-	0%	-	-	-	0%	0%
घ) राज्य सरकारें	-	-	-	0%	-	-	-	0%	0%
ई) उद्यम पूंजी निधि	-	-	-	0%	-	-	-	0%	0%
च) बीमा कंपनियां	-	-	-	0%	-	-	-	0%	0%
छ) एफआईआई	-	-	-	0%	-	-	-	0%	0%
ज) विदेशी उद्यम पूंजी निधि	-	-	-	0%	-	-	-	0%	0%
प) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-	-	0%	-	-	-	0%	0%
उप–कुल (ख)(1):–	**-**	**-**	**-**	**0%**	**-**	**-**	**-**	**0%**	**0%**
2. गैर–संस्थान									
क) निकाय निगम									
i) भारतीय	-	-	-	0%	-	-	-	0%	0%
ii) विदेशी	-	-	-	0%	-	-	-	0%	0%
ख) व्यक्तिगत									
(i) 1लाख रुपये तक की नाममात्र शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक। 1 लाख	-	-	-	0%	-	-	-	0%	0%
ii) 1 लाख रुपये से अधिक की नाममात्र शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	0%	-	-	-	0%	0%
ग) अन्य (निर्दिष्ट)	-	-	-	0%	-	-	-	0%	0%

उप–कुल (ख) (2) :–	-	-	-	0%	-	-	-	0%	0%
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)=(ख)(1) (ख)(2)	-	-	-	0%	-	-	-	0%	0%
ग. जीडीआर और एडीआर के लिए अभिरक्षको द्वारा धारित शेयर	-	-	-	0%	-	-	-	0%	0%
कुल जोड़ (क + ख + ग)	-	60,00,000	60,00,000	100%	-	60,00,000	60,00,000	100%	0%

IV (ख)	प्रवर्तकों की शेयरधारिता							
क्रं सं	शेयरधारक का नाम	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारण			वर्ष के अंत में शेयरधारण			वर्ष के दौरान शेयरधारिता में % परिवर्तन
		भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
1.	भारत के राष्ट्रपति	59,99,998	100%	0%	59,99,998	100%	0%	0%
2.	श्री अनूप सिंह (दिनांक 22.03. 2021 से)'	1	0%	0%	1	0%	0%	0%
3.	डॉ. सी. वनलालरामसांगा (22.03. 2021 से)'	1	0%	0%	1	0%	0%	0%
	कुल	**60,00,000**	**100%**	**0%**	**60,00,000**	**100%**	**0%**	**0%**

* ये शेयर निदेशकों द्वारा उनकी आधिकारिक क्षमता में रखे जाते हैं। इन शेयरों में उनका कोई लाभकारी हित नहीं है क्योंकि लाभकारी हित भारत के राष्ट्रपति के पास है।

IV (ग)	प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन (कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई परिवर्तन नहीं है)				
क्रं. सं.– 1 भारत के राष्ट्रपति		साल की शुरुआत में शेयरहोल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
वर्ष की शुरुआत में		**60,00,000**	**100%**	**60,00,000**	**100%**
वर्ष के दौरान परिवर्तन					
वृद्धि करना					
दिनांक	वृद्धि का कारण				
लागू नहीं	आवंटन	-	0%	-	0%
लागू नहीं	बोनस	-	0%	-	0%
लागू नहीं	पसीना	-	0%	-	0%
लागू नहीं	अन्य	-	0%	-	0%
हानि					
दिनांक	कमी का कारण				
लागू नहीं	आवंटन	-	0%	-	0%
लागू नहीं	अन्य	-	0%	-	0%
साल के अंत में		**60,00,000**	**100%**	**60,00,000**	**100%**

IV (घ)	शीर्ष दस शेयरधारकों का शेयरधारिता पैटर्न (जीडीआर और एडीआर के निदेशकों, प्रमोटरों और धारकों के अलावा) :–				लागू नहीं
शेयरधारक का नाम		वर्ष की शुरुआत में शेयरधारण		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारण	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
वर्ष की शुरुआत में		**-**	**0%**	**-**	**0%**
वर्ष के दौरान परिवर्तन					
वृद्धि करना					
दिनांक	वृद्धि का कारण				
लगू नहीं	आवंटन	-	0%	-	0%
लगू नहीं	बोनस	-	0%	-	0%
लगू नहीं	स्वेट	-	0%	-	0%
लगू नहीं	अन्य	-	0%	-	0%
कमी					
दिनांक	कमी का कारण				
लगू नहीं	हस्तांतरण	-	0%	-	0%
लगू नहीं	अन्य	-	0%	-	0%
वर्ष के अंत में (या अलगाव की तारीख पर, यदि वर्ष के दौरान अलग हो जाता है)		**-**	**0%**	**-**	**0%**

IV(ड़)	निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की शेयरधारण :				
नाम : श्री अनूप सिंह पदनाम : नामित निदेशक (भारत के राष्ट्रपति के नामित)		वर्ष की शुरुआत में शेयरधारण		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारण	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
साल की शुरुआत में		**1**	**0%**	**0**	**0%**
वर्ष के दौरान परिवर्तन					
वृद्धि करना					
दिनांक	वृद्धि का कारण				
लगू नहीं	आवंटन	-	0%	-	0%
लगू नहीं	बोनस	-	0%	-	0%
लगू नहीं	स्वेट	-	0%	-	0%
	अन्य (आवंटन)	0	0%	1	0%
कमी					
दिनांक	कमी का कारण				
लगू नहीं	आवंटन	-	0%	-	0%
लगू नहीं	अन्य	-	0%	-	0%
वर्ष के अंत में		**1**	**0%**	**1**	**0%**

IV(ड़)	निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की शेयरधारण :				
नाम : डॉ सी वनलालरामसांगा पदनाम : नामांकित निदेशक (भारत के राष्ट्रपति के नामित)		वर्ष की शुरुआत में शेयरधारण		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारण	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
साल की शुरुआत में		1	0%	0	0%
वर्ष के दौरान परिवर्तन					
वृद्धि करना					
दिनांक	वृद्धि का कारण				
लगू नहीं	आवंटन	-	0%	-	0%
लगू नहीं	बोनस	-	0%	-	0%
लगू नहीं	स्वेट	-	0%	-	0%
22.3.2021	अन्य (आवंटन)	1	0%	1	0%
कमी					
दिनांक	कमी का कारण				
लगू नहीं	आवंटन	-	0%	-	0%
लगू नहीं	अन्य	-	0%	-	0%
वर्ष के अंत में		1	**o%**	1	0%

V	ऋणग्रस्तता : कंपनी की ऋणग्रस्तता जिसमें बकाया ब्याज शामिल है लेकिन भुगतान के लिए देय नहीं है			
	जमा राशियों को छोड़कर सुरक्षित ऋण (रु.)	असुरक्षित ऋण (रु.)	जमा राशि (रु.)	कुल ऋणग्रस्तता (रुपये)
वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	21,57,58,53,524.59	-	-	21,57,58,53,524.59
ii) देय ब्याज लेकिन भुगतान नहीं किया गया **	1,31,37,64,707.05			1,31,37,64,707.05
iii) अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	-	-	-	-
कुल (i+ii+iii)	22,88,96,18,231.64	**-**	**-**	22,88,96,18,231.64
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
*योग	3,05,02,53,472.31	-	-	3,05,02,53,472.31
कटौती	-	-	-	-
शुद्ध परिवर्तन	3,05,02,53,472.31	**-**	**-**	3,05,02,53,472.31
शुद्ध परिवर्तन				
i) मूल राशि	24,62,61,06,996.90	-	-	24,62,61,06,996.90
ii) देय ब्याज लेकिन भुगतान नहीं किया गया **	1,60,55,12,164.11	-	-	1,60,55,12,164.11
iii) अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	-	-	-	-
कुल (i+ ii+iii)	26,23,16,19,161.01	**-**	**-**	26,23,16,19,161.01
नेट:*				
** बैंक ब्याज की आकस्मिक देयताएं				

VI	निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के पारिश्रमिक का विवरण		
VI (क)	निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का पारिश्रमिक		
क्रं. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	(निदेशक)	कुल राशि (रुपये में)
1	कुल वेतन		
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	शून्य	शून्य
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलाभों का मूल्य	-	-
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ	-	-
2	स्टॉक विकल्प	-	-
3	स्वेट इक्विटी	-	-
4	आयोग	-	-
	– लाभ के : के रूप में	-	-
	– अन्य, निर्दिष्ट करें	-	-
5	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-	-
	कुल VI(क)	शून्य	शून्य

VI (ख)	**अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक :**			
क्रं. सं.	पारिश्रमिक का विवरण			कुल राशि (रुपये में)
1	स्वतंत्र निदेशक :			
	बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क			
	आयोग	-	-	-
	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-	-	-
	कुल (1)	**-**	**-**	**-**
2	अन्य गैर–कार्यकारी निदेशक			
	बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	-	-	-
	आयोग	-	-	-
	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-	-	-
	कुल (2)	**-**	**-**	**-**
	कुल VI (ख)=(1+2)	**-**	**-**	**-**
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	-	-	-
	अधिनियम के अनुसार समग्र उच्चतम सीमा	-	-	-

VI (ग)	एमडी/मैनेजर/डब्ल्यू टीडी के अलावा अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक				
क्रं. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	श्री अतुल तंनेजा, सीएफओ जनवरी 2024 तक	श्री धनजय कुमार सीएफओ 22.03.2024 से	सुश्री श्वेता पाहुजा कंपनी सचिव निश्चित अवधि अनुबंध के आधार पर	कुल राशि (रुपये में)
1	कुल वेतन				
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	16,45,498	68,560	8,52,000	25,66,058
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलाभों का मूल्य	21,746	2430	-	24,176
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ	-	-	-	-
2	स्टॉक विकल्प	-	-	-	-
3	स्वेट इक्विटी	-	-	-	-
4	आयोग	-	-	-	-
	– लाभ के : के रूप में	-	-	-	-
	– अन्य, निर्दिष्ट करें	1,30,038	-	-	-
5	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-	-	-	-
	कुल	17,97,282	70,990	8,52,000	25,90,234

(श्री धनंजय कुमार, सीएम को 22.03.2024 से सीएफओ नियुक्त किया गया है)

VII	जुर्माना/ दंड /अपराधों को छिपाना :				
प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाए गए जुर्माना/दंड/शमन शुल्क का विवरण	प्राधिकरण (आरडी / एनसीएलटी / कोट)	की गई अपील, यदि कोई हो (विवरण दें)
क. कंपनी					
दण्ड	लगू नहीं	लगू नहीं	लगू नहीं	लगू नहीं	लगू नहीं
सजा	लगू नहीं	लगू नहीं	लगू नहीं	लगू नहीं	लगू नहीं
समझौता	लगू नहीं	लगू नहीं	लगू नहीं	लगू नहीं	लगू नहीं
ख. निदेशक					
दण्ड	लगू नहीं	लगू नहीं	लगू नहीं	लगू नहीं	लगू नहीं
सजा	लगू नहीं	लगू नहीं	लगू नहीं	लगू नहीं	लगू नहीं
समझौता	लगू नहीं	लगू नहीं	लगू नहीं	लगू नहीं	लगू नहीं
ग. चूककतर्ता अन्य अधिकारी					
दण्ड	लगू नहीं	लगू नहीं	लगू नहीं	लगू नहीं	लगू नहीं
सजा	लगू नहीं	लगू नहीं	लगू नहीं	लगू नहीं	लगू नहीं
समझौता	लगू नहीं	लगू नहीं	लगू नहीं	लगू नहीं	लगू नहीं

पी. ई. सी. लिमिटेड

31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए तुलन पत्र

(₹ लाख में)

	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023
क	**परिसंपत्तियां**			
1	गैर वर्तमान परिसंपत्तियां			
	(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2	-	-
	(ख) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	3	-	-
	(ग) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां		-	-
	(घ) निवेश संपत्ति	4	-	-
	(ड.) वित्तीय परिसंपत्तियां			
	(i) निवेश	5	0.01	0.01
	(ii) व्यापार प्राप्तिया	6	-	-
	(iii) ऋण	7	-	-
	(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	8	-	-
	(च) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)		-	-
	(छ) गैर वर्तमान परिसंपत्तियां (अन्य)	9	-	-
	कुल गैर वर्तमान परिसंपत्तियां (क)		0.01	0.01
2	**वर्तमान परिसंपत्तियां**			
	(क) माल सूचियां	10	-	-
	(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां			
	(i) निवेश			
	(ii) व्यापार प्राप्तियां	11	3882.74	4018.66
	(iii) नकदी एवं समरूप	12	5827.71	6328.25
	(iv) उपरोक्त (iii) के अलावा अन्य शेष बैंक		-	-
	(v) ऋण	13	38.83	46.64
	(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	14	-	-
	(ग) वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	15	712.59	657.10
	(घ) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	16	44.92	95.67
	(ङ) बिक्रि के लिए धारित परिसंपत्तियां		2.14	2.14
	कुल वर्तमान परिसंपत्तियां (ख)		**10508.95**	**11148.47**
	कुल परिसंपत्तियां (क+ख)		**10508.96**	**11148.48**
ख	**इक्विटी एवं देयताएं**			
1	**इक्विटी**			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	17	6000.00	6000.00
	(ख) अन्य इक्विटी	18	(289574.65)	(255597.92)
	कंपनी के इक्विटी शेयर धारकों के लिए इक्विटी		(283574.65)	(249597.92)
	अनियंत्रित ब्याज		-	-
	कुल इक्विटी (क)		**(283574.65)**	**(249597.92)**

2	**देयताएं**			
	गैर–वर्तमान देयताएं			
	(क) वित्तीय देयताएं			
	(i) उधार		-	-
	(ii) व्यापार देयताएं – एमएसएमई		-	-
	(iii) व्यापार देयताएं – अन्य		-	-
	(iv) अन्य वित्तीय देयताएं		-	-
	(ख) प्रावधान	19	-	-
	(ग) अन्य गैर–वर्तमान देयताएं		-	-
	(घ) आस्थगित कर देयताएं (निवल)		-	-
	कुल गैर–वर्तमान देयताएं (ख)		-	-
3	**वर्तमान देयताएं**			
	(क) वित्तीय देयताएं			
	(i) उधार	20	246261.07	215758.54
	(ii) व्यापार देयताएं – एमएसएमई		-	-
	(iii) व्यापार देयताएं – अन्य	20A	7274.28	7276.04
	(iv) अन्य वर्तमान देयताएं	21	4301.63	4301.63
	(ख) प्रावधान	22	1963.97	1928.40
	(ग) अन्य चालू देनदारी	23	34271.65	31470.76
	(घ) वर्तमान कर देयताएं (निवल)	24	11.01	11.03
	कुल वर्तमान देयताएं (ग)		294083.60	260746.40
	कुल इक्विटी और देयताएं (क+ख+ग)		**10508.96**	**11148.48**
लेखाओं के लिए टिप्पणियां		**1** से **62**		

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और नोट्स इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

कृते मैसर्स पी. डी. अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन 001049सी

हस्ता/–
सी ए आशीष कुमार अग्रवाल
पार्टनर
सदस्यता संख्या : 077178

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10/09/2024

पीईसी लिमिटेड के बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

हस्ता/–
धनंजय कुमार
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता/–
पी. के जैन
मुख्य महाप्रबंधक

हस्ता/–
कपिल कुमार गुप्ता
निदेशक(विपणन)
अतिरिक्त प्रभार
डीआइएन : 08751137

हस्ता/–
हरदीप सिंह
अध्यक्ष सह–प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआइएन : 09778990

हस्ता/–
श्वेता पाहुजा
कंपनी सचिव
एम : ए27993

पी. ई. सी. लिमिटेड

31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ तथा हानि विवरण

(₹ लाख में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1	प्रचालनों से राजस्व	25	-	-
	घटाएं : उत्पाद शुल्क		-	-
	प्रचालनों से राजस्व (निवल)		-	-
2	अन्य आय	26	360.81	488.15
3	कुल आय (1+2)		360.81	488.15
4	व्यय			
	(क) खपत हुई सामग्री की लागत			
	(i) व्यापारगत स्टॉक–इन–ट्रेड की खरीद	27 ए	-	-
	(ii) स्टॉक–इन–ट्रेड की सूची में परिवर्तन	27 बी	-	-
	(ख) कर्मचारी लाभ व्यय	28	758.86	731.83
	(ग) वित्त लागत	29	33330.01	27386.36
	(घ) मूल्यह्रास और ऋण शोधन व्यय			
	(ड़) अन्य व्यय	30	145.12	177.06
	कुल व्यय [4(क) से 4(ड़)]		34233.99	28295.24
5	अपवादिक मदों और कर से पूर्व लाभ/(हानि) (3–4)		(33873.19)	(27807.10)
6	अपवादिक मदें (निवल)	31	(86.10)	502.65
7	कर पूर्व लाभ/(हानि) (5+6)		(33959.29)	(27304.45)
8	कर व्यय:			
9	सतत प्रचालनों से लाभ/(हानि)		(33959.29)	(27304.45)
10	बंद हुए प्रचालनों से लाभ/(हानि)			
11	बंद हुए प्रचालनों के कर संबधी व्यय			
12	बंद हुए प्रचालनों से लाभ/(हानि) (कर के बाद) (09–11)		(33959.29)	(27304.45)
13	आलोच्य अवधि के लिए लाभ/(हानि)		(33959.29)	(27304.45)
14	अन्य व्यापक आय			
	क. (i) मदें जिनकों लाभ एवं हानि कें लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	32	(17.44)	104.57
	(ii) उन मदों का आयकर जिनको लाभ और हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			-
	ख. (i) वे मदें जिनकों लाभ एवं हानि कें लिए पुनः वर्गीकृत किया जाएगा			-
	(ii) उन मदों का आयकर जिनको लाभ और हानि के लिए पुनः वर्गीकृत किया जाएगा			-
15	कुल अन्य व्यापक आय		(17.44)	104.57
16	वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (13+14) (लाभ और हानि तथा अन्य व्यापक आय को शामिल करते हुए)		(33976.73)	(27199.87)
	निम्नलिखित के लिए लाभ :			
	कंपनी के स्वामि		(33976.73)	(27199.87)
	अनियंत्रित ब्याज		(33976.73)	(27199.87)

पी. ई. सी. लिमिटेड

31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण

(₹लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व निवल लाभ	(33976.73)	(27199.87)
के लिए समायोजन		
भुगतान किया गया ब्याज (वित्त लागत)	(33330.01)	(27386.36)
किराये की आय	0.00	0.00
अवमूल्यन	0.00	0.00
विदेशी मुद्रा (लाभ)/हानि	0.00	0.00
ब्याज आय	(356.93)	(477.64)
अपलिखित प्रावधान जो अब अपेक्षित नहीं हैं	86.10	(502.65)
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	0.00	0.00
कार्यशील पूंजी में बदलाव से पहले परिचालन लाभ (i)	**(917.54)**	**(793.79)**
प्राप्य व्यापार में वृद्धि/कमी	49.82	351.65
अन्य गैर–वर्तमान प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	0.00	0.00
देय व्यापार में वृद्धि/(कमी)	(1.76)	74.70
अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी)	(30529.12)	(24404.01)
अन्य प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	35.57	40.84
(वित्तीय आस्तियों में वृद्धि)/कमी	(7.81)	(11.00)
(वृद्धि)/अन्य परिसंपत्तियों में कमी	55.49	58.37
कुल (ii)	**(30397.81)**	**(23889.47)**
परिचालन से उत्पन्न नकदी (i)+(ii)	**(31315.35)**	**(324683.26)**
आयकर (भुगतान)/प्राप्त (शुद्ध)	(44.65)	(16.00)
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (ए)	**(31360.00)**	**(24699.26)**
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह :		
अचल संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय	0.00	0.00
किराये की आय	0.00	0.00
प्राप्त ब्याज	356.93	477.64
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी (बी)	**356.93**	**477.64**
वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
ऋण और क्रेडिट की उधार/(पुनर्भुगतान)	30502.53	24209.87
चुकाया गया ब्याज	0.00	0.00
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी (सी)	**30502.53**	**24209.87**
नकद और नकद समतुल्य (ए)+(बी)+(सी) में शुद्ध वृद्धि/(कमी)	(500.54)	(11.76)
अवधि की शुरुआत में नकद और नकद समतुल्य	6328.25	6340.00
अवधि के अंत में नकद और नकद समतुल्य	**5827.71**	**6328.25**

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड द्वारा जारी भारतीय लेखा मानक–7 में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार भारत के लेखाकार

	निम्नलिखित के लिए अन्य व्यापक आयः कंपनी के स्वामी अनियंत्रित ब्याज			
	निम्नलिखित के लिए कुल लाभ और व्यापक आयः कंपनी के स्वामी अनियंत्रित ब्याज		(33976.73) (33976.73)	(27199.87) (27199.87)
17	प्रति इक्विटी शेयर आय–100 प्रत्येक			
	मूल (रुपये में) ह्रासित(रुपये में)		(56627.88) (56627.88)	(45333.12) (45333.12)
	लेखों पर टिप्पणियां	1 से 62		

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और नोट्स इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं। सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में

कृते मैसर्स पी. डी. अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन 001049सी

हस्ता/–
सी ए आशीष कुमार अग्रवाल
पार्टनर
सदस्यता संख्या : 077178

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10/09/2024

पीईसी लिमिटेड के बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

हस्ता/–
धनंजय कुमार
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता/–
पी. के जैन
मुख्य महाप्रबंधक

हस्ता/–
कपिल कुमार गुप्ता
निदेशक(विपणन)
अतिरिक्त प्रभार
डीआइएन : 08751137

हस्ता/–
हरदीप सिंह
अध्यक्ष सह–प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआइएन : 09778990

हस्ता/–
श्वेता पाहुजा
कंपनी सचिव
एम : ए27993

टिप्पणीयां :

1. कोष्ठक में आंकड़े बहिर्वाह का प्रतिनिधित्व करते हैं।
2. जहाँ आवश्यक हुआ वहाँ पिछले वर्ष के आंकड़ें पुनः तैयार किए गए/पुनः उल्लिखित किए गए है।
3. बैंक शेष में राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक, अलबैदा में पड़े 0.04 करोड़ रुपये शामिल हैं, जो कि वापस भेजने योग्य नहीं है और नकद तथा समतुल्य में शामिल नहीं किए गए हैं।

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
बैंकों के साथ शेष राशि		
क) चालू खाते में	134.64	160.89
ख) 12 महीने तक की मूल परिपक्वता के साथ अवधि में	5693.07	631.88
(ग) 12 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता के साथ अवधि में	0.00	5535.48
घ) कैश क्रेडिट खाते में डेबिट शेष राशि		
हाथ में रखे चेक/ड्राफ्ट/डाक टिकट		
हाथ में नकदी		
कुल	**5827.71**	**6328.25**

हमारी समतारिख की रिर्पोट के अनुसार

कृते मैसर्स पी. डी. अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन 001049सी

हस्ता/–
सी ए आशीष कुमार अग्रवाल
पार्टनर
सदस्यता संख्या : 077178

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10/09/2024

पीईसी लिमिटेड के बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

हस्ता/–
धनजय कुमार
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता/–
पी. के जैन
मुख्य महाप्रबंधक

हस्ता/–
कपिल कुमार गुप्ता
निदेशक(विपणन)
अतिरिक्त प्रभार
डीआइएन : 08751137

हस्ता/–
हरदीप सिंह
अध्यक्ष सह–प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआइएन : 09778990

हस्ता/–
श्वेता पाहुजा
कंपनी सचिव
एम : ए27993

पी. ई. सी. लिमिटेड

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(लाख़ रुपये में)

विवरण	शेयरों की संख्या	अंकित मूल्य	कुल धनराशि
01–04–2022 को शेष राशि	60,00,000	100	6000.00
पूर्व अवधि त्रुटि के कारण शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-	-
1 अप्रैल, 2022 तक शेष राशि का पुनरू उल्लेख किया गया	60,00,000	100	6000.00
2022–23 के दौरान शेयर पूंजी में बदलाव	-	-	-
31–03–2023 को शेष राशि	60,00,000	100	6000.00

विवरण	शेयरों की संख्या	अंकित मूल्य	कुल धनराशि
01–04–2022 को शेष राशि	60,00,000	100	6000.00
पूर्व अवधि त्रुटि के कारण शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-	-
1 अप्रैल, 2022 तक शेष राशि का पुनरू उल्लेख किया गया	60,00,000	100	6000.00
2022–23 के दौरान शेयर पूंजी में बदलाव	-	-	-
31–03–2023 को शेष राशि	60,00,000	100	6000.00

ख. अन्य इक्विटी

(लाख़ रुपये में)

विवरण	शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन	सामान्य रिजर्व	व्यापार जोखिम रिजर्व	धारित आय	कुल राशि
				कर के बाद लाभ	
31–03–2023 को शेष राशि	-	-	-	(255597.92)	(255597.92)
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटि	-	-	-	-	-
01–04–2023 को शेष राशि	-	-	-	(255597.92)	(255597.92)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-
वर्ष 2022–23 के दौरान लाभांश का भुगतान	-	-	-	-	-
अन्य रिजर्व में स्थानांतरण	-	-	-	-	-
31–03–2023 को शेष राशि	-	-	-	(255597.92)	(255597.92)
01–04–2023 को शेष राशि	-	-	-	(255597.92)	(255597.92)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	(33976.73)	(33976.73)
वर्ष 2023–24 के दौरान लाभांश का भुगतान	-	-	-	-	-
अन्य रिजर्व में स्थानांतरण	-	-	-	-	-
31–03–2023 को शेष राशि	-	-	-	(289574.65)	(289574.65)

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और नोट्स इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।
समतिथि की हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में :

कृते मैसर्स पी. डी. अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन 001049सी

हस्ता/–
सी ए आशीष कुमार अग्रवाल
पार्टनर
सदस्यता संख्या : 077178

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10/09/2024

पीईसी लिमिटेड के बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

हस्ता/–
धनंजय कुमार
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता/–
पी. के जैन
मुख्य महाप्रबंधक

हस्ता/–
कपिल कुमार गुप्ता
निदेशक(विपणन)
अतिरिक्त प्रभार
डीआइएन : 08751137

हस्ता/–
हरदीप सिंह
अध्यक्ष सह–प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआइएन : 09778990

हस्ता/–
श्वेता पाहुजा
कंपनी सचिव
एम : ए27993

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पीईसी लिमिटेड की महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां
गैर लाभकारी कारबार वाले संस्थान की अवधारणा

टिप्पणी : 1

I) **सामान्य जानकारी**

कंपनी भारत में निगमित और अधिवासित है और भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और इसके 100% शेयर भारत सरकार के पास हैं। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "तीसरी मंजिल एफ ब्लॉक, एमएमटीसी डीआरडीओ, फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स, झंडेवालान, नई दिल्ली में स्थित है।

ii) **महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ**

क. अनुपालन विवरण और वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार वित्तीय विवरण 16 फरवरी, 2015 की अधिसूचना द्वारा कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड–एएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं।.

ख. कंपनी के निदेशक मंडल ने 31–03–2021 को बोर्ड बैठक (320 वीं) में वित्त वर्ष 2021–22 के लिए नॉन गोइंग कंसर्न आधार पर खाते तैयार करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। उसके अनुसार वित्त वर्ष 2021–22 से खातों को नॉन गोइंग कंसर्न के आधार पर तैयार किया जा रहा है।

2 **उतरवर्ती लागत**

चूंकि व्यय केवल तभी पूंजीकृत होता है जब यह विशिष्ट संपत्ति में सन्निहित भविष्य के आर्थिक लाभों को बढ़ाता है, इसलिए सभी आवश्यक पूंजीगत व्यय (जैसे फर्नीचर, कंप्यूटर, आदि) को लाभ और हानि के विवरण में बुक किया जाना चाहिए।

3 **राजस्व मान्यता**

जमा राशियों और अन्य विविध आय प्राप्तियों पर बैंक से प्राप्त ब्याज को 'अन्य आय' के रूप में मान्यता दी जाएगी।

4 **खरीद और बिक्री**

खरीद

चूंकि कंपनी के पास कोई राजस्व परिचालन नहीं है, खरीद को विविध व्यय खाते के रूप में दर्ज किया गया है।

बिक्री

चूंकि कंपनी की कोई बिक्री नहीं है, इसलिए विविध सामग्रियों की बिक्री के विरुद्ध रसीद को विविध रसीद खाते के रूप में दर्ज किया गया है।

सरकार की ओर से लेन–देन (सरकार की उपहार/अनुदान योजना के तहत खेप सहित) के मामले में, खरीद और बिक्री और आकस्मिक व्यय या उनकी आय का लेखा–जोखा संबंधित शीर्षों के तहत किया जाता है। कंपनी को अर्जित सेवा मार्जिन को समायोजित करने के बाद सरकारी खाते में अधिशेष या घाटे को क्रमशः व्यापार आय या बिक्री की लागत में समायोजित किया जाता है।

5 **खर्च**

व्यापार व्यय में कंपनी की ओर से एसोसिएट्स द्वारा किए गए खर्च शामिल हैं और/या संबंधित एसोसिएट्स के साथ समझौते के अनुसार कंपनी द्वारा किए गए खर्चों का हिसाब उनके द्वारा दिए गए/उनसे वसूले गए विवरणों के आधार पर किया जाता है।

एसोसिएट्स और सप्लायर्स से प्राप्त अग्रिमों और प्रगतिशील भुगतानों पर देय ब्याज, यदि कोई हो, का हिसाब प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है।

6 अन्य प्रचालन राजस्व

चूंकि कंपनी की मुख्य गतिविधियां बंद हो गई हैं, इसलिए बिक्री /सेवाओं से संबंधित आय जैसे कि प्रेषण अर्जित, सब्सिडी, व्यापार लेनदेन पर नुकसान के खिलाफ दावे, क्रेडिट बिक्री पर ब्याज और व्यापार से संबंधित अग्रिम (अतिदेय के अलावा) आदि, जो संबंधित व्यापार पर व्यापार सहयोगियों या योजनाओं के साथ संबंधित व्यापार समझौतों की शर्तों के आधार पर प्राप्त होते हैं, इन्हें 'अन्य गैर–परिचालन राजस्व' के अंतर्गत रखा जाता है।

7 दावे

दावों को प्रोद्भवन आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, जिसमें सब्सिडी, नकद प्रोत्साहन, नुकसान की प्रतिपूर्ति आदि के लिए सरकार से प्राप्तियां शामिल हैं, जब अंतिम संग्रह की उम्मीद करना अनुचित नहीं है। मान्यता प्राप्त लेकिन बाद में संदिग्ध हो जाने वाले दावों को लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से प्रदान किया जाता है। बीमा दावों का हिसाब बीमा कंपनी से नकद आधार पर लिया जाता है।

8 सेवा आय

जब सेवाओं के प्रतिपादन से जुड़े लेनदेन के परिणाम का विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है, तो लेनदेन से जुड़े राजस्व को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लेनदेन के पूरा होने के संदर्भ में मान्यता दी जाएगी। सभी संबंधित शर्तों को पूरा करने के बावजूद लेनदेन के परिणाम का अनुमान नहीं लगाया गया है।

9 ब्याज आय

ब्याज आय को बकाया राशि और प्रभावी ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए समय अनुपात के आधार पर पहचाना जाता है।

10 वास्तविक वसूली पर राजस्व अभिनिर्धारण

राजस्व को निम्नलिखित मदों को छोड़कर संचय के आधार पर मान्यता दी जाती है, जिनका वास्तविक वसूली पर हिसाब लगाया जाता है क्योंकि ऐसी वस्तुओं की वसूली अनिश्चित है, जैसा कि निम्नानुसार इंडस्ट्रीज–115 के प्रावधानों के अनुसार हैः

क. आपूतकर्ताओं/ठेकेदारों से परिनिर्धारित क्षति, कर क्रेडिट, सर्वेक्षण की कमी के कारण सीमा शुल्क की वापसी, और आयकर/सेवा कर/बिक्री कर/वैट और उस पर ब्याज आदि की वापसी। जहां वसूली की संभावना अनिश्चित है, वहां अतिदेय वसूली योग्य ब्याज, यदि कोई हो, पर ब्याज।

ख. आपूर्तिकर्ताआ/अंडरराइटरों पर परिनिर्धारित क्षति।

ग. आपूर्तिकर्ताओं/क्रेताओं से वसूल की गई क्षति अथवा क्षतिपूत के रूप में विविध आय ।

घ. अवशेषों की बिक्री के कारण वसूली योग्य मूल्य।

ड़. सहयोगियों द्वारा आदेशित/विवादित देय राशि और उस पर ब्याज, यदि कोई हो।

11 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) को नॉन–गोइंग कंसर्न धारणा के रूप में अवशिष्ट/वसूली योग्य मूल्य पर बताया गया है।

आइटम को नष्ट करने और हटाने और उस साइट को पुर्नस्थापित करने की लागत का प्रारंभिक अनुमान जिस पर वह स्थित है, वह दायित्व जिसके लिए कंपनी या तो पीपीई प्राप्त होने पर या किसी विशेष अवधि के दौरान पीपीई का उपयोग करने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है। उस अवधि के दौरान सूची तैयार करने के अलावा। कंपनी ने मान्यता का लागत मॉडल चुना है और यह मॉडल पीपीई की पूरी श्रेणी पर लागू होता है।

12 बिक्री के लिए रखी गई गैर–चालू परिसंपत्तियाँ

कंपनी एक गैर–चालू परिसंपत्ति (या निपटान सहायक कंपनी) को बिक्री के लिए वर्गीकृत करती है यदि इसकी वहन

राशि निरंतर उपयोग के बजाय मुख्य रूप से बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जाएगी। बिक्री के लिए रखी गई गैर–चालू परिसंपत्ति (या निपटान सहायक कंपनी) को उसकी वहन राशि और बेचने की लागत घटाकर उचित मूल्य के निचले स्तर पर मापा जाता है।

13 मूल्यह्रास

वित्त वर्ष 2020–21 तक, कुल कामकाजी जीवन और बचाव मूल्य के संबंध में तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर उपयोगी जीवन के अनुसार सीधी रेखा विधि पर मूल्यह्रास प्रदान किया गया था। ऐसी सभी वस्तुओं पर मूल्यह्रास उनके 'उपयोग के लिए उपलब्ध' होने की तारीख से लेकर बिक्री/निपटान की तारीख तक प्रदान किया गया है और इसमें अमूर्त संपत्तियों और लीज होल्ड संपत्तियों का परिशोधन शामिल है।

पीपीई की एक वस्तु को निपटान पर या जब संपत्ति के निरंतर उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ उत्पन्न होने की उम्मीद नहीं है, तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाती है। कैलकुलेटर, दीवार घड़ी, रसोई के बर्तन आदि जैसी कुछ वस्तुएं जिनका उपयोगी जीवन बहुत सीमित है, उनसे खरीद के वर्ष में सीधे राजस्व में शुल्क लिया जाता है। परिसंपत्तियों का बचाव मूल्य निम्नानुसार लिया जाता है :–

संपत्ति विवरण	बचाव मूल्य (रुपये)
मोबाइल	20
एयर कंडीशनर	500
कंप्यूटर	500
फर्नीचर	50
बिजली के उपकरण	50
5000/–रुपये से कम कोई अन्य	1

कुल कार्यशील जीवन और बचाव मूल्य के संबंध में तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, अचल परिसंपत्तियों को नीचे उल्लिखित निम्नलिखित उपयोगी जीवनों पर सीधी रेखा विधि पर मूल्यह्रास किया जा रहा है :–

संपत्ति का विवरण	वर्षों में
भूमि और भवन	20
फर्नीचर और फिक्सिंग	5
कार्यालय उपकरण	3
एयर कंडीशनर	5
डेटा प्रोसेसिंग उपकरण – कंप्यूटर और सेवर आदि	3
वाहनों	5
श्रव्य दृश्य उपकरण	3

5,000 रुपये या उससे कम की लागत वाली संपत्ति खरीद के वर्ष में मूल्यह्रास 100% है, जिसमें संपत्ति के कामकाजी जीवन पर विचार किए बिना प्रत्येक 1/– का टोकन मूल्य छोड़ दिया जाता है, ताकि वित्तीय रिकॉर्ड में परिसंपत्तियों के अस्तित्व का पता लगाया जा सके।

अमूर्त संपत्ति सॉफ्टवेयर का परिशोधन 3 वर्ष या लाइसेंस अवधि, जो भी पहले लागू हो

क. हालाँकि, वर्ष के लिए, पीपीई की सभी वस्तुओं का मूल्यांकन उसके निपटान/बचाव मूल्य पर किया जाता है और कोई मूल्यह्रास प्रदान नहीं किया जा रहा है।

ख. पीपीई के बुक वैल्यू और निपटान/बचाव मूल्य के बीच अंतर को लाभ और हानि लेखा में दर्षाया जा रहा है।

14 ऋण लागत

कंपनी उधार लेने की लागत का पूंजीकरण करती है जो परिसंपत्ति की लागत के एक हिस्से के रूप में योग्य परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए सीधे जिम्मेदार होती है। कंपनी अन्य उधार लागतों को उस अवधि में व्यय के रूप में पहचानती है जिसमें वह उन्हें लेती है। एक योग्य परिसंपत्ति एक ऐसी परिसंपत्ति है जिसे अपने इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने में आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लगता है

विदेशी मुद्रा लेन–देन

कार्यात्मक मुद्रा के अलावा अन्य मुद्राओं में लेनदेन की तारीखों पर प्रचलित विनिमय दरों पर मान्यता प्राप्त है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, विदेशी मुद्राओं में मूल्यांकित मौद्रिक वस्तुओं को उस तारीख पर प्रचलित दरों पर पुनः अनुवादित किया जाता है। विदेशी मुद्राओं में अंकित उचित मूल्य पर ले जाए जाने वाले गैर–मौद्रिक वस्तुओं को उचित मूल्य निर्धारित होने की तारीख में प्रचलित दरों पर फिर से अनुवादित किया जाता है। विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के संदर्भ में मापी जाने वाली गैर–मौद्रिक वस्तुओं का पुनः अनुवाद किया जाता है। विदेशी मुद्रा मौद्रिक वस्तुओं (अतिदेय वसूली योग्य को छोड़कर जहां विश्वसनीयता अनिश्चित है) को इंड एएस –21 में परिभाषित समापन दर का उपयोग करके परिवर्तित किया जाता है। गैर–मौद्रिक वस्तुओं को लेनदेन की तारीख पर विनिमय दर का उपयोग करके रिपोर्ट किया जाता है। वर्ष के अंत की तारीख के अनुसार विनिमय अंतर लाभ/हानि को लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है। अचल संपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित विदेशी मुद्रा में देयता को समापन दर का उपयोग करके परिवर्तित किया जाता है। विनिमय में अंतर को लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

15 मालसूची –

इन्वेंट्री को लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य से कम पर बताया जाता है। निवल वसूली योग्य मूल्य इन्वेंट्री के लिए अनुमानित बिक्री मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है, जो पूरा होने की अनुमानित लागत और बिक्री करने के लिए आवश्यक लागत से कम है। लागत और मूल्यांकन के निर्धारण की विधि निम्नानुसार हैः

i. कंपनी द्वारा रखे गए स्टॉक को सर्वेक्षकों और प्रबंधन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित/प्रमाणित किया जाता है।

ii. गैर–सरकारी खाते में रखे गए व्यापार में स्टॉक का मूल्य लागत से कम या निवल वसूली योग्य मूल्य पर लगाया जाता है। लागत में खरीद की लागत और मूल्यांकन के समय स्टॉक को स्थिति में लाने के लिए किए गए सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत शामिल हैं। व्यावसायिक सहयोगियों के साथ बैक टू बैक व्यवस्था पर हैंडल की गई मदों के संबंध में विशिष्ट पहचान पद्धति के अनुसार लागत निर्धारित की जाती है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन सरकारी खाते में रखे गए व्यापार में रखे गए स्टॉक का मूल्य वसूली योग्य मूल्य पर लगाया जाता है ।

16 प्रावधानों

प्रावधानों को मान्यता दी जाती है जब कंपनी के पास अतीत की घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान और भविष्य का दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है, यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और दायित्व की राशि के लिए एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

17 आकस्मिक देयताएं/संपत्तियां

<u>आकस्मिक देयताएं :–</u>

आकस्मिक देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है, लेकिन खातों के नोट्स में इसका खुलासा तब किया जाता है जब

कंपनी पर पिछली घटनाओं के कारण संभावित दायित्व होता है और दायित्व का अस्तित्व भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने पर निर्भर करता है जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं।

आकस्मिक देनदारियों का लगातार मूल्यांकन यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि क्या आर्थिक संसाधनों का बहिर्वाह संभावित हो गया है। यदि बहिर्वाह संभावित हो जाता है तो वित्तीय विवरणों में सापेक्ष प्रावधान को मान्यता दी जाती है। जहां एक इकाई संयुक्त रूप से और अलग–अलग दायित्व के लिए उत्तरदायी है, दायित्व का वह हिस्सा जिसे अन्य पार्टियों द्वारा पूरा करने की उम्मीद है, उसे आकस्मिक देयता के रूप में माना जाता है। इकाई दायित्व के उस हिस्से के लिए एक प्रावधान को मान्यता देती है जिसके लिए आर्थिक लाभ को शामिल करने वाले संसाधनों का बहिर्वाह संभव है, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों को छोड़कर जहां कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, खातों का हिस्सा बनाने वाले सामान्य नोट्स में आकस्मिक देनदारियों का खुलासा किया जाता है।

आकस्मिक संपतियां :–

आकस्मिक संपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है। ऐसी आकस्मिक परिसंपत्तियों का लगातार मूल्यांकन किया जाता है और जब आर्थिक लाभ का प्रवाह संभावित हो जाता है तो नोट्स में इसका खुलासा किया जाता है। यदि यह वस्तुतः निश्चित है कि आर्थिक लाभ का प्रवाह उत्पन्न होगा तो ऐसी परिसंपत्तियों और सापेक्ष आय को वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाएगी।

18 कर्मचारी लाभ

i. अल्पकालिक कर्मचारी लाभों को लेखांकन अवधि में उनकी अछूती राशि पर व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें कर्मचारी ने सेवाएं प्रदान की हैं।

ii. ग्रेच्युटी का प्रावधान, अवकाश नकदीकरण/उपलब्धता, कर्मचारी पारिवारिक लाभ योजना का प्रावधान अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

पुर्नमापन, जिसमें बीमांकिक लाभ और हानि, परिसंपत्ति सीमा में परिवर्तन (यदि लागू हो) और ग्रेच्युटी (ब्याज को छोड़कर) के लिए योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न शामिल है, उस अवधि में अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त शुल्क या क्रेडिट के साथ वित्तीय स्थिति के विवरण में तुरंत परिलक्षित होता है। अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त पुनरू माप तुरंत बरकरार आय में परिलक्षित होता है और इसे लाभ या हानि के विवरण में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।

(I) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभों के लिए देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जाती है और वर्तमान और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में प्रदान की गई है।

(ii) भविष्य निधि सहित परिभाषित योगदान योजना के तहत कर्मचारियों के लाभ को योजना में योगदान करने के लिए कंपनी के अछूते दायित्व के आधार पर मान्यता दी गई है। वेतन के संवितरण के आधार पर एक अलग ट्रस्ट के माध्यम से प्रशासित निधि को इसका भुगतान किया जाता है।

(iii) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना/स्वैच्छिक पृथक्करण योजना/छंटनी प्रतिपूत पर अनुग्रह राशि और नोटिस पे का भुगतान किए गए वर्ष में राजस्व के लिए प्रभारित किया जाता है।

(iv) सेवानिवृत्ति योजना, एक परिभाषित योगदान योजना भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा प्रशासित की जाती है। कंपनी प्रत्येक पात्र कर्मचारी के वेतन के एक निर्दिष्ट प्रतिशत के आधार पर योगदान करती है। अल्पकालिक कर्मचारी लाभ दायित्वों को एक रियायती आधार पर मापा जाता है और संबंधित सेवा प्रदान किए जाने के रूप में व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है। पीआरपी योजना के तहत भुगतान की जाने वाली राशि के लिए एक देयता को मान्यता दी जाती है, यदि कंपनी के पास कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा के परिणामस्वरूप इस राशि का भुगतान करने के लिए वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व है और दायित्व का विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है।

19 कराधान आयकर व्यय वर्तमान में देय कर और स्थगित कर की राशि दर्शाता हैं :–

<u>चालू कर</u>

वर्तमान में देय कर वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। कर योग्य लाभ, कर से पहले लाभ से भिन्न होता है

जैसा कि लाभ या हानि के विवरण में बताया गया है और आय या व्यय की वस्तुओं के कारण लाभ या हानि का अन्य व्यापक आय /लाभ या हानि का विवरण जो अन्य वर्षों में कर योग्य या कटौती योग्य हैं और आइटम जो कभी भी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं हैं। कंपनी के वर्तमान कर की गणना उन कर दरों का उपयोग करके की जाती है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किए गए हैं।

आस्थगित कर

आस्थगित कर को वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि और कर योग्य लाभ की गणना में उपयोग किए जाने वाले संबंधित कर आधारों के बीच अस्थायी अंतर पर मान्यता प्राप्त है।

आस्थगित कर देनदारियों को आम तौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता प्राप्त है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को आम तौर पर सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिसके खिलाफ उन कटौती योग्य अस्थायी मतभेदों का उपयोग किया जा सकता है। ऐसी स्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है यदि अस्थायी अंतर लेनदेन में संपत्ति और देनदारियों की प्रारंभिक मान्यता (एक व्यवसाय संयोजन के अलावा) से उत्पन्न होता है जो न तो कर योग्य लाभ और न ही लेखांकन लाभ को प्रभावित करता है। इसके अलावा, स्थगित कर देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है यदि अस्थायी अंतर सद्भावना की प्रारंभिक मान्यता से उत्पन्न होता है। ऐसे निवेशों और हितों से जुड़े कटौती योग्य अस्थायी मतभेदों से उत्पन्न आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभव है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ होंगे, जिसके खिलाफ अस्थायी अंतर के लाभों का उपयोग किया जा सकता है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा की जाती है और इस हद तक कम कर दिया जाता है कि यह अब संभव नहीं है कि संपत्ति के सभी या हिस्से को पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे। आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों को कर दरों पर मापा जाता है जो उस अवधि में लागू होने की उम्मीद की जाती है जिसमें देयता का निपटान किया जाता है या संपत्ति का एहसास होता है, कर दरों (और कर कानूनों) के आधार पर जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित किए गए हैं। वर्ष के लिए वर्तमान और आस्थगित कर वर्तमान और आस्थगित कर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जब वे उन वस्तुओं से संबंधित होते हैं जो अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त होती हैं, जिस स्थिति में, वर्तमान और आस्थगित कर को क्रमशः अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में भी मान्यता प्राप्त है। जहां वर्तमान कर या आस्थगित कर एक व्यापार संयोजन के लिए प्रारंभिक लेखांकन से उत्पन्न होता है, कर प्रभाव व्यापार संयोजन के लिए लेखांकन में शामिल होता है।

20 निवेश संपत्ति

निवेश संपत्तियां किराये और /या पूंजीगत प्रशंसा (ऐसे उद्देश्यों के लिए निर्माणाधीन संपत्ति सहित) अर्जित करने के लिए आयोजित संपत्तियां हैं। निवेश गुणों को शुरू में लागत पर मापा जाता है, जिसमें लेनदेन लागत भी शामिल है। किराये कमाने या पूंजी प्रशंसा उद्देश्यों के लिए परिचालन पट्टों के तहत आयोजित कंपनी के सभी संपत्ति हितों को निवेश संपत्तियों के रूप में माना जाता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, कंपनी लागत पर निवेश संपत्ति को मापती है।

एक निवेश संपत्ति निपटान पर या जब निवेश संपत्ति स्थायी रूप से उपयोग से वापस ले ली जाती है और निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है। संपत्ति की मान्यता रद्द करने पर उत्पन्न होने वाला कोई भी लाभ या हानि (शुद्ध निपटान आय और संपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में गणना की जाती है) को उस अवधि में लाभ या हानि में शामिल किया जाता है जिसमें संपत्ति की मान्यता रद्द कर दी जाती है। निवेश संपत्तियों को संपत्ति के वर्ग के अनुसार मूल्यह्रास किया जाना चाहिए जो वह है और संपत्ति का जीवन कंपनी में संपत्ति के उसी वर्ग के लिए कल्पना की जाएगी।

21 गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

कंपनी पूरे एक संयंत्र की परिसंपत्तियों को कैश जनरेटिंग यूनिट (सीजीयू) के रूप में मानते हुए हानि संकेतकों, यदि कोई हो, का पता लगाने के उद्देश्य से प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर अपनी परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा करती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है, जो शुद्ध बिक्री मूल्य और उपयोग में मूल्य से अधिक है। एक हानि हानि को तब पहचाना जाता है जब किसी संपत्ति की वहन राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है।

जहां एक हानि बाद में उलट जाती है, संपत्ति (या नकदी पैदा करने वाली इकाई) की वहन राशि को इसकी वसूली योग्य राशि के संशोधित अनुमान तक बढ़ा दिया जाता है, ताकि बढ़ी हुई वहन राशि उस वहन राशि से अधिक न हो जो निर्धारित की गई होती यदि पूर्व वर्षों में संपत्ति (या नकदी–उत्पादक इकाई) के लिए कोई हानि नहीं पहचानी गई होती। हानि के प्रत्यावर्तन को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है।

22 वित्तीय दस्तावेज

वित्तीय परिसंपत्तियों को तब मान्यता दी जाती है जब वित्तीय संपत्ति के स्वामित्व के पर्याप्त जोखिम और पुरस्कार हस्तांतरित किए जाते हैं। ऐसे मामलों में जहां वित्तीय परिसंपत्तियों के स्वामित्व के पर्याप्त जोखिम और पुरस्कार न तो स्थानांतरित किए जाते हैं और न ही बनाए रखे जाते हैं, वित्तीय परिसंपत्तियों को केवल तभी मान्यता दी जाती है जब कंपनी ने वित्तीय संपत्ति पर नियंत्रण बनाए नहीं रखा हो। प्रारंभिक मान्यता के बाद, गैर–व्युत्पन्न वित्तीय साधनों को नीचे वर्णित के रूप में मापा जाता है:

नकदी और नकद के समतुल्य

नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजनों के लिए, नकदी और नकद समकक्षों में बैंकों में नकदी और बैंकों के साथ मांग जमा शामिल हैं। वित्तीय स्थिति के विवरण में, बैंक ओवरड्राफ्ट को वर्तमान देनदारियों के भीतर उधार के तहत प्रस्तुत किया जाता है।

ऋण और प्राप्य

ऋण और प्राप्तियां निश्चित या अपरिवर्तनीय भुगतान के साथ गैर–व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियां हैं जिन्हें सक्रिय बाजार में उद्धृत नहीं किया जाता है। उन्हें वर्तमान परिसंपत्तियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, रिपोर्टिंग तिथि के 12 महीने बाद परिपक्व होने वालों को छोड़कर, जिन्हें गैर–वर्तमान संपत्ति के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ऋण और प्राप्तियों को शुरू में उचित मूल्य और सीधे लेन–देन लागत पर पहचाना जाता है और बाद में प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है, कम से कम हानि हानि। ऋण और प्राप्तियों में व्यापार प्राप्तियां, बिना बिल वाले राजस्व और अन्य संपत्तियां शामिल हैं।

कंपनी ऐतिहासिक भुगतान पैटर्न, ग्राहक सांद्रता, ग्राहक क्रेडिट–योग्यता और वर्तमान आर्थिक रुझानों का विश्लेषण करके प्राप्य खातों की गैर–संग्रहणीयता का अनुमान लगाती है। यदि किसी ग्राहक की वित्तीय स्थिति बिगड़ती है, तो अतिरिक्त भत्ते की आवश्यकता हो सकती है।

व्यापार और अन्य देनदारियां

व्यापार और अन्य देय को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, और बाद में प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करके परिशोधन लागत पर ले जाया जाता है। इन वित्तीय लिखतों के लिए, इन लिखतों की अल्पकालिक परिपक्वता के कारण वहन राशि अनुमानित उचित मूल्य है।

23 विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव

डेरिवेटिव को उचित मूल्य पर पहचाना और मापा जाता है। आय के विवरण में जिम्मेदार लेनदेन लागत को लागत के रूप में मान्यता दी जाती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, व्युत्पन्न वित्तीय साधनों को नीचे वर्णित अनुसार मापा जाता है

नकदी प्रवाह हेज के रूप में नामित व्युत्पन्न हेजिंग साधन के उचित मूल्य में परिवर्तन को अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त है और नकदी प्रवाह हेजिंग रिजर्व, करों का शुद्ध, इक्विटी का एक घटक, इस हद तक रखा जाता है कि हेज प्रभावी है। इस हद तक कि हेज अप्रभावी है, उचित मूल्य में परिवर्तन को आय के विवरण में पहचाना जाता है और विदेशी मुद्रा लाभ / (नुकसान) के भीतर रिपोर्ट किया जाता है, परिचालन गतिविधियों के परिणामों के भीतर शुद्ध रूप से। यदि हेजिंग इंस्ट्रूमेंट हेज अकाउंटिंग के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो हेज अकाउंटिंग को भावी प्रभाव से बंद कर दिया जाता है। नकदी प्रवाह हेजिंग रिजर्व में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को संबंधित पूर्वानुमानित लेनदेन की घटना पर आय के विवरण में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यदि पूर्वानुमानित लेनदेन अब होने की उम्मीद नहीं है, तो इस तरह के संचयी शेष को तुरंत आय के विवरण में मान्यता दी जाती है।

उधारों से संबंधित विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न लिखतों के निपटान पर उचित मूल्य और लाभ/(हानि) में परिवर्तन, जिन्हें हेज के रूप में नामित नहीं किया गया है, वित्त व्यय में दर्ज किए जाते हैं।.

24 पूर्व अवधि की त्रुटियाँ

पूर्व अवधि से संबंधित भौतिक राशि की त्रुटियों का खुलासा एक नोट द्वारा किया जाता है जिसमें पूर्व अवधि की त्रुटियों की प्रकृति, प्रत्येक ऐसी पूर्व अवधि के सुधार की मात्रा, व्यावहारिक सीमा तक, प्रति शेयर मूल और पतला आय में परिवर्तन के साथ पूर्वव्यापी रूप से प्रस्तुत की जाती है। हालाँकि, जहां किसी विशेष अवधि के लिए पूर्वव्यापी पुनर्कथन व्यावहारिक नहीं है, तो वे परिस्थितियाँ जो उस स्थिति के अस्तित्व का कारण बनती हैं और त्रुटि को कैसे और कहाँ से ठीक किया गया है, इसका विवरण नोट्स टू अकाउंट्स में दिया गया है।

कंपनी की गतिविधियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, पिछली अवधि की त्रुटियों को महत्वपूर्ण माना जाता है यदि आयध्व्यय की वस्तुएं सामूहिक रूप से (शुद्ध) कंपनी के बिक्री कारोबार के 0.5% से अधिक हों।

लेखांकन नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण निर्णय, धारणाएँ और अनुमान

पट्टों का वर्गीकरण

वित्त पट्टे या परिचालन पट्टे के रूप में पट्टे की व्यवस्था का वर्गीकरण कई कारकों के आकलन पर आधारित है, जिसमें पट्टे की अवधि के अंत में पट्टे पर दी गई संपत्ति के स्वामित्व का हस्तांतरण, पट्टेदार के खरीदने का विकल्प और ऐसे विकल्प के प्रयोग की अनुमानित निश्चितता, संपत्ति के आर्थिक जीवन के लिए पट्टे की अवधि का अनुपात शामिल है, न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य का अनुपात पट्टे पर दी गई परिसंपत्ति के उचित मूल्य और पट्टे पर दी गई परिसंपत्ति की विशिष्ट प्रकृति की सीमा।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की मान्यता

किस हद तक आस्थगित कर परिसंपत्तियों को पहचाना जा सकता है, यह कंपनी की भविष्य की कर योग्य आय की संभावना के आकलन पर आधारित है जिसके विरुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियों का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, किसी भी कानूनी या आर्थिक सीमा के प्रभाव का आकलन करने में महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है।

मालसूची

कंपनी सबसे अधिक वसूली योग्य साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए इन्वेंट्री की लागत का अनुमान लगाती है, प्रबंधन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उपलब्ध सबसे विश्वसनीय साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, इन्वेंट्री के शुद्ध वसूली योग्य मूल्यों का भी अनुमान लगाता है। इन इन्वेंट्री की भविष्य की प्राप्ति बाजार–संचालित परिवर्तनों से प्रभावित हो सकती है जो भविष्य में बिक्री कीमतों को कम कर सकती है।

परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ)

कर्मचारी लाभ दायित्वों को बीमांकिक मान्यताओं के आधार पर मापा जाता है जिसमें मृत्यु दर और निकासी दरों के साथ–साथ छूट दरों में भविष्य के विकास, चिकित्सा लागत रुझान, भविष्य में वेतन वृद्धि की प्रत्याशा और मुद्रास्फीति दर से संबंधित धारणाएं शामिल हैं। कंपनी का मानना है कि उसके दायित्वों को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली धारणाएँ उचित हैं। हालाँकि, इन मान्यताओं में किसी भी बदलाव का परिणामी गणना पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

प्रावधान और आकस्मिकताएँ

प्रावधानों और आकस्मिकताओं को पहचानने में किए गए मूल्यांकन भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 37, 'प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक संपत्ति' के अनुसार किए गए हैं। आकस्मिक घटनाओं की संभावना का मूल्यांकन संभावित नुकसान के जोखिम की संभावना के संबंध में प्रबंधन द्वारा सर्वोत्तम निर्णय के रूप में लागू किया जाता है। मूल्यह्रास योग्य/परिशोधन योग्य संपत्तियों का उपयोगी जीवन (मूर्त और अमूर्त)

प्रबंधन परिसंपत्तियों की अपेक्षित उपयोगिता के आधार पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मूल्यह्रास/परिशोधन योग्य परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के अपने अनुमान की समीक्षा करता है। इन अनुमानों में अनिश्चितताएं वास्तविक सामान्य टूट–फूट से संबंधित हैं जो संयंत्र और उपकरण की उपयोगिता को बदल सकती हैं।

25 वित्तीय देनदारियाँ और इक्विटी दस्तावेज

ऋण या इक्विटी के रूप में वर्गीकरण

एक कंपनी द्वारा जारी किए गए ऋण और इक्विटी लिखतों को संविदात्मक व्यवस्था के सार और वित्तीय देयता और इक्विटी साधन की परिभाषाओं के अनुसार या तो वित्तीय देनदारियों के रूप में या इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इक्विटी दस्तावेज

एक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कोई भी अनुबंध है जो किसी इकाई की सभी देनदारियों को काटने के बाद उसकी संपत्ति में अवशिष्ट ब्याज का प्रमाण देता है। कंपनी द्वारा जारी किए गए इक्विटी लिखतों को प्रत्यक्ष निर्गम लागतों को शुद्ध रूप से प्राप्त आय पर मान्यता दी जाती है।

कंपनी के अपने इक्विटी उपकरणों की पुनर्खरीद को सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त और कटौती की जाती है। कंपनी के अपने इक्विटी लिखतों की खरीद, बिक्री, निर्गम या रद्दीकरण पर लाभ या हानि में कोई लाभ या हानि नहीं मानी जाती है।

संयुक्त वित्तीय संसाधन

कंपनी द्वारा जारी किए गए संयुक्त वित्तीय संसाधन (परिवर्तनीय नोट्स) के घटक भागों को संविदात्मक व्यवस्था के सार और वित्तीय देयता और इक्विटी साधन की परिभाषाओं के अनुसार वित्तीय देनदारियों और इक्विटी के रूप में अलग–अलग वर्गीकृत किया जाता है। एक रूपांतरण विकल्प जो कंपनी के अपने इक्विटी उपकरणों की एक निश्चित संख्या के लिए एक निश्चित मात्रा में नकदी या किसी अन्य वित्तीय संपत्ति के आदान–प्रदान द्वारा तय किया जाएगा, एक इक्विटी साधन है।

निर्गम की तारीख पर, देयता घटक के उचित मूल्य का अनुमान समान गैर–परिवर्तनीय लिखतों के लिए प्रचलित बाजार ब्याज दर का उपयोग करके लगाया जाता है। इस राशि को रूपांतरण पर या साधन की परिपक्वता तिथि पर समाप्त होने तक प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करके परिशोधन लागत के आधार पर देयता के रूप में मान्यता दी जाती है।

26 राजस्व मान्यता

आईएनडी एएस 115 ग्राहक अनुबंधों से राजस्व की पहचान और ऐसे राजस्व की पहचान की मात्रा और समय पर प्रभाव को संबोधित करता है।

चूंकि कंपनी गैर लाभकारी कारोबार वाले संस्थान है, अतः इस लेखा के लिए कोई नीति अपेक्षित नहीं हैं।

पी. ई. सी. लिमिटेड
लेखाओं की टिप्पणियां
31 मार्च 2024 तक वित्तीय विवरण के भाग बनाने वाले टिप्पणियां

टिप्पणी : 2 सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण

(लाख रुपये में)

विवरण	बिल्डिंग	कंप्यूटर	फर्नीचर एवं फिक्सचर	कार्यालय उपकरण	वाहन	कुल
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष						
सकल वहन राशि	20.00	212.00	120.00	214.00	41.00	607.00
1 अप्रैल 2018 के रूप में मानित लागत	20.00	212.00	120.00	214.00	41.00	607.00
योग		-	1.00	1.00	-	2.00
घटाइए	-	5.00	-	6.00	-	11.00
31 मार्च 2018 तक सकल वहन राशि	20.00	207.00	121.00	209.00	41.00	598.00
संचित मूल्यह्रास :						
1 अप्रैल 2018 को संचित मूल्यह्रास	19.00	204.00	117.00	205.00	41.00	586.00
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास प्रभारित		3.00	1.00	5.00	-	9.00
वर्ष के दौरान विलोपन	-	4.00	-	6.00	-	10.00
अंतिम संचित	19.00	203.00	118.00	204.00	41.00	585.00
31 मार्च 2019 तक निवल वहन राशि	1.00	4.00	3.00	5.00	-	13.00
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष						
सकल वहन राशि	20.00	204.00	160.00	165.00	41.00	590.00
1 अप्रैल 2019 के रूप में मानित लागत	20.00	204.00	160.00	165.00	41.00	590.00
योग	-	-	-	-	-	-
हटाने	1.00	3.00	-	3.00	-	7.00
31 मार्च 2019 तक सकल वहन राशि	19.00	201.00	160.00	162.00	41.00	583.00
संचित मूल्यह्रास :						
1 अप्रैल 2019 को संचित मूल्यह्रास	19.00	202.00	157.00	163.00	41.00	582.00
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास प्रभारित	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान विलोपन	1.00	3.00	-	3.00	-	7.00
अंतिम संचित	18.00	199.00	157.00	160.00	41.00	575.00
31 मार्च 2020 तक निवल वहन राशि	1.00	200.00	3.00	2.00	-	206.00

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष						
सकल वहन राशि	20.00	204.00	160.00	165.00	41.00	590.00
1 अप्रैल 2020 के रूप में मानित लागत	20.00	204.00	160 .00	165.00	41.00	590.00
योग	-	-	-	-	-	-
हटाने	-	160.00	100.00	145.00	-	405.00
31 मार्च 2020 तक सकल वहन राशि	20.00	44.00	60.00	20.00	41.00	185.00
संचित मूल्यह्रास :						
1 अप्रैल 2020 को संचित मूल्यह्रास	19.00	203.00	160.00	165.00	41.00	588.00
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास प्रभारित	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान विलोपन	-	160.00	100.00	145.00	-	405.00
अंतिम संचित	19.00	43.00	60.00	20.00	41.00	183.00
31 मार्च 2021 तक निवल वहन राशि	1.00	1.00	-	-	-	2.00

नोट 2.1 कंपनी ने पिछले जीएएपी के अनुसार मापे गए इंड एएस में संक्रमण की तारीख के अनुसार वित्तीय विवरण में मान्यता प्राप्त अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मूल्य को जारी रखने के लिए अपनाया है।

नोट 2.2 बिल्डिंग में नीलम गुलजार कोपरेटिव हाउसिंग सोसाईटी लिमिटेड अंधेरी ईस्ट मुंबई में पीईसी के स्वामित्व वाले तीन फ्लैट, चेन्नई के पार्सन टॉवर एग्मोर में दो फ्लैट शामिल हैं।

नोट 2.3 दिनांक 08–09–2021 की वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार संपत्तियों का बाजार मूल्य 20 करोड़ रुपये है।

नोट 2.4 वित्त वर्ष 2021–22 के लिए पीपीई की शुरुआती शेष राशि को ''बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति''के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

नोट 2.5 अचल संपत्तियों के मालिकाना हक के दस्तावेज कंपनी के नाम पर रखे गए हैं।

पी. ई. सी. लिमिटेड
लेखाओं की टिप्पणियां

टिप्पणी : 3 अमूर्त परिसंपत्तियां

(लाख रुपये में)

विवरण	कुल
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष	
सकल वहन राशि	10.00
1 अप्रैल 2018 के रूप में मानित लागत	10.00
जोड़	
विलोप	
31 मार्च 2018 तक सकल वहन राशि	10.00
संचित मूल्यह्रास	
1 अप्रैल 2018 को संचित मूल्यह्रास	5.00
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास प्रभारित	5.00
वर्ष के दौरान विलोपन	
31 मार्च 2018 को अंतिम संचित मूल्यह्रास	10.00
31 मार्च 2019 तक निवल वहन राशि	-
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	
सकल वहन राशि	10.00
1 अप्रैल 2019 के रूप में मानित लागत	10.00
जोड़	
विलोप	
31 मार्च 2019 तक सकल वहन राशि	10.00
संचित मूल्यह्रास	
1 अप्रैल 2019 को संचित मूल्यह्रास	10.00
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास प्रभारित	-
वर्ष के दौरान विलोपन	
31 मार्च 2020 को अंतिम संचित मूल्यह्रास	10.00
31 मार्च 2020 तक निवल वहन राशि	-
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	
सकल वहन राशि	10.00
1 अप्रैल 2020 के रूप में मानित लागत	10.00
जोड़	
विलोप	
31 मार्च 2020 तक सकल वहन राशि	10.00
संचित मूल्यह्रास	
1 अप्रैल 2020 को संचित मूल्यह्रास	10.00
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास प्रभारित	-
वर्ष के दौरान विलोपन	
31 मार्च 2021 को अंतिम संचित मूल्यह्रास	10.00
31 मार्च 2021 तक निवल वहन राशि'	-

*31–03–2022 को अमूर्त संपत्ति का डब्ल्यूडीवी 1500/– रुपये है। नॉन गोइंग कंसर्न आधार पर आधारित लेखांकन नीति के अनुसार 01–04–2021 से पहले "अमूर्त संपत्ति" के अंतर्गत समूहीकृत सभी संपत्तियां अब "बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति" के रूप में अन्य मौजूदा परिसंपत्तियों में स्थानांतरित कर दी गई हैं।

सॉफ्टवेयर का मूल खरीद मूल्य (जीवनकाल के लिए 61 माइक्रोसोफ्ट लाइसेंस) 0.08 करोड़ रुपये है।

पी. ई. सी. लिमिटेड
लेखाओं की टिप्पणियां

टिप्पणी : 4 निवेश संपत्ति

(लाख रुपये में)

विवरण	कुल
1 अप्रैल, 2019 को अनुमानित लागत	15.21
वृद्धि	-
निपटान/समायोजन	-
31 मार्च, 2020 तक सकल वहन मूल्य	15.21
1 अप्रैल, 2019 को संचित मूल्यह्रास	15.21
वृद्धि	-
निपटान/समायोजन	-
31 मार्च, 2020 तक संचित मूल्यह्रास	15.21
31 मार्च, 2020 तक निवल वहन मूल्य	-
1 अप्रैल, 2020 तक सकल वहन मूल्य	15.21
वृद्धि	-
निपटान/समायोजन	-
31 मार्च, 2021 तक सकल वहन मूल्य	15.21
1 अप्रैल, 2020 को संचित मूल्यह्रास	15.21
वृद्धि	-
निपटान/समायोजन	-
31 मार्च, 2021 तक संचित मूल्यह्रास	15.21
31 मार्च, 2021 तक निवल वहन मूल्य	-
नोट 3.1 निवेश संपत्ति में एशियाड विलेज दिल्ली के फ्लैट शामिल हैं। (आईएनडी एएस 40 के अनुसार संपत्ति को वित्त वर्ष 2017–18 से आईएनडी एएस अपनाने के बाद निवेश संपत्ति के रूप में दिखाया गया है)	

टिप्पणी : 5 वित्तीय संपत्ति –निवेश

(लाख रुपये में)

	विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
	गैर व्यापार निवेश (लागत पर, अनंकित)		
(क)	नीलम गुलजार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, मुंबई (50/– रुपये के 15 साधारण शेयर पूरी तरह से चुकता किए गए)	-	-
	कुल (क)	-	-
(ख)	इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश		
	1) टी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड – सहायक कंपनी (100 रुपये के 11,14,193 इक्विटी शेयर पूरी तरह से चुकता किए गए)	-	-
	कुल (ख)	-	-
	कुल (क)+(ख)	-	-

टिप्पणी – क) नीलम गुलजार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, मुंबई में निवेश का मूल्य 750 रुपये (तीन फ्लैटों के लिए प्रत्येक 250 रुपये) है।

ख) टी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में निवेश का मूल्य 1 रुपये (पिछले वर्ष 1 रुपये) है।

पी. ई. सी. लिमिटेड
लेखाओं की टिप्पणियां

टिप्पणी : 6 वित्तीय संपत्ति – व्यापार प्राप्तियां

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
दीर्घकालिक व्यापार प्राप्तियां (स्थगित क्रेडिट शर्तों पर व्यापार प्राप्तियों सहित)		
प्रतिभूति, उत्तम विचारणीय		
अप्रतिभूति	-	-
i) उत्तम समझा गया	-	-
ii) संदिग्ध व्यापार प्राप्तियां	-	-
iii) संदिग्ध दावे	-	-
कुल	-	-
कम : संदिग्ध व्यापार के लिए प्रावधान		
i) प्राप्तियां	-	-
ii) दावे	-	-
कुल	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी : 7 वित्तीय संपत्ति–ऋण

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
(क) कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम		
सुरक्षित, अच्छा माना जाता है		
कर्मचारियों को दिए गए अग्रिमों पर अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	-	-
	-	-
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	-
(I)	-	-
(ख) सहयोगियों/आपूर्तिकर्ताओं को ऋण और अग्रिम	-	-
सुरक्षित, अच्छा माना जाता है		
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	-
संशयी	-	-
कमरू संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-
(II)	-	-
कुल (I)+(II)		

***कर्मचारियों को दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम में असुरक्षित से देय राशि शामिल है :**

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
निदेशक/अधिकारी	-	-
ब्याज अर्जित हुआ लेकिन अधिकारियों को अग्रिम पर देय नहीं	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी : 8 वित्तीय संपत्ति – अन्य वित्तीय संपत्तियां

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
अग्रिम		
सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	-
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है		
कुल	-	-
कम : संदिग्ध के लिए प्रावधान अग्रिम		
कुल	-	-

पी. ई. सी. लिमिटेड
लेखाओं की टिप्पणियां

टिप्पणी : 9 गैर–वर्तमान संपत्ति अन्य

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
(क) प्रतिभूति जमा		
सुरक्षित	.	.
असुरक्षित	.	.
ख) प्रीपेड व्यय (आईएनडी एएस)	.	.
कुल	.	.

टिप्पणी : 10 मालसूची

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
(प्रबंधन द्वारा प्रमाणित के रूप में)		
(क) हैंडलिंग एजेंटों सहित स्टॉक–इन–ट्रेड	.	.
(ख) माल मार्ग में	.	.
कुल	.	.

टिप्पणी : 11 वित्तीय परिसंपत्ति–व्यापार प्राप्य

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
(क) भुगतान के लिए देय तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया व्यापार प्राप्तियां		
	-	-
(i) सुरक्षित माना जाता है	-	-
(ii) असुरक्षित माना जाता है	3,882.74	4,018.66
(iii) ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होना।	-	
(iv) ऋण बाधित	93,002.51	92,917.51
कुल	96,885.27	96,936.17
कमः संदिग्ध व्यापार प्राप्तियों के लिए प्रावधान	(93,002.51)	(92,917.51)
(I)	3,882.74	4,018.66
(ख) अन्य व्यापार प्राप्तियां		
(i) सुरक्षित माना जाता है	-	-
(ii) असुरक्षित माना जाता है	-	-
(iii) ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होना।	-	-
(iv) ऋण बाधित	-	-
(II)	-	-
कुल (I)+(II)	3,882.74	4,018.66

31 मार्च 2024 को यथास्थिति कारोबार के वसूली योग्य के परिपक्वन की अनुसूची :

(लाख रुपये में)

विवरण	6 महीने से कम	6 महीने – 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
i) अविवादित व्यापार प्राप्तियां – अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	3,882.74	**3,882.74**
ii) अविवादित व्यापार प्राप्तियां – जिनमें क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है						
iii) अविवादित व्यापार प्राप्तियां – क्रेडिट बिगड़ा हुआ	-	-	-	-	11,967.00	**11,967.00**
iv) विवादित व्यापार प्राप्तियां – अच्छा माना जाता है						-
v) विवादित व्यापार प्राप्तियां – जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
vi) विवादित व्यापार प्राप्तियां – क्रेडिट बिगड़ा हुआ	-	-	-	-	81,035.51	**81,035.51**

31 मार्च 2023 को यथास्थिति कारोबार के वसूली योग्य के परिपक्वन की अनुसूची :

(लाख रुपये में)

विवरण	6 महीने से कम	6 महीने – 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
i) अविवादित व्यापार प्राप्तियां – अच्छा माना जाता है	-	-	-	1.00	4,017.66	4,018.66
ii) अविवादित व्यापार प्राप्तियां – जिनमें क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है				-	-	-
iii) अविवादित व्यापार प्राप्तियां – क्रेडिट बिगड़ा हुआ	-	-	-	-	11,967.00	11.967.00
iv) विवादित व्यापार प्राप्तियां – अच्छा माना जाता है						-
v) विवादित व्यापार प्राप्तियां – जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
vi) विवादित व्यापार प्राप्तियां – क्रेडिट बिगड़ा हुआ	-	-	-	-	80,950.51	80,950.51

पी. ई. सी. लिमिटेड
लेखाओं की टिप्पणियां

टिप्पणी : 12 वित्तीय परिसंपत्तियां – नकदी और नकदी समतुल्य

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
(क) नकद और नकद समतुल्य		
(i) नकदी	-	-
(ii) चेक, हस्तगत ड्राफ्ट	-	-
बैंकों के पास शेष राशि	-	-
(i) चालू/नकद ऋण खातों में	138.72	164.97
(ii) जमा खाते में– 3 महीने के भीतर परिपक्वता वाला	-	-
कुल	138.72	164.97
विदेशी बैंक में अवरुद्ध धन के लिए प्रावधान*	(4.07)	(4.07)
कुल (क)	134.64	160.89
(ख) अन्य बैंक बैलेंस		
(i) जमा खातों में		
12 महीने के भीतर परिपक्व होना	5,693.07	631.88
12 महीने के बाद परिपक्व होना	-	5,535.48
कुल (ख)	5,693.07	6,167.36
कुल (कं)+(ख)	5,827.71	6,328.25

* राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक, अल्बेडा, लीबिया के साथ शेष राशि के लिए प्रावधान किया गया क्योंकि यह गैर–प्रतिदेय है।

टिप्पणी : 13 वित्तीय परिसंपत्ति–ऋण

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
(क) कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम *		
प्रतिभूत, अच्छा माना जाता है	0.89	3.64
कर्मचारियों को अग्रिम राशि पर अर्जित राशि लेकिन देय नहीं	10.50	10.09
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	7.07	8.37
कर्मचारियों को अग्रिमों पर अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	19.16	23.48
क्रेडिट बिगड़ा हुआ	61,919.71	61,919.71
कम : संदिग्ध ऋण और अग्रिम के लिए प्रावधान	(61,919.71)	(61,919.71)
अन्य	1.21	1.07
कुल	38.83	46.64

विवरण
* कर्मचारियों को अल्पकालिक ऋण और अग्रिम में निम्नलिखित से देय राशि शामिल है :

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
निदेशक/अधिकारी		
ब्याज अर्जित हुआ लेकिन देय नहीं	-	-
फर्म जिसमें कोई निदेशक भागीदार है (प्रति फर्म विवरण दें)	-	-
निजी कंपनियां जिनमें कोई निदेशक निदेशक या सदस्य है (प्रति कंपनी विवरण दें)	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी : 14 अन्य वित्तीय परिसंपत्ति

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
बैंक जमा पर अर्जित ब्याज	-	-
व्यापार पर ब्याज प्राप्त करने योग्य	-	-
कुल	-	-

पी. ई. सी. लिमिटेड
लेखाओं की टिप्पणियां

टिप्पणी : 15 वर्तमान कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
अग्रिम आयकर (कर के प्रावधान का शुद्ध)	571.35	522.35
विरोध के तहत बिक्री कर जमा	25.00	25.00
विरोध के तहत सेवा कर जमा	57.39	57.39
वैट आंतरिक	3.00	3.03
जीएसटी क्रेडिट प्राप्य	55.86	49.34
कुल	**712.59**	**657.10**

टिप्पणी : 16 अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2024 तक
सुरक्षा जमा		
(I) प्रतिभूति जमा राशियाँ	9.29	9.29
(ii) अन्य जमा राशियाँ	-	-
कुल (क)	9.29	9.29
पूर्व प्रदत्त व्यय (ख)	-	-
आपूर्तिकर्ताओं को ऋण और अग्रिम		
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	-
ग्रेच्युटी ट्रस्ट का बकाया	-	50.75
सीपीएफ ट्रस्ट से देय	-	-
अन्य	35.62	35.62
कुल (ग)	35.62	86.39
कुल (क)+(ख) +(ग)	44.92	95.67

टिप्पणी : 17 इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च 2024 तक		31 मार्च 2023 तक	
	शेयरों की संख्या	करोड़ों रुपये में	शेयरों की संख्या	करोड़ों रुपये में
क) अधिकृत शेयर पूंजी	60,00,000	6,000.00	60,00,000	6,000.00
100 रुपये प्रति शेयर के 6000000 इक्विटी शेयर	60,00,000	6,000.00	60,00,000	6,000.00
(ख) जारी/अभिदान और प्रदत्त शेयर पूंजी	60,00,000	6,000.00	60,00,000	6,000.00
100 रुपये प्रति शेयर के 6000000 इक्विटी शेयर	60,00,000	6,000.00	60,00,000	6,000.00
(ग) सदस्यता प्राप्त और पूरी तरह से भुगतान	60,00,000	6,000.00	60,00,000	6,000.00
100 रुपये प्रति शेयर के इक्विटी शेयर				
कुल	**60,00,000**	**6,000.00**	**60,00,000**	**6,000.00**

जारी किए गए और सब्सक्राइब किए गए इक्विटी शेयरों को कोई अंतर अधिकार प्राप्त नहीं है। कंपनी के पास इक्विटी शेयरों का एक ही वर्ग है। तदनुसार कंपनी की अवशिष्ट परिसंपत्तियों में लाभांश और हिस्सेदारी के संबंध में सभी इक्विटी शेयर समान रूप से रैंक करते हैं।

शेयरों की संख्या का समाशोधन :

(लाख रुपये में)

शेयर पूंजी का वर्ग	खुलने की तिथि 01–04–2023	बोनस शेयर के माध्यम से वर्ष के दौरान जारी किया गया	वर्ष के दौरान वापस खरीदा गया	31–03–2024 को समाप्त
100 रुपये प्रति शेयर का इक्विटी शेयर	60,00,000	-	-	60,00,000
पिछले वर्ष	60,00,000	-	-	60,00,000
5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण	**31 मार्च 2023 तक**		**31 मार्च 2024 तक**	
	शेयरों की संख्या	**धरित शेयरों का %**	**शेयरों की संख्या**	**धरित शेयरों का %**
भारत सरकार	60,00,000	100%	60,00,000	100%

टिप्पणी : 18 अन्य इक्विटी

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
(क) विशेष प्रयोजन व्यापार जोखिम आरक्षित निधि		
अंतिम खातों के अनुसार	-	-
जोड़ें : वर्ष के दौरान अतिरिक्त	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान विनियोग में स्थानांतरित	-	-
अंतिम शेष राशि	-	-
(ख) जनरल रिजर्व		
अंतिम खातों के अनुसार	-	-
जोड़ें : वर्ष के दौरान अतिरिक्त	-	-
घटाएं : लाभ और हानि के विवरण में अधिशेष/(घाटे) में स्थानांतरित	-	-
अंतिम शेष राशि	-	-
(ग) लाभ और हानि के विवरण में अधिशेष		
ओपनिंग बैलेंस	(2,55,597.92)	(2,28,398.05)
कर के बाद चालू वर्ष का लाभ/(हानि)	(33,976.73)	(27,199.87)
विनियोजन :		
पूर्व अवधि समायोजन	-	-
विशेष प्रयोजन ट्रेडिंग जोखिम रिजर्व से स्थानांतरण	-	-
जनरल रिजर्व से स्थानांतरण	-	-
अंतिम शेष राशि	(2,89,574.65)	(2,55,597.92)
कुल (क)+(ख)+(ग)	(2,89,574.65)	(2,55,597.92)

टिप्पणी : 19 दीर्घकालिक प्रावधान

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान (नोट संख्या 40 देखें)		
अर्जित अवकाश	-	-
अर्ध वेतन अवकाश	-	-
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	-	-
कुल	-	-

पी. ई. सी. लिमिटेड
लेखाओं की टिप्पणियां

टिप्पणी : 20 वित्तीय देनदारियां– उधार

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
बैंकों से		
सुरक्षित (इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों के वर्तमान और भविष्य के आधार पर निजीकरण के खिलाफ)	2,46,261.07	2,15,758.54
कुल	**2,46,261.07**	**2,15,758.54**
किसी भी निदेशक द्वारा ऋण की गारंटी नहीं दी गई है। बैंकों से नकद ऋण/ओवरड्राफ्ट/कार्यशील पूंजी मांग ऋण और अन्य के तहत ऋण लिए गए हैं और एक वर्ष के भीतर चुकाया जा सकता है।		

टिप्पणी : 20क व्यापार देय

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
व्यापार देय	**7,274.28**	**7,276.04**
कुल	**7,274.28**	**7,276.04**

31 मार्च 2024 तक

(लाख रुपये में)

विवरण	6 महीने से कम	6 महीने – 1 वर्ष	1 – 2 वर्ष	2 – 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	-	-	0.86	15.93	7,257.49	7,274.28
(iii) विवादित देय राशि– एमएसएमई	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित देय राशि– अन्य	-	-	-	-	-	-

31 मार्च 2023 तक

(लाख रुपये में)

विवरण	6 महीने से कम	6 महीने – 1 वर्ष	1 – 2 वर्ष	2 – 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य			16.80	116.59	7,142.65	7,276.04
(iii) विवादित देय राशि– एमएसएमई	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित देय राशि– अन्य	-	-	-	-	-	-

टिप्पणी : 21 वित्तीय देयताएं

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
(क)अर्जित ब्याज लेकिन व्यापार देय पर देय नहीं	-	-
(बी) अर्जित ब्याज लेकिन उधार पर देय नहीं	-	-
(ग) व्यय के लिए देय	-	-
(घ) अन्य देयताएं	4,301.63	4,301.63
कुल	**4,301.63**	**4,301.63**

पी. ई. सी. लिमिटेड
लेखाओं की टिप्पणियां

टिप्पणी : 22 अल्पावधिक प्रावधान

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
(क) कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान		
(i) रोजगार पश्चात चिकित्सा लाभों के लिए प्रावधान (नोट सं 40 देखें)	1,745.14	1,763.07
(ख) कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान		
(i) अवकाश नकदीकरण का प्रावधान	218.83	165.33
(ग) अन्य		
(i) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत विकास के लिए प्रावधान		
कुल	**1,963.97**	**1,928.40**

टिप्पणी : 23 अन्य वर्तमान देयताएं

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
(i) अन्य देयताएं	246.93	248.96
(ii) भविष्य निधि	7.37	6.54
(iii) प्राप्त व्यापार/प्रतिभूति जमा राशियां	114.37	114.37
(iv) ग्राहकों से मार्जिन मनी	1,005.93	1,005.93
(v) सहयोगियों को देय	16,796.64	16,942.24
(vi) पेंशन बकाया	17.46	15.08
(vii) बैंकिंग देयता	16,055.12	13.137.65
(viii) उपदान न्यास से देय	27.84	-
कुल	**34,271.65**	**31,470.76**

टिप्पणी : 24 वर्तमान कर दायित्व (निवल)

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
सांविधिक विप्रेषण		
I) बिक्री कर/वैट/डब्ल्यूसीटी/जीएसटी	2.04	2.78
ii) टीडीएस / कर रोके रखना	8.98	8.25
कुल	**11.01**	**11.03**

टिप्पणी : 25 प्रचालन से राजस्व

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
(क) उत्पादों की बिक्री [नीचे खंड (i) देखें]	-	-
(ख) अन्य प्रचालन राजस्व [नीचे खंड (ii) देखें]	-	-
कुल	-	-

उत्पादों की बिक्री में शामिल हैं :		
खंड (i) व्यापार की जानी वाली वस्तुएं		
घरेलू बिक्री	-	-
निर्यात बिक्री	-	-
कुल – उत्पादों की बिक्री	-	-
खंड (ii) अन्य प्रचालन राजस्व		
ब्याज आय (व्यापार)	-	-
विविध आय/बैंक प्रभार वसूल	-	-
कुल – अन्य परिचालन राजस्व	-	-

टिप्पणी : 26 अन्य आय

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
(कं) ब्याज आय [नीचे खंड (i) देखें]	356.93	477.64
(ख) अन्य गैर–परिचालन आय [नीचे खंड (ii) देखें]	3.88	10.50
कुल	**360.81**	**488.15**
(i) ब्याज आय		
– जमा राशि पर बैंकों से	355.84	328.05
– अन्य से	1.10	149.58
कुल – ब्याज आय	**356.93**	**477.64**
(ii) विविध आय	0.80	10.50
विविध आय	3.08	-
देयता/ऋण शेष राशि का प्रत्यावर्तन	-	-
कुल – अन्य गैर–परिचालन आय	**3.88**	**10.50**

टिप्पणी : 27क : क्रय

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
क) आयात खरीद	-	-
ख) घरेलू खरीद	-	-
ग) निर्यात के लिए खरीद	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी : 27ख : व्यापारगत स्टॉक की मालसूची में परिवर्तन

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के अंत में माल सूची :	-	-
व्यापार स्टॉक	-	-
वर्ष की शुरुआत में माल सूची :	-	-
व्यापार स्टॉक	-	-
निवल (वृद्धि)/कमी	-	-

पी. ई. सी. लिमिटेड
लेखाओं की टिप्पणियां

टिप्पणी : 28 कर्मचारी लाभ व्यय

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
(क) कर्मचारी लाभ व्यय		
वेतन और भत्ते	471.64	454.27
अवकाश नकदीकरण	12.72	32.33
पेंशन फंड में नियोक्ता का योगदान	30.03	26.03
भविष्य निधि और परिवार का योगदान	43.30	40.38
कल्याणकारी व्यय	-	-
– चिकित्सा व्यय	162.01	135.06
– अन्य	2.53	7.89
– वीआरएस (एक बारगी)		
उपदान	36.63	35.89
कुल (क)	758.86	731.83
(ख) निदेशकों को पारिश्रमिक		
वेतन और भत्ते	-	-
अवकाश नकदीकरण	-	-
पेंशन फंड में नियोक्ता का योगदान	-	-
भविष्य निधि और पारिवारिक का योगदान	-	-
कल्याणकारी व्यय	-	-
– अन्य और चिकित्सा व्यय	-	-
कुल (ख)	-	-
कुल योग (क)+(ख)	758.86	731.83

टिप्पणी : 29 वित्त लागत

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
(क) ब्याज का व्यय :	-	-
बैंकों से लिया गया उधार	33,330.01	27,386.36
कुल	**33,330.01**	**27,386.36**

टिप्पणी : 30 अन्य व्यय

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रशासनिक व्यय		
विज्ञापन और प्रचार	-	-
पुस्तकें और पत्रिकाएँ	-	-
वाहन और कार किराए पर	0.74	-
विद्युत	7.73	8.03
सत्कार आदि	0.86	0.36
बीमा (गैर व्यापार)	2.26	2.50

पट्टा किराया आईटी सर्विसेज	1.46	0.98
कानूनी खर्च	31.55	42.74
विविध व्यय	14.91	22.27
कार्यालय रखरखाव	40.18	40.48
डाक और कूरियर शुल्क	0.07	0.03
मुद्रण और लेखन सामग्री	1.83	1.61
व्यावसायिक/परामर्श शुल्क	0.85	0.50
दर और कर	-	0.60
किराया	35.21	41.48
मरम्मत और नवीकरण (अन्य)		
सुरक्षा शुल्क	-	6.37
सदस्यता और सदस्यता शुल्क		
टेलीफोन और फैक्स	4.08	4.15
यात्रा व्यय (अंतर्देशीय)	1.60	2.45
वाहन चलाना और रखरखाव	-	1.05
ब्याज (अन्य)	0.01	0.08
बैठने का शुल्क		
(I)	143.35	175.76
व्यापार व्यय		
बैंक शुल्क	0.01	0.01
समाशोधन और हैंडलिंग शुल्क	-	-
आयोग	-	-
विनिमय में अंतर	-	(0.50)
एल/सी और परक्रामण शुल्क और अन्य बैंक शुल्क	-	-
अन्य व्यापार व्यय	-	-
(II)	0.01	(0.48)
विवरण	**31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए**	**31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए**
लेखा परीक्षकों को भुगतान		
– वैधानिक लेखा परीक्षा शुल्क	1.77	1.77
– कर लेखा परीक्षा शुल्क	-	-
– प्रमाणन शुल्क		
खर्चों की प्रतिपूर्ति		
(III)	**1.77**	**1.77**
कुल (I)+(II)+(III)	**145.12**	**177.06**

टिप्पणी : 31 अपवादिक मदें (निवल)

(लाख रुपये में)

विवरण	**31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए**	**31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए**
संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान	(90.00)	-
वसूली पर वापस लिखे गए प्रावधान	3.90	502.65
कुल	(86.10)	502.65

पी. ई. सी. लिमिटेड
लेखाओं की टिप्पणियां

टिप्पणी : 32 अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के संघटक

(लाखों रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन		
– अवकाश नकदीकरण	(47.40)	(30.84)
– सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	86.83	92.34
–उपदान	(56.88)	43.08
कुल	**(17.44)**	**104.57**

टिप्पणी : 33 क. वित्तीय पुनः स्थापित :

(लाखों रुपये में)

	विवरण	31–03–2024 की स्थिति के अनुसार	31–03–2023 की स्थिति के अनुसार
क	संदिग्ध ऋण/अग्रिम के लिए प्रावधान	2917.47	2909.50
ख	वसूली हेतु प्रावधान	1.77	1.77
	कुल	2919.24	2911.27

टिप्पणी : 33 ख आकस्मिक देनदारियां :

(लाखों रुपये में)

	विवरण	31–03–2024 की स्थिति के अनुसार	31–03–2023 की स्थिति के अनुसार
क	(i) कंपनी की ओर से बैंकों द्वारा जारी गारंटी	0.00	90.00
	(ii) बैंकों द्वारा नहीं लिया गया ब्याज		
ख	कानूनी मामलों के कारण कंपनी के खिलाफ दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है (कानूनी मामलों को छोड़कर जहां राशि का पता नहीं लगाया जा सकता है)*	5890.00	5354.00
ग	सांविधिक देयताओं के संबंध में मांगें जिनके विरुद्ध कंपनी या संबंधित विभाग ने अपील को प्राथमिकता दी है**	9364.00	8834.00
	कुल	**15254.00**	**14278.00**

* उपरोक्त राशि में से, 25 लाख रुपये हमारे एक सहयोगी द्वारा दायर मध्यस्थता मामले से संबंधित थे, मध्यस्थता पुरस्कार दिनांक 04.09.2019 के अनुसार पीईसी को किसी भी राशि का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, अन्य पक्षकार ने मध्यस्थता निर्णय के विरुद्ध अपील दायर की।

** उपर्युक्त राशि में से, 925 लाख रुपये (पिछले वर्ष 925 लाख रुपये) हमारे किसी सहयोगी से वसूल किए जा सकते हैं यदि कंपनी के खिलाफ मामला तय किया जाता है। उन्होंने कहा, 'राशि कारण बताओ नोटिस/मांग आदेश/डिमांड नोटिस के अनुसार ली जाती है।

टिप्पणी : 34 सहयोगी खातों/दावों प्राप्य/अन्य चालू देनदारियों/ऋणों और अग्रिमों (परिसंपत्तियों) में शेष राशि सुलह/पुष्टिकरण और परिणामी समायोजन के अधीन है जो इस तरह के सामंजस्य पर उत्पन्न हो सकता है।

टिप्पणी : 35 वर्ष के अंत तक विविध देनदारों में 3882.74 लाख रुपये (पिछले वर्ष 4018.66 लाख रुपये) शामिल हैं, जो कि विविध लेनदारों की समान राशि से मेल खाते हैं और उन्हें देनदारों से वसूली के बाद भुगतान किया जाएगा।

टिप्पणी : 36 एमओसी के निर्देशानुसार कंपनी ने सितंबर 2019 से अपना कारोबार बंद कर दिया है। एसोसिएट्स/आपूतकर्ताओं से किसी सूचना के अभाव में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय राशि का पता नहीं लगाया जा सकता है।

टिप्पणी : 37 संबंधित पक्ष लेनदेन :

द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी भारतीय लेखा मानक –24, "संबंधित पक्ष प्रकटीकरण" के प्रावधानों के अनुसार संबंधित पक्षों का खुलासा नीचे किया गया है :

(क) संबंधित पक्षों के नाम और संबंधों का विवरण

मुख्य प्रबंधन कार्मिक

पूर्णकालिक निदेशक		
1	श्री हरदीप सिंह	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) दिनांक 27–10–2022 से
2	श्री कपिल कुमार गुप्ता	निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) दिनांक 12–10–2020 से
अंशकालिक निदेशक		
1	श्री अनूप सिंह	22.03.2021 से सरकार द्वारा नामित निदेशक
2	डॉ. सी. वनलालरामसांगा	22.03.2021 से सरकार द्वारा नामित निदेशक
मुख्य प्रबंधन कार्मिक		
1	श्री अतुल तनेजा	मुख्य वित्तीय अधिकारी 22.01.2024 से
2	श्री धनंजय कुमार	मुख्य वित्तीय अधिकारी 23.03.2024 से
3	श्रीमती श्वेता पाहुजा	कंपनी सचिव (अनुबंध पर) दिनांक 17.12.2021 से

(ख) उपर्युक्त पूर्णकालिक निदेशकों को पारिश्रमिक का भुगतान कंपनी के नियमों के अनुसार कंपनी द्वारा किया गया था। प्रमुख प्रबंधन कामकों और उनके संबंधियों को दिए गए/अर्जित किए गए इस तरह के पारिश्रमिक और अन्य सभी भुगतान/लाभ निम्नानुसार हैं :

तथापि, वर्ष के दौरान निदेशक और अंशकालिक निदेशकों को कोई वेतन नहीं दिया गया है।

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	वर्ष समाप्त 2023–24	वर्ष समाप्त 2022–23
1.	मुख्य प्रबंधन कार्मिक	24.00	15.00
2.	भविष्य निधि और परिवार का योगदान	1.00	1.00
3.	अन्य अनुलाभ और लाभ	1.00	1.00
	कुल	26.00	17.00

(ग) मैसर्स टी ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (टीटीसीआईएल) कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 28 मार्च, 2003 के अपने आदेश द्वारा मैसर्स स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन (एसटीसी) से अलग कर दिया था। टीटीसीआईएल पहले से ही परिसमापन के अधीन था, जब इसे पीईसी की सहायक कंपनी बनाया गया था और एसटीसी से अलग होने पर कंपनी को संपत्ति और देनदारियों आदि का कोई विवरण प्रदान नहीं किया गया था। कंपनी का अपनी सहायक कंपनी यानी टीटीसीआईएल पर कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए, यह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के तहत समेकित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने में असमर्थ है।

(घ) कंपनी एमएमटीसी के लीजहोल्ड परिसर का उपयोग कर रही है और 2023–24 के दौरान 57 लाख रुपये के वार्षिक किराए का भुगतान किया है।

टिप्पणी : 38 प्रति शेयर आय (ईपीएस) :

	विवरण	वर्ष समाप्त 2023–24	वर्ष समाप्त 2022–23
क	वर्ष के लिए लाभ/(हानि), जो कंपनी के मालिकों के कारण (करोड़ में)	(33976.73)	(27199.87)
ख	अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की समायोजित भारित औसत संख्या (शेयरों की संख्या)	60,00,000	60,00,000
ग	मूल एवं ह्रासित ईपीएस (क/ख) (रु)	(56627.88)	(45333.12)
घ	वर्ष के लिए लाभ/(हानि), जो कंपनी के मालिकों के कारण (करोड़ में)	(33976.73)	(27199.87)
ड़	अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की समायोजित भारित औसत संख्या (शेयरों की संख्या)	60,00,000	60,00,000
च	मूल एवं ह्रासित ईपीएस (क/ख) (रु)	(56627.88)	(45333.12)

टिप्पणी : 39 आस्थगित कर :

द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी भारतीय लेखा मानक –12 के अनुपालन में, कंपनी ने वर्ष के अंत में घाटे को आगे बढ़ाया है, जिसके परिणामस्वरूप आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध) हुई हैं। कंपनी ने विवेकपूर्ण आधार पर विलंबित कर परिसंपत्तियों (शुद्ध) का हिसाब नहीं दिया है, क्योंकि इसके पास इसकी भरपाई के लिए भविष्य में कर योग्य आय उत्पन्न करने की आभासी निश्चितता नहीं है।

टिप्पणी : 40 कर्मचारी लाभ :

भारतीय लेखा मानक – 19 "कर्मचारी लाभ" के अनुसार, भारतीय लेखा मानक में परिभाषित प्रकटीकरण नीचे दिए गए हैं :

परिभाषित योगदान योजनाएं

वर्ष के लिए व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त परिभाषित योगदान योजनाओं में योगदान निम्नानुसार है :

(लाख रुपये में)

विवरण	वर्ष समाप्त 2023–24	वर्ष समाप्त 2022–23
भविष्य निधि और पेंशन निधि में नियोक्ता का योगदान	43.30	40.38
पीईसी परिभाषित अंशदान सुपर अधिवार्षिकी निधि में नियोक्ता का अंशदान	30.03	26.03

कंपनी की भविष्य निधि को कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 17 के तहत छूट प्राप्त है। कंपनी का दायित्व निश्चित योगदान करना और सरकार द्वारा निर्दिष्ट सदस्यों के लिए वापसी की न्यूनतम दर सुनिश्चित करना है। कुल ब्याज अर्जन और संचयी अधिशेष सांविधिक ब्याज भुगतान अपेक्षा से कम होगा, तथापि, भविष्य निधि न्यास के लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने और लेखा परीक्षा किए जाने तक इस स्तर पर इसकी मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

परिभाषित लाभ योजना

क. उपदान

कर्मचारी ग्रेच्युटी फंड योजना एक परिभाषित लाभ योजना के तहत ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित ग्रेच्युटी अधिनियम के अनुसार है। दायित्व का वर्तमान मूल्य अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जो सेवा की प्रत्येक अवधि को कर्मचारी लाभ पात्रता की अतिरिक्त इकाई को जन्म देने के रूप में मान्यता देता है और अंतिम दायित्व का निर्माण करने के लिए प्रत्येक इकाई को अलग से

मापता है। बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार बही–खातों में ग्रेच्युटी के लिए देयता को मान्यता दी गई है।

ख. सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)

कंपनी के पास सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ) है जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके जीवनसाथी को सूचीबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वे कंपनी द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन बाह्य रोगी के रूप में भी उपचार का लाभ उठा सकते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभों को बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार पुस्तकों में मान्यता दी जाती है।.

ग. अवकाश

कंपनी कंपनी के कर्मचारियों को अर्जित अवकाश (ईएल) और आधा वेतन अवकाश (एचपीएल) लाभ प्रदान करती है जो क्रमशः 30 दिनों और 20 दिनों पर सालाना अर्जित होती है। अनुशासनिक आधार के अलावा सेवा से सेवानिवृत्ति/समाप्ति के समय अवकाश को भुनाने की अधिकतम सीमा 300 दिनों (ईएल और एचपीएल संयुक्त) तक सीमित होगी। 15 दिनों की न्यूनतम शेष छुट्टियों को छोड़ते हुए सेवा के दौरान एक वर्ष में दो बार ई.एल. का नकदीकरण प्राप्त किया जा सकता है। यह योजना वित्तपोषित नहीं है और इसके लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी गई है।.

घ. पेंशन

कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसरण में अपने मौजूदा कर्मचारियों के लिए अंशदान पेंशन योजना को परिभाषित किया है। इस संबंध में पीईसी कर्मचारी परिभाषित योगदान सेवानिवृत्ति पेंशन ट्रस्ट का गठन किया गया है। इस योजना के तहत नियोक्ता का योगदान पात्र कर्मचारियों के मूल प्लस वीडीए का 9% है और ट्रस्ट के धन का प्रबंधन एलआईसी द्वारा किया जाता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए एक कर्मचारी को न्यूनतम 15 वर्षों की अवधि के लिए ट्रस्ट का सदस्य होना चाहिए। यदि कर्मचारी 15 वर्ष पूरा होने से पहले कंपनी छोड़ देता है, तो ब्याज के साथ केवल कर्मचारी योगदान देय होता है। हालांकि, यह शर्त उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होती है जो समान पेंशन योजना वाले अन्य सीपीएसई में शामिल होते हैं।

i). लाभ और हानि, ओसीआई और बैलेंस शीट के विवरण में मान्यता प्राप्त विभिन्न परिभाषित लाभों की संक्षिप्त स्थिति :

(लाख रुपये में)

विवरण		उपदान	अवकाश	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ
		(वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)
परिभाषित लाभ दायित्व	सी.वाई.	408.82	218.83	1745.14
	पी.वाई.	311.16	165.32	1763.07
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	सी.वाई.	26.80	0.00	0.00
	पी.वाई.	24.09	0.00	0.00
वित्त पोषित स्थिति (अधिशेष/कमी)	सी.वाई.	(408.82)	(218.83)	(1745.14)
	पी.वाई.	(311.16)	(165.32)	(1763.07)
निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्तियां /(देयताएं)	सी.वाई.	(408.82)	(218.83)	(1745.14)
	सी.वाई.	(311.16)	(165.32)	(1763.07)

ii). परिभाषित लाभ दायित्व में प्रभाव :

(लाख रुपये में)

विवरण		उपदान (वित्त पोषित)	अवकाश (गैर–वित्त पोषित)	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (गैर–वित्त पोषित)
परिभाषित लाभ दायित्व – वर्ष की शुरुआत	सी.वाई.	311.16	165.32	1763.07
	पी.वाई.	345.17	162.44	1806.80
पिछले सेवा लागत	सी.वाई.	0.00	0.00	0.00
	पी.वाई.	0.00	0.00	0.00
वर्तमान सेवा लागत	सी.वाई.	17.00	14.02	4.92
	पी.वाई.	16.92	11.63	5.68
ब्याज लागत	सी.वाई.	22.84	12.13	129.41
	पी.वाई.	24.71	11.63	129.37
भुगतान किए गए लाभ	सी.वाई.	(16.37)	(20.04)	(65.44)
	पी.वाई.	(45.52)	(50.65)	(86.45)
पुनरू माप – एक्ट्यूरियल लॉस / (लाभ)	सी.वाई.	74.19	47.39	(86.82)
	पी.वाई.	(30.11)	30.82	(92.32)
परिभाषित लाभ दायित्व – वर्ष का अंत	सी.वाई.	408.82	218.83	1745.14
	पी.वाई.	311.16	165.32	1763.07

iii). योजना परिसंपत्तियों में उतार–चढ़ाव :

(लाख रुपये में)

विवरण		उपदान (वित्त पोषित)
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य – वर्ष की शुरुआत	सी.वाई.	24.09
	पी.वाई.	52.86
ब्याज आय	सी.वाई.	1.77
	पी.वाई.	3.78
कर्मचारियों का योगदान	सी.वाई.	0.00
	पी.वाई.	0.00
भुगतान किए गए लाभ	सी.वाई.	(16.37)
	पी.वाई.	(45.52)
पुनः माप – एक्ट्यूरियल (हानि) / लाभ	सी.वाई.	17.31
	पी.वाई.	12.96
पुनः माप – योजना परिसंपत्तियों पर वापसी छूट दर से अधिक / (कम)	सी.वाई.	0.00
	पी.वाई.	0.00
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य – वर्ष के अंत	सी.वाई.	26.80
	पी.वाई.	24.09

iv). लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त राशि

(लाख रुपये में)

विवरण		उपदान	अवकाश	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ
		(वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)
विगत सेवा लागत	सी.वाई.	0.00	0.00	0.00
	पी.वाई.	0.00	0.00	0.00
वर्तमान सेवा लागत	सी.वाई.	17.00	14.02	4.92
	पी.वाई.	16.91	11.07	5.68
सेवा लागत {क}	सी.वाई.	17.00	14.02	4.92
	पी.वाई.	16.91	11.07	5.68
निवल परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) {ख} पर निवल ब्याज	सी.वाई.	21.07	12.13	129.41
	पी.वाई.	20.92	11.63	129.37
दायित्व पर प्रोद्भवन (लाभ)/हानि {ग}	सी.वाई.	0.00	47.39	(86.82)
	पी.वाई.	0.00	30.83	(92.33)
लाभ और हानि लेखा में मान्य लागत {क+ख+ग}	सी.वाई.	38.07	73.55	47.51
	पी.वाई.	37.85	53.52	42.72

v). ओसीआई में मान्यता प्राप्त राशि :

(लाख रुपये में)

विवरण		उपदान	अवकाश	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ
		(वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)
डीबीओ अनुभव के कारण प्रोद्भवन लाभ /(हानि)	सी.वाई.	74.18	0.00	86.82
	पी.वाई.	30.11	0.00	92.33
उक्त अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाला प्रोद्भवन लाभ/(हानि)	सी.वाई.	19.07	0.00	0.00
	पी.वाई.	16.75	0.00	0.00
छूट दर की अपेक्षा योजनागत परिसंपत्तियों पर अधिक/(कम) लाभ	सी.वाई.	17.31	0.00	0.00
	पी.वाई.	12.96	0.00	0.00
ओसीआई में मान्यता प्राप्त प्रोद्भवन लाभ /(हानि)	सी.वाई.	(56.87)	0.00	86.82
	पी.वाई.	43.08	0.00	92.33

vi). संवेदनशीलता विश्लेषण :

(लाख रुपये में)

पूर्वधारण	धारणा में परिवर्तन	उपदान	छोड़ना	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ
		(वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)
छूट दर	**0.50%**	**(7.28)**	**(4.05)**	**(62.48)**
	(0.50%)	**6.52**	**4.19**	**61.63**
वेतन वृद्धि दर	**0.50%**	**6.16**	**4.20**	**0.00**
	(0.50%)	**(6.86)**	**(4.09)**	**0.00**
चिकित्सा लागत दर	**0.50%**	**0.00**	**0.00**	**61.74**
	(0.50%)	**0.00**	**0.00**	**(62.68)**

vii). प्रोद्भवन पूर्वधारणा

(लाख रुपये में)

विवरण		उपदान	अवकाश	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ
		(वित्त पोषित) / (गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)
प्रयुक्त पद्धति		अनुमानित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी) विधि	अनुमानित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी) विधि	अनुमानित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी) विधि
छूट दर	सी.वाई.	7.40%	7.23%	7.23%
	पी.वाई.	7.34%	7.34%	7.34%
वेतन वृद्धि की दर	सी.वाई.	6.40%	6.40%	-
	पी.वाई.	6.40%	6.40%	-
मृत्यु दर	सी.वाई.	100% of IALM (2012-14)	100% of IALM (2012-14)	100% of IALM (2012-14)
	पी.वाई.	100% of IALM (2012-14)	100% of IALM (2012-14)	100% of IALM (2012-14)

viii). संभावित लाभ भुगतान

(लाख रुपये में)

भुगतान का वर्ष	उपदान	अवकाश	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ
	(वित्त पोषित)	(गैर वित्त पोषित)	(गैर वित्त पोषित)
मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	93.88	65.65	146.07
मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	56.66	35.34	22.81
मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	58.55	30.82	19.51
मार्च, 2027 को समाप्त वर्ष	36.29	21.22	12.72
मार्च, 2028 को समाप्त वर्ष	34.11	22.63	11.33
मार्च, 2029 को समाप्त वर्ष	18.85	12.38	6.39
अप्रैल 2029 से	44.97	30.75	1526.29

ix). योजना परिसंपत्तियों में निवेश की श्रेणी

(लाख रुपये में)

निवेश की श्रेणी	योजना परिसंपत्ति के उचित मूल्य का प्रतिशत	
	2023-24	**2022-23**
भारत सरकार की प्रतिभूतियां	**21.75**	**34.11**
सार्वजनिक क्षेत्र की प्रतिभूतियां	-	-
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	-	-
विशेष जमा	**1.51**	**1.59**
अन्य (बैंक बैलेंस सहित)	**76.74**	**64.30**

टिप्पणी : 41 दिनांक 31.03.2024 और 31.03.2023 तक विदेशी मुद्रा का प्रकटन शून्य है :

टिप्पणी : 42 विदेशी मुद्रा आय और व्यय की जानकारी निम्नानुसार है :

(लाख रुपये में)

विवरण	वर्ष समाप्त 2023–24	वर्ष समाप्त 2022–23
विदेशी मुद्रा में व्यय		
आयातित सामग्री का सीआईएफ/एफओबी मूल्य	0.00	0.00
विदेशी दौरे	0.00	0.00
अन्य खर्च	0.00	0.00
कुल	**0.00**	**0.00**
विदेशी मुद्रा में अर्जन		
निर्यात का एफओबी मूल्य	0.00	0.00
कुल	**0.00**	**0.00**

टिप्पणी : 43 इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी भारतीय लेखा मानक 108 – सेगमेंट रिपोर्टिंग के संदर्भ में, कंपनी ने प्राथमिक रिपोर्टिंग सेगमेंट के रूप में व्यावसायिक खंडों की पहचान की है, जो आयात, निर्यात और घरेलू हैं। द्वितीयक खंडों की पहचान भौगोलिक स्थिति के आधार पर की जाती है, जैसा कि भारत और विदेशों में है। ब्यौरा अनुपत्र क में दिया गया है।

टिप्पणी : 44 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानक 36– परिसंपत्तियों की हानि के अनुसार कंपनी ने परिसंपत्तियों की हानि का आकलन किया है और इस बात की पुष्टि की है कि वर्ष के दौरान कोई हानि नहीं हुई है।

टिप्पणी : 45 समय–समय पर यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों का अनुपालन किया गया है। कंपनी के पास बड़ी संख्या में लेनदेन और विविध गतिविधियां हैं, जिसने उक्त नियमों का सख्ती से पालन करने में परिचालन बाधाओं को डाल दिया है। कंपनी की लेखा नीतियों में विचलन, यदि कोई हो, का उल्लेख किया गया है।

टिप्पणी : 46 बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार 31–03–2024 की स्थिति के अनुसार सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) और आधे वेतन और अर्जित अवकाश के संबंध में दायित्व का वर्तमान मूल्य 1964 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1928 लाख रुपये) है और तदनुसार आईडीएएस–19 के संदर्भ में देयता का सृजन किया गया है। कंपनी ने न तो अपना निवेश निर्धारित किया है और न ही इस उद्देश्य के लिए कोई कोष बनाया है।.

टिप्पणी : 47 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत निर्धारित सीमा से अधिक आपूर्तिकर्ताओं/सहयोगियों को दिए गए ऋण और अग्रिम के लिए कंपनी को अपने शेयरधारकों से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना था। कंपनी ने अपनी 44 वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी प्राप्त की है और क्षेत्रीय निदेशक द्वारा इसे संयोजित किया हैं।

टिप्पणी : 48 भारतीय लेखा मानक –37 के संदर्भ में प्रावधानों का समाधान निम्नानुसार है:–

(लाख रुपये में)

प्रावधान का विवरण	01–04–2023 को प्रारंभिक शेष राशि	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान समायोजन	31–03–2024 को अंतिम शेष राशि
कराधान का प्रावधान*	522.35	49.00	-	571.35
अवकाष नकदीकरण	165.33	53.50	-	218.83
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ के लिए प्रावधान	1763.07	143.45	161.38	1745.14

* निवल कर योग्य हानि को देखते हुए चालू वर्ष के लिए कोई कर प्रावधान नहीं किया गया है।

टिप्पणी : 49 जीआर–1 प्रपत्रों के संबंध में 1 मामलों में नियत तिथि से अधिक बकाया विदेशी क्रेता (पाईसेस, हांगकांग) के परिसमापन में जाने के कारण है। कंपनी ने समयावधि/छूट/बट्टे खाते में डालने के लिए प्राधिकृत डीलर के पास आवेदन दायर किया था। आवेदन पर निर्णय लंबित होने के कारण, देयता, यदि कोई हो, का पता नहीं लगाया जा सकता है।

टिप्पणी :50 कंपनी ने मूल्यह्रास के बजाय तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर मूल्यह्रास लिया है जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ii के **भाग सी** में कहा गया है। कंपनी ने नॉन–गोइंग कंसर्न के प्रावधानों के अनुपालन में चालू वर्ष में मूल्यह्रास का प्रभार नहीं लिया है।

टिप्पणी : 51 पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्वर्गीकृत/पुनर्वर्जित/पुनर्गठित किया गया है और उन्हें वर्तमान वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए उपयुक्त रूप से तैयार किया गया है।

टिप्पणी : 52 वित्तीय जोखिम प्रबंधन, उद्देश्य और नीतियां

कंपनी की गतिविधियाँ इसे निम्नलिखित वित्तीय जोखिमों में उजागर करती हैं:

– बाजार जोखिम

– क्रेडिट जोखिम और

– तरलता जोखिम।

कंपनी ने ऐसे फंड की व्यवस्था नहीं की है जिसमें ब्याज दर का कोई जोखिम हो।

:क) बाजार जोखिम

(I) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी के पास आयात और निर्यात लेनदेन है और इसलिए मुख्य रूप से यूएस $ के संबंध में विदेशी मुद्रा जोखिम है। कंपनी ने लंबी अवधि की उधारी के जरिए धन की व्यवस्था नहीं की है। बैंकों से लिए गए

अल्पकालिक विदेशी मुद्रा ऋण (खरीदार ऋण) निश्चित ब्याज दर उधार हैं। नतीजतन, कंपनी के पास कोई ब्याज दर जोखिम नहीं है। कंपनी विदेशी मुद्रा जोखिम में अपने जोखिम को हेज करने के लिए विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंधों का उपयोग करती है। कंपनी का विदेशी मुद्रा प्राप्त/देय के संबंध में कोई एक्सपोजर नहीं है क्योंकि हानि/लाभ एसोसिएट आपूतकर्ता/ग्राहक के खाते में होता है, सिवाय मुकदमेबाजी निपटान के प्रावधान के प्रावधान के, जहां मामला अभी भी विवाद में है। इसके अलावा कंपनी ने सहयोगी के जोखिम और लागत पर देय के संबंध में विनिमय अनुबंधों को आगे बढ़ाया है।

निम्नलिखित तालिकाएं में व्यक्त वित्तीय साधनों से विदेशी मुद्रा जोखिम के लिए कंपनी के जोखिम के बारे में मात्रात्मक डेटा का सारांश दिखाती हैं :

(31 मार्च, 2024 लाख रुपये में)

विवरण	अमेरिकी डॉलर (आईएनआर के बराबर)	अन्य मुद्राएं (आईएनआर के बराबर)	कुल
नकद और नकद समतुल्य	-	-	-
प्राप्य व्यापार	-	-	-
विलंब शुल्क/ प्रेषण प्राप्य	-	-	-
अन्य प्राप्य	-	-	-
विदेशी मुद्रा में कुल प्राप्य	-	-	-
देय विदेशी मुद्रा ऋण	-	-	-
देय विदेशी मुद्रा ऋण पर ब्याज	-	-	-
व्यापार देय	-	-	-
विलंब शुल्क/प्रेषण देय	-	-	-
मुकदमेबाजी निपटान की दिशा में प्रावधान	-	-	-
अन्य	-	-	-
विदेशी मुद्रा में कुल देय	-	-	-

(31 मार्च, 2023 लाख रुपये में)

विवरण	अमेरिकी डॉलर (आईएनआर के बराबर)	अन्य मुद्राएं (आईएनआर के बराबर)	कुल
नकद और नकद समतुल्य	-	-	-
प्राप्य व्यापार	-	-	-
विलंब शुल्क/ प्रेषण प्राप्य	-	-	-
अन्य प्राप्य	-	-	-
विदेशी मुद्रा में कुल प्राप्य	-	-	-
देय विदेशी मुद्रा ऋण	-	-	-
देय विदेशी मुद्रा ऋण पर ब्याज	-	-	-
व्यापार देय	-	-	-
विलंब शुल्क/प्रेषण देय	-	-	-
मुकदमेबाजी निपटान की दिशा में प्रावधान	-	-	-
अन्य	-	-	-
विदेशी मुद्रा में कुल देय	-	-	-

सुग्राह्यता :

31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 तक, हमारी कार्यात्मक मुद्रा की तुलना में संबंधित विदेशी मुद्राओं की प्रत्येक 1% वृद्धि या कमी क्रमशः लगभग शून्य करोड़ रुपये और शून्य करोड़ रुपये तक कर पूर्व लाभ को प्रभावित करेगी।

क) मूल्य जोखिम

इक्विटी प्रतिभूतियों के मूल्य जोखिम में कंपनी का निवेश शून्य है। इसलिए, इसका लाभ या हानि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

ख) ऋण जोखिम

क्रेडिट जोखिम एक प्रतिपक्ष द्वारा अपने दायित्व पर चूक के जोखिम को संदर्भित करता है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय नुकसान होता है। रिपोर्टिंग तिथि पर क्रेडिट जोखिम का अधिकतम जोखिम मुख्य रूप से व्यापार प्राप्तियों से होता है। तदनुसार, व्यापार प्राप्तियों से क्रेडिट जोखिम का मूल्यांकन निम्नलिखित पैराग्राफ में अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों से अलग से किया गया है।

व्यापार प्राप्तियां

कंपनी का बकाया व्यापार प्राप्तियां ज्यादातर 3882.74 लाख रुपये (पी/वाई 4018.66 लाख रुपये) के लेनदारों के माध्यम से सुरक्षित हैं। ।

व्यापार प्राप्तियों पर हानि को इंडएएस 109 के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित क्रेडिट हानि के आधार पर मान्यता दी जाती है। ग्राहकों के लिए कंपनी का ऐतिहासिक अनुभव, वर्तमान आर्थिक स्थिति और ग्राहकों का वर्तमान प्रदर्शन, उद्योग के लिए भविष्य के दृष्टिकोण आदि को अपेक्षित क्रेडिट हानि के प्रयोजनों के लिए ध्यान में रखा जाता है।

साख जोखिम प्रदर्शन

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर व्यापार प्राप्तियों की आयु का विश्लेषण निम्नानुसार संक्षेपित किया गया है :

(31 मार्च, 2024 लाख रुपये में)

विवरण	सकल राशि	हानि	विवरण
पिछला बकाया नहीं	-	-	-
30 दिनों से कम पिछला बकाया	-	-	-
30 दिनों से अधिक परंतु 60 दिनों से कम पिछला बकाया	-	-	-
60 दिनों से अधिक परंतु 90 दिनों से कम पिछला बकाया	-	-	-
90 दिनों से अधिक परंतु 120 दिनों से कम पिछला बकाया	-	-	-
120 दिना से अधिक पिछला बकाया	**96885.26**	**93002.51**	**3882.74**
कुल	**96885.26**	**93002.51**	**3882.74**

(31 मार्च, 2023 लाख रुपये में)

विवरण	सकल राशि	हानि	विवरण
पिछला बकाया नहीं	-	-	-
30 दिनों से कम पिछला बकाया	-	-	-
30 दिनों से अधिक परंतु 60 दिनों से कम पिछला बकाया	-	-	-
60 दिनों से अधिक परंतु 90 दिनों से कम पिछला बकाया	-	-	-
90 दिनों से अधिक परंतु 120 दिनों से कम पिछला बकाया	-	-	-
120 दिना से अधिक पिछला बकाया	**96936.17**	**92917.51**	**4018.66**
कुल	**96936.17**	**92917.51**	**4018.66**

व्यापार प्राप्तियां तब बिगड़ी होती हैं जब व्यक्तिगत व्यापार प्राप्तियों के लिए कंपनी द्वारा किए गए वसूली विश्लेषण के आधार पर वसूली को संदिग्ध माना जाता है।

अन्य वित्तीय संपत्तियां

नकदी और नकद समतुल्य से संबंधित क्रेडिट जोखिम को नगण्य माना जाता है क्योंकि हमारे प्रतिपक्ष बैंक हैं। हम अनुसूचित बैंकों के साथ सावधि जमाओं की क्रेडिट गुणवत्ता को अच्छा मानते हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक की नियामक निगरानी के अधीन हैं, और हम निरंतर आधार पर इन बैंकिंग संबंधों की समीक्षा करते हैं। कर्मचारी ऋण से संबंधित क्रेडिट जोखिम को नगण्य माना जाता है क्योंकि हाउस बिल्डिंग लोन, वाहन ऋण जैसे प्रमुख ऋण उस संपत्ति के खिलाफ सुरक्षित होते हैं जिसके लिए कर्मचारियों को ऋण दिया जाता है। अन्य कर्मचारी ऋण संबंधित कर्मचारियों की व्यक्तिगत गारंटी के साथ–साथ अन्य सेवारत कर्मचारियों के जमानती बांड के तहत कवर किए जाते हैं। इन वित्तीय परिसंपत्तियों के खिलाफ एक शिक्षण रिपोर्टिंग तिथि के रूप में कोई हानि प्रावधान नहीं हैं। हम रिपोर्टिंग तिथियों पर उपरोक्त सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को अच्छी क्रेडिट गुणवत्ता का मानते हैं।

ग) तरलता जोखिम

हमारी तरलता की जरूरतों की निगरानी मासिक और वार्षिक अनुमानों के आधार पर की जाती है। कंपनी की तरलता के प्रमुख स्रोत नकदी और नकद समतुल्य हैं, जो परिचालन से उत्पन्न नकदी हैं।

अल्पकालिक तरलता आवश्यकताओं में मुख्य रूप से विविध लेनदार, देय व्यय, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम के दौरान उत्पन्न होने वाले कर्मचारी बकाया शामिल हैं। कंपनी अल्पकालिक तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नकदी और नकद समकक्षों में पर्याप्त संतुलन बनाए रखती है।

कंपनी समय–समय पर दीर्घकालिक तरलता आवश्यकताओं का आकलन करती है और आंतरिक संसाधनों के माध्यम से उनका प्रबंधन करती है।

नीचे दी गई तालिका गैर–व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता के बारे में विवरण प्रदान करती है। यह तालिका अघोषित नकदी प्रवाह के आधार पर तैयार की गई है, ताकि वित्तीय देनदारियों को जल्द से जल्द उस तारीख के आधार पर तैयार किया जा सके जिस पर कंपनी को भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है। तालिका में मूलधन और ब्याज नकद प्रवाह दोनों शामिल हैं।

(31 मार्च, 2024 लाख रुपये में)

विवरण	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष तक	1–3 साल	3–5 साल	5 साल से अधिक	कुल
व्यापार देय	0.00	0.00	16.79	209.19	7048.30	**7274.28**
अल्पकालिक उधार	246261.07	-	-	-	-	**246261.07**
अन्य वित्तीय देनदारियां	4301.63	-	-	-	-	**4301.63**
कुल	250562.70	**0.00**	**16.79**	**209.19**	**7048.30**	**257836.98**

(31 मार्च, 2023 लाख रुपये में)

विवरण	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष तक	1–3 साल	3–5 साल	5 साल से अधिक	कुल
व्यापार देय	0.00	0.00	133.39	112.87	7029.78	7276.04
अल्पकालिक उधार	215758.54	-	-	-	-	215758.54
अन्य वित्तीय देनदारियां	4301.63	-	-	-	-	4301.63
कुल	220060.17	**0.00**	133.39	112.87	7029.78	227336.21

टिप्पणी : 53 प्रचलित पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां :

पट्टे करारों के अनुसार प्राप्य भावी न्यूनतम पट्टा किराए :

विवरण	31–03–2024 की स्थिति के अनुसार	31–03–2023 की स्थिति के अनुसार
1 वर्ष से अधिक नहीं	-	-
1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्षो से कम	-	-
पांच साल से अधिक समय के बाद	-	-

खंड 4: पट्टे को पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों पर दो साल की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

खंड 10: पट्टेदार पट्टेदार की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना किसी भी तरीके से उक्त मृत परिसर के आंशिक या पूर्ण कब्जे के अधीन नहीं होगा। पट्टेदार का अधिकार बिल्कुल गैर–हस्तांतरणीय है।

टिप्पणी : 54 **नोन–गोइंग कंसर्न**

पीईसी गंभीर तरलता संकट का सामना कर रहा है क्योंकि सभी ऋणदाता बैंकों ने कंपनी द्वारा प्राप्त बैंकिंग सीमाओं पर ब्याज का भुगतान नहीं करने के कारण पीईसी के खातों को एनपीए घोषित कर दिया है। कंपनी ने सितंबर 2019 से सभी व्यावसायिक गतिविधियों को बंद कर दिया है। केनरा बैंक (पूर्व में सिंडिकेट बैंक) ने ऋण वसूली ट्रिब्यूनल में बकाया राशि की वसूली के लिए एक आवेदन दायर किया है, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक अतिरिक्त आवेदक हैं। 09.05.2022 को डीआरटी के समक्ष मामला दर्ज किया गया कंपनी मामले को आगे बढ़ा रही है। सुनवाई की अगली तारीख 09.10.2024 है।

कंपनी के निदेशक मंडल ने 31–03–2021 को वित्त वर्ष 2021–22 के लिए नॉन गोइंग कंसर्न के आधार पर खाते तैयार करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। इसलिए वित्त वर्ष 2021–22 से खातों को नॉन गोइंग कंसर्न आधार पर तैयार किया जा रहा है।

टिप्पणी : 55 अपनी 40 वीं वर्षगांठ मनाने के लिए, पीईसी ने सभी कर्मचारियों को सोने के सिक्के वितरित किए थे। तथापि, पीईसी के पास एक सोने का सिक्का सुरक्षित अभिरक्षा में उपलब्ध है क्योंकि कोई दावेदार उपलब्ध नहीं था। आवेदन प्राप्त होने पर पीईसी दावेदार को यह सिक्का देगा।

टिप्पणी : 56 निम्नलिखित अनुपातों का खुलासा किया जाना चाहिए :–

(लाख रुपये में)

विवरण	31-03-2024	31-03-2023
1. वर्तमान अनुपात	0.04	0.04
2. ऋण–इक्विटी अनुपात	(1.04)	(1.04)
3. ऋण सेवा कवरेज अनुपात	(0.11)	(0.11)
4. इक्विटी अनुपात पर रिटर्न	-	-
5. इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात	-	-
6. व्यापार प्राप्य कारोबार राशन	-	-
7. व्यापार देय टर्नओवर राशन	-	-
8. निवल पूंजी कारोबार अनुपात	-	-
9. निवल लाभ अनुपात	-	-
10. नियोजित पूंजी पर वापसी	(0.09)	(0.09)
11. निवेश पर रिटर्न	-	-

1. वर्तमान अनुपातः वर्तमान संपत्ति / देनदारियां, वर्तमान संपत्ति में इन्वेंट्री, व्यापार प्राप्तियां, नकद और नकद समकक्ष, ऋण, अन्य वित्तीय संपत्तियां शामिल हैं। वर्तमान देनदारियों में उधार लेना, व्यापार देय और अन्य वित्तीय देनदारियां शामिल हैं।

2. ऋण–इक्विटी अनुपातः डेबिट / इक्विटी, ऋण में शेयरधारक निधि के अलावा अन्य कुल देनदारियां शामिल हैं

3. डेबिट सेवा कवरेज अनुपातः ईबीआईटी / उधार+ब्याज

4. इक्विटी पर रिटर्न : नेट प्रॉफिट / शेयरधारक फंड

5. इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपातः बेचे गए सोने की लागत / औसत इन्वेंट्री

6. व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपातः शुद्ध क्रेडिट बिक्री / औसत व्यापार प्राप्य

7. व्यापार देय कारोबार अनुपातः क्रेडिट खरीद / औसत व्यापार देय

8. शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपातः टर्नओवर / शेयरधारक निधि

9. निवल लाभ अनुपातः निवल लाभ / कारोबार

10. नियोजित पूंजी पर रिटर्नः ईबीआईटी / शेयरधारक फंड+निवेश पर दीर्घकालिक डेबिट

11. निवेश पर प्रतिलाभ : प्रतिलाभ / निवेश की लागत

टिप्पणी : 57 बेनामी लेनदेन (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

टिप्पणी : 58 बंद कंपनियों के साथ संबंधः

बंद की गई कंपनियों के साथ संबंध कंपनी का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 560 के तहत बंद की गई कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं है।

टिप्पणी : 59 वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान 55.86 लाख रुपये के खर्च को कम करके आंका गया क्योंकि कंपनी ने व्यवसाय संचालन बंद होने के कारण वर्ष के दौरान कोई आउटपुट सेवाएं प्रदान नहीं की है।

टिप्पणी : 60 कंपनी ने वित्त वर्ष 2019–20 से व्यावसायिक गतिविधि बंद कर दी है और कंपनी वित्त वर्ष 2021–22 से नॉन–गोइंग कंसर्न आधार पर खातों की पुस्तकें तैयार कर रही है। कंपनी टैली ईआरपी 9 सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रही है इसलिए ऑडिट ट्रेल में देरी हुई है। ऑडिट ट्रेल को सक्षम करने के लिए पीईसी चालू वर्ष में टैली प्राइम में माइग्रेट हो जाएगा।

टिप्पणी : 61 कंपनी ने वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान वित्तीय विवरणों में आंकड़ों की रिपोर्टिंग को करोड़ से लाख में बदल दिया है, तदनुसार पिछले वर्ष के आंकड़े भी बदलकर लाख हो गए हैं।

टिप्पणी : 62 नोट 1 से 62 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग है, हमारी सम तिथि रिपोर्ट के अनुसार।

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और नोट्स इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

कृते मैसर्स पी. डी. अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन 001049सी

हस्ता/–
सी ए तरूण गुप्ता
पार्टनर
सदस्यता संख्या : 077468

पीईसी लिमिटेड के बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

हस्ता/–
धनंजय कुमार
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ता/–
पी. के जैन
मुख्य महाप्रबंधक

हस्ता/–
श्वेता पाहुजा
कंपनी सचिव
एम : ए27993

हस्ता/–
कपिल कुमार गुप्ता
निदेशक(विपणन)
अतिरिक्त प्रभार
डीआइएन : 08751137

हस्ता/–
हरदीप सिंह
अध्यक्ष सह–प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआइएन : 09778990

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10/09/2024

पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
कार्यालय क्रमांक 214, चाण्क्या कॉम्प्लेक्स
बी,10 –11 Opp. । स्तंभ संख्या 43
लक्ष्मीनगर
नई दिल्ली–110092
ई–मेल : pdco1950@gmail-com

टेलीफैक्स 011-42828005
मोबाइल न0. +91 9415175421
मोबाइल न0. +91 9792103583

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

"पीईसी लिमिटेड" के सदस्यों के लिए

स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

योग्य अभिमत

हमने "पीईसी लिमिटेड" (कंपनी) के साथ स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च, 2024 तक स्टैंडअलोन बैलेंस शीट, लाभ और हानि का स्टैंडअलोन स्टेटमेंट (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का स्टैंडअलोन स्टेटमेंट और समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का स्टैंडअलोन स्टेटमेंट शामिल है। और स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है।

हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन में वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा आवश्यक जानकारी देते हैं, जैसा कि संशोधित ("अधिनियम") इस तरह से आवश्यक है और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण है। 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के मामलों की स्थिति, अन्य व्यापक आय सहित इसके घाटे, इसके नकदी प्रवाह और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन।

योग्य मत हेतु आधार

1. **बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति**

हम नोट नंबर 1 (ii) (बी) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जहां कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2021–22 से गैर–चालू चिंता के आधार पर खातों को तैयार करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। तदनुसार, कंपनी की महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति में परिवर्तन किए गए हैं।

नोट्स टू अकाउंट्स में नोट नंबर 1(11) के अनुसार, यह आगे कहा गया है कि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) को गैर–चालू चिंता की धारणा के आधार पर अवशिष्ट / वसूली योग्य मूल्य पर बताया गया है और पीपीई को "बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति" में स्थानांतरित कर दिया गया है।".

इंड एएस 105"बिक्री के लिए रखी गई गैर–चालू आस्तियां और बंद किए गए प्रचालना" के लिए यह आवश्यक है कि बिक्री के लिए रखे जाने वाले मानदंडों को पूरा करने वाली परिसंपत्ति को वहन राशि और उचित मूल्य से कम मापा जाना चाहिए, बेचने के लिए कम लागत और बैलेंस शीट में अलग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए और बंद किए गए प्रचालनों के परिणाम को लाभ और हानि के विवरण में अलग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

हमने पाया है कि कंपनी ने 31–03–2024 तक "बिक्री के लिए आयोजित संपत्ति" शीर्षक के तहत बनाई गई सभी परिसंपत्तियों के उचित मूल्य का पता लगाने के लिए अभ्यास नहीं किया है, सिवाय 4.00 लाख रुपये (1.00 लाख रुपये के बुक वैल्यू) के आकलन योग्य मूल्य वाली चल संपत्तियों को छोड़कर। कंपनी ने 2000 लाख रुपये (1.00 लाख रुपये का बुक वैल्यू) के आकलन योग्य मूल्य वाली अचल संपत्तियों के मूल्यांकन के लिए 08–07–2021 की मूल्यांकन रिपोर्ट पर भरोसा किया है। इसलिए, इंड एएस 105 की शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता है।

2. हम नोट नंबर 15 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें उन खातों के नोट्स शामिल हैं, जहां बही–खातों के अनुसार जीएसटी क्रेडिट प्राप्य रुपये 55.86 लाख (पी.वाई. रुपये 49.34 लाख) है। बही–खातों में प्राप्त जीएसटी क्रेडिट और जीएसटी पोर्टल के क्रेडिट लेजर में शेष राशि के बीच कोई सामंजस्य नहीं है। हालांकि, कंपनी ने वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान पहले किए गए आईटीसी के दावे को उलट दिया है, जिसका मिलान किया जाना बाकी है

और बही–खातों में दर्ज किया जाना बाकी है।

3. हम स्टैंडअलोन इंडस्ट्रीज के रूप में नोट नंबर 20 ए और नोट 35 पर ध्यान आकर्षित करते हैं वित्तीय वक्तव्यों के रूप में जहां कंपनी के पास बकाया व्यापार देय राशि 7274.28 लाख रुपये है, जिसमें से 3882.74 लाख रुपये की राशि विविध देनदारों के बराबर राशि के साथ मेल खाती है जिसे कंपनी उसी से वसूली पर भुगतान करेगी वही राशि 3 साल से अधिक समय से बकाया है। 3882.74 लाख रुपये की राशि के लिए खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा (एसए) पर मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग के लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ–साथ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त ऑडिट साक्ष्य स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर हमारी योग्य राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

महत्त्वपूर्ण मामले

I. हम स्टैंडअलोन इंडस्ट्रीज के लिए नोट नंबर 33 पर ध्यान आकर्षित करते हैं वित्तीय वक्तव्यों के रूप में, वर्तमान अवधि के दौरान, कंपनी ने वित्तीय देयता के संबंध में पूर्व अवधि की त्रुटि की पहचान की है, जो ए) बैंक ऑफ बड़ौदा (पहले विजया बैंक) द्वारा चार्ज नहीं किए गए ब्याज और बी) वैधानिक लेखा परीक्षा शुल्क के मामले में जिम्मेदार नहीं है, इसलिए इंडस्ट्रीज के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में उचित सुधार किए गए हैं इंडस 8 'लेखा नीतियां, लेखांकन अनुमान और त्रुटियों में परिवर्तन और इंडस्ट्रीज के रूप में' और इंडस 1 'वित्तीय वक्तव्यों की प्रस्तुति' तदनुसार पिछले वर्ष के आंकड़े घोषित किये गये हैं और समीक्षा की गई है।

II. कंपनी को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए जनशक्ति को तर्कसंगत बनाने के लिए छंटनी की प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए कि कंपनी ने सितंबर 2019 से व्यावसायिक संचालन बंद कर दिया है और मुख्य रूप से कानूनी कार्यवाही के माध्यम से बकाया बकाया राशि की वसूली पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इससे कंपनी को लंबे समय में लागत में कटौती करने में काफी मदद मिलेगी।

III. बैंकों के साथ एकबारगी निपटान (ओटीएस) प्रस्ताव– हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, बैंकों ने पीईसी से एक संशोधित ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है क्योंकि मौजूदा प्रस्ताव बकाया राशि के अनुरूप नहीं है। केनरा बैंक (पूर्व में सिंडिकेट बैंक) ने ऋण वसूली न्यायाधिकरण में 2,11,926.92 लाख रुपये (कंपनी द्वारा प्राप्त समन के अनुसार राशि) की बकाया राशि की वसूली के लिए एक आवेदन दायर किया है, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक अतिरिक्त आवेदक हैं। यह मामला 09–05–2022 को डीआरटी के समक्ष स्वीकार किया गया था। कंपनी इस मामले को आगे बढ़ा रही है। मामले की अगली सुनवाई 09–10–2024 है।

IV. कंपनी उन चूककर्ता सहयोगियों से 1,54,932.22 लाख रुपये (वर्ष की शुरुआत में) की बकाया राशि की वसूली का प्रयास कर रही है, जिनके लिए पिछले वर्षों में खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान बनाए गए हैं। लेखा परीक्षा के तहत वर्ष के दौरान केवल 10 लाख रुपये की वसूली की गई है, जो बहुत कम लगता है। हम स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के नोट नंबर 30 पर ध्यान आकर्षित करते हैं, कंपनी ने वर्ष के दौरान 31.55 लाख रुपये के कानूनी खर्चों को बुक किया है।

V. हम स्टैंडअलोन इंडस्ट्रीज एएस वित्तीय वक्तव्यों के लिए नोट नंबर 29 पर ध्यान आकर्षित करते हैं, कंपनी ने 33,330. 01 लाख रुपये की षवित्त लागतष् बुक की है। बैंक ऑफ बड़ौदा (पहले विजया बैंक) को छोड़कर सभी बैंकों ने खातों को एनपीए घोषित किए जाने के बावजूद विधिवत ब्याज लिया है। तदनुसार, 16055.12 लाख रुपये (पिछले वर्ष 13137.65 लाख रुपये) की राशि बैंक ऑफ बड़ौदा (पूर्व में विजया बैंक) द्वारा प्रभारित न की गई ऋण राशि पर देय ब्याज के प्रति अन्य चालू देयता की अनुसूची में परिलक्षित हुई है (नोट सं. 23)।

VI. हम विविध देय / विविध प्राप्य / प्राप्य दावों / ऋण और अग्रिम /अन्य देनदारियों के तहत शेष राशि के संबंध में स्टैंडअलोन इंडस्ट्रीज के रूप में वित्तीय वक्तव्यों के लिए नोट नंबर 34 पर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिनकी पुष्टि नहीं की गई है और परिणामी सामंजस्य के कारण कोई समायोजन, यदि कोई हो, तो आवश्यक नहीं है।

VII- हम स्टैंडअलोन इंडस्ट्रीज एएस वित्तीय विवरणों के नोट नंबर 36 पर ध्यान आकर्षित करते हैं, जहां कंपनी ने 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006' की धारा 22 के तहत आवश्यक अपने सहयोगियों और आपूर्तिकर्ताओं से पुष्टि प्राप्त नहीं की है।

जैसा कि हमें सूचित किया गया है, कंपनी ने 2019–20 से व्यवसाय संचालन बंद कर दिया है और मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यमों (एमएसएमई) से प्राप्त वस्तुओं/सेवाओं के विवरण के संबंध में कोई उचित प्रणाली नहीं है, जिनकी वापसी 22 जनवरी 2019 की अधिसूचना के अनुसार ''निर्दिष्ट कंपनियों (सूक्ष्म और लघु उद्यम आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान के बारे में जानकारी प्रस्तुत करना) आदेश 2019 के अनुसार दाखिल की जानी है। उपर्युक्त अपेक्षित सूचना का रख–रखाव न किए जाने के कारण कंपनी एमएसएमई–1 में आरओसी द्वारा अपेक्षित रिटर्न दाखिल नहीं कर रही है। इसके अलावा, इसके कारण, एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं को लागू ब्याज दर के साथ भुगतान करने में चूक हो सकती है यदि भुगतान 45 दिनों के भीतर नहीं किया जाता है जिसके लिए खाता पुस्तकों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। हम प्रावधान की राशि पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं क्योंकि रिकॉर्ड के रखरखाव के कारण इसका पता नहीं लगाया जा सकता है।

VIII. हम सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) और अर्जित/आधे वेतन अवकाश के संबंध में कर्मचारी लाभ के लिए किए गए प्रावधान के संबंध में स्टैंडअलोन इंडस्ट्रीज के रूप में वित्तीय वक्तव्यों के लिए नोट संख्या 46 पर ध्यान आकर्षित करते हैं। 31 मार्च 2024 को उपरोक्त कर्मचारी लाभों के संबंध में बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार दायित्व का वर्तमान मूल्य 1964.00 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1928.00 लाख) है। कंपनी ने इस उद्देश्य के लिए न तो कोई निवेश निर्धारित किया है और न ही कोई कायिक निधि सृजित की है।

IX. हम स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 49 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो जीआर –1 फॉर्मों के समय का विस्तार न करने/ छूट/ राइट ऑफ के मामले में देयता के गैर–प्रावधान, यदि कोई हो, के संबंध में उत्पन्न होता है। कंपनी इस मामले को प्राधिकारियों के समक्ष उठा रही है।

X. हम वित्त वर्ष 2023–24 से लंबित बिलों को जमा नहीं करने के कारण 54 लाख रुपये के वर्तमान ऋण और अग्रिमों के समायोजन न करने के संबंध में स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के नोट नंबर 59 पर ध्यान आकर्षित करते हैं।

मुख्य लेखा परीक्षा मामले

बेसिस फॉर क्वालीफाइड ओपिनियन सेक्शन में वर्णित मामले को छोड़कर, हमने निर्धारित किया है कि हमारी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले कोई अन्य प्रमुख ऑडिट मामले नहीं हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी के निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य जानकारी में निदेशक की रिपोर्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, व्यवसाय जिम्मेदारी रिपोर्ट और प्रबंधन चर्चा और वार्षिक रिपोर्ट का विश्लेषण शामिल है, लेकिन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उस पर हमारी रिपोर्ट शामिल नहीं है। निदेशक की रिपोर्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, व्यवसाय जिम्मेदारी रिपोर्ट और प्रबंधन चर्चा और वार्षिक रिपोर्ट का विश्लेषण इस लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करेंगे।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी ऊपर पहचानी गई अन्य जानकारी को पढ़ना है जब यह हमारे लिए उपलब्ध हो जाती है और ऐसा करने में, विचार करें कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों या हमारे ऑडिट के दौरान प्राप्त हमारे ज्ञान के साथ भौतिक रूप से असंगत है, या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

जब हम ऐसी अन्य सूचना पढ़ते हैं जब हमें उपलब्ध कराई जाती है और यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें कोई सामग्री गलत बयानी है, तो हमें इस मामले को उन लोगों तक पहुंचाना होगा जिन पर शासन का प्रभार है।

स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन और शासन के प्रभारी लोगों की जिम्मेदारियां

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) में इन स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है जो भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय प्रदर्शन, नकदी प्रवाह और इक्विटी और नकदी प्रवाह में परिवर्तन का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। इसमें अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एएस) को कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ संशोधित रूप में पढ़ा गया है।

इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल हैय उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोगय निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैंय और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक हैं जो एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और सामग्री गलत बयानी से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण।

स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है, जैसा कि लागू हो, चल रहे चिंता से संबंधित मामलों का खुलासा करना, कंपनी ने सितंबर, 2019 से परिचालन बंद कर दिया है, इसलिए प्रबंधन ने 31–03–2021 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल के निर्णय के अनुसार इन वित्तीय विवरणों को गैर–चालू चिंता के आधार पर तैयार किया है। निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।

स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के ऑडिट के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण समग्र रूप से सामग्री गलत बयानी से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन आश्वासन का एक उच्च स्तर है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार आयोजित एक ऑडिट हमेशा मौजूद होने पर एक भौतिक गलत बयानी का पता लगाएगा। गलत कथन धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें सामग्री माना जाता है, यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, उन्हें इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उम्मीद की जा सकती है।

एसए के अनुसार एक ऑडिट के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम यह भी करते है :

- स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत बयानी के जोखिमों की पहचान करें और उनका आकलन करें, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप एक भौतिक गलत बयानी का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप एक की तुलना में अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत प्रतिनिधित्व, या आंतरिक नियंत्रण का ओवरराइड शामिल हो सकता है।

- परिस्थितियों में उपयुक्त ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए ऑडिट से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) (आई) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।

- उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता और प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करें।

- लेखांकन के चल रहे चिंता के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और, प्राप्त ऑडिट साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चल रही चिंता के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण

पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो हमारी राय को संशोधित करने के लिए। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी एक सतत चिंता के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।

- प्रकटीकरण सहित स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का प्रतिनिधित्व इस तरह से करते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करता है।

हालांकि, कंपनी के वित्तीय विवरण, निदेशक मंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार नॉन–गोइंग कंसर्न के आधार पर तैयार किए गए हैं।

हम अन्य मामलों के अलावा, ऑडिट के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के बारे में शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी शामिल है जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

हम उन लोगों को भी एक बयान प्रदान करते हैं जो शासन के प्रभारी हैं कि हमने स्वतंत्रता के बारे में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ उन सभी संबंधों और अन्य मामलों को संवाद करने के लिए जो यथोचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए सोचा जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय।

शासन के प्रभारी लोगों के साथ सूचित किए गए मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए योग्य राय पैरा के आधार पर रिपोर्ट किए जाते हैं और मामले पैरा पर जोर देते हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों से यथोचित रूप से इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित लाभों से अधिक होने की उम्मीद की जाएगी।

अन्य मामले

क. हमने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अर्थात टी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की। जिसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के दिनांक 28–03–2003 के आदेश द्वारा राज्य व्यापार निगम से अलग कर दिया गया था और जिसका वित्तीय विवरण स्थापना के समय से प्रबंधन के पास उपलब्ध नहीं था और उसमें निवेश एक रुपये दिखाया गया है (स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का नोट 37 सी देखें) सहायक कंपनी के रिकॉर्ड के अभाव में, इंड एएस के तहत लेखा परीक्षा करने के लिए खातों का कोई समेकन उपलब्ध नहीं कराया गया था।

ख. कंपनी ने अपनी खाता पुस्तकों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं किया है, जिसमें कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 (जी) के तहत आवश्यक पूरे वर्ष में ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादित करें) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा नहीं थी

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (11) के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (आदेश) द्वारा आवश्यक रूप से और कंपनी के बही–खातों और रिकॉर्ड की ऐसी जांच के आधार पर जैसा कि हमने उचित समझा और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम "अनुबंध–ए" में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर लागू सीमा तक एक विवरण देते हैं।

जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा आवश्यक है, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

1. हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों की मांग की है और प्राप्त की है जो हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारे ऑडिट के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे, सिवाय इसके कि योग्य राय पैराग्राफ के लिए आधार में वर्णित मामला है।

2. बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ में वर्णित मामले को छोड़कर, हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून द्वारा आवश्यक उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, जहां तक कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता हैय

3. बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए नकदी प्रवाह का विवरण लेखा पुस्तकों के साथ सहमति में हैं।

4. उपर्युक्त योग्य राय पैराग्राफ के आधार और मामलों पर जोर देने वाले पैराग्राफ में वर्णित मामलों से उत्पन्न प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों ("इंड एएस") का अनुपालन करते हैं, जिसे कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के नियम 3 और 4 के साथ पढ़ा जाता है। 2015, जैसा कि संशोधित किया गया है।

5. योग्य राय पैराग्राफ के आधार में वर्णित चल रहे चिंता के मामलों और ऊपर दिए गए मामले पैराग्राफ पर जोर, हमारी राय में, कंपनी के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

6. एक सरकारी कंपनी होने के नाते, अधिसूचना सं 2008 के अनुसरण में। कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 5 जून, 2015 को जारी जीएसआर 463 (ई) में निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उपधारा (2) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है।

7. कंपनी के वित्तीय विवरणों और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संबंध में, अनुबंध – बी में हमारी अलग रिपोर्ट देखें, और

8. कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार :

I. कंपनी ने लंबित मुकदमों को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया है – नोट 33(b) को स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में देखें, इसकी वित्तीय स्थिति पर और इसकी वित्तीय स्थिति में इसका प्रभाव अज्ञात है क्योंकि मामले न्यायाधीन हैं।

ii. कंपनी ने डेरिवेटिव संविदाओं सहित दीर्घावधि संविदाओं पर होने वाली संभावित हानियों, यदि कोई हो, के लिए लागू कानून अथवा भारतीय लेखा मानकों के अंतर्गत यथाअपेक्षित प्रावधान किया है।

iii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में कोई राशि हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं है।

iv. क) प्रबंधन ने हमें बताया है कि, अपने ज्ञान और विश्वास के अनुसार, स्टैंडअलोन इंड एएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के खातों में बताए गए नोटों के अलावा, कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या संस्थाओं में कोई भी धन (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर सामग्री है) को उन्नत या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार के धन से)। विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थों") सहित, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी ("अंतिम लाभार्थियों") द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह प्रदान करेगा।

ख) प्रबंधन ने हमें बताया है कि, उनके ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसा कि स्टैंडअलोन इंड एएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के खातों में नोटों में खुलासा किया गया है, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं (फंडिंग पार्टियों) सहित किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से कोई धन (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर सामग्री है) प्राप्त नहीं किया गया है। चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह प्रदान करेगी, और

ग) ऐसी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें हमारे द्वारा निष्पादित परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया था, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि उप–खंड (ए) और (बी) के तहत अभ्यावेदन में कोई सामग्री गलत बयानी है।

v. वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया है।

vi. कंपनी ने अपने बही–खातों के रख–रखाव के लिए ऐसे लेखा सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं किया है जो ऑडिट ट्रेल सुविधा को रिकॉर्ड कर सके और इस प्रकार ऑडिट ट्रेल की सुविधा के साथ छेड़छाड़ के प्रश्न पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

2. जैसा कि कंपनी अधिनियम की धारा 143 (5) के तहत जारी उप–निर्देशों के माध्यम से भारत के सी एंड एजी द्वारा आवश्यक है, हम संलग्न "अनुलग्नक–सी" में अपनी रिपोर्ट देते हैं।

पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 001049 सी

हस्ता/–
आशीष कुमार गुप्ता
पार्टनर
सदस्यता संख्या 077178
यूडीआईएन : 24077178BKAPSK7475

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10/09/2024

पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
कार्यालय क्रमांक 214, चाण्क्या कॉम्प्लेक्स
बी,10 –11 Opp. | स्तंभ संख्या 43
लक्ष्मीनगर
नई दिल्ली–110092
ई–मेल : pdco1950@gmail-com

टेलीफैक्स 011-42828005
मोबाइल न0. +91 9415175421
मोबाइल न0. +91 9792103583

"अनुलग्नक–ए"

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का हिस्सा बनना

(अनुलग्नक–ए को हमारी रिपोर्ट की "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" शीर्षक के तहत पैराग्राफ 1 में संदर्भित किया गया है)

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :

i. मूर्त और अमूर्त संपत्ति का विवरण

क. क. कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अपेक्षित मात्रात्मक विवरण और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अब, 'बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति' के रूप में वर्गीकृत) की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाने वाले कंपनी के उचित रिकॉर्ड को अपडेट करने की प्रक्रिया चल रही है। कंपनी फिक्स्ड एसेट रजिस्टर में वित्तीय वर्ष के अंत में रखे गए पीपीई का मात्रात्मक विवरण रख रही है। तथापि, वर्ष के दौरान शेष राशि खोलने, परिवर्धन / विलोपन तथा समापन शेष राशि के संबंध में कोई ब्यौरा इसमें शामिल नहीं किया गया है।

ख. कंपनी ने बही–खातों में अमूर्त परिसंपत्तियों के मूल्य को बट्टे खाते में डाल दिया है। अमूर्त परिसंपत्तियों के पूर्ण विवरण दिखाने वाले कोई रिकॉर्ड नहीं रखे जाते हैं।

ख. कंपनी का दिल्ली स्थित कार्यालय और गोदाम में पड़ी अचल संपत्तियों की मदों का भौतिक सत्यापन करने का एक कार्यक्रम है। दोनों स्थानों के लिए भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। प्रोग्रामर के अनुसरण में, वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का भौतिक रूप से सत्यापन किया गया है और इस तरह के सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गई हैं।

ग. अचल संपत्ति के मालिकाना हक के दस्तावेज दिल्ली और मुंबई के मूल दस्तावेजों और चेन्नई संपत्ति के डुप्लिकेट मूल शीर्षक विलेखों के आधार पर कंपनी के नाम पर रखे जाते हैं।

घ. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अब "निपटान के लिए रखी गई संपत्ति" के रूप में वर्गीकृत) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। हालांकि, कंपनी ने वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान अपनी चल संपत्तियों (मूल्यांकन 3,57,294 रुपये है) की मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त की है कि क्या पुनर्मूल्यांकन एक पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा मूल्यांकन पर आधारित हैय यदि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण या अमूर्त संपत्ति के प्रत्येक वर्ग के शुद्ध वहन मूल्य के कुल में परिवर्तन 10% या उससे अधिक है, तो परिवर्तन की मात्रा निर्दिष्ट करें।

ड़. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की जांच के आधार पर, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है और इसलिए इस पर हमारी टिप्पणी का सवाल नहीं है कि क्या कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में विवरणों का उचित खुलासा किया है।

ii. मालसूची और कार्यशील पूंजी का विवरण

क) प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी कोई व्यवसाय नहीं कर रही है। कंपनी के पास कोई इन्वेंट्री नहीं है, इसलिए आदेश का खंड 3 (ii) (ए) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के बही–खातों की जांच करने पर, कंपनी को वर्तमान परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की कोई कार्यशील पूंजी सीमा मंजूर नहीं की गई है। इसलिए ऐसे बैंकों के साथ तिमाही रिटर्न या स्टेटमेंट या स्टेटमेंट दाखिल करने का सवाल ही नहीं उठता। तदनुसार, आदेश का खंड 3 (ii) (बी) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

iii. किसी भी निवेश, किसी भी गारंटी या सुरक्षा या अग्रिम या दिए गए ऋण का विवरण

प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्षों को सुरक्षित या असुरक्षित ऋण की प्रकृति में कोई निवेश नहीं किया है, गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3 (iii) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

iv. निदेशकों को ऋण के संबंध में अनुपालन

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और हमारे द्वारा सत्यापित रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी ने धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

v. जमा राशियों की स्वीकृति

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने ऐसी कोई जमा या राशि स्वीकार नहीं की है जिसे अधिनियम की धारा 73, 74, 75 और 76 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अर्थ के भीतर जमा माना जाता है।

vi. लागत रिकॉर्ड का रखरखाव

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अधिनियम की धारा 148 (1) के तहत कंपनी के लिए केंद्र सरकार द्वारा लागत रिकॉर्ड का रखरखाव निर्धारित नहीं किया गया है। तदनुसार आदेश का खंड 3 (vi) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

vii. अविवादित और विवादित वैधानिक बकाया

क. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, भविष्य निधि, आयकर, वस्तु एवं सेवा कर, बिक्री कर, सेवा कर, मूल्य वर्धित कर, सीमा शुल्क, उपकर और अन्य सामग्री सांविधिक देय राशियों सहित अविवादित सांविधिक देय राशियों के संबंध में लेखा बही–खातों में कटती/अर्जित की गई राशि सामान्यत या कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान उपयुक्त प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा की गई है। जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी के पास कर्मचारियों के राज्य बीमा के कारण कोई बकाया नहीं है।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भविष्य निधि, आयकर, माल और सेवा कर, बिक्री कर, सेवा कर, मूल्य वर्धित कर, सीमा शुल्क, उपकर और अन्य सामग्री वैधानिक बकाया के संबंध में देय कोई भी अविवादित राशि 31 मार्च 2024 तक बकाया नहीं थी।

ख. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, विवादों के कारण कंपनी द्वारा जमा नहीं किए गए आयकर की स्थिति, सीमा शुल्क, सेवा कर, वैट और बिक्री कर निम्नानुसार हैं :

क्रं. सं.	संविधि का नाम	देय राशियों की प्रकृति	वह अवधि जिससे राशि संबंधित है	मंच जहां विवाद लंबित है	राशि (करोड़ रुपये में))	कर प्राधिकारियों द्वारा जमाधविरोध के अधीन /समायोजित की गई राशि (करोड़ रुपए में))	जमा नहीं की गई राशि (करोड़ रुपये में))
1	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	2008–09	सीआईटी (अपील), दिल्ली	2	शून्य	2
2	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	2012–13	आईटीएटी, दिल्ली	52	-	52

3	सीमा शुल्क अधिनियम, 1962	सीमा शुल्क (जुर्माना)	2002–05	केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय, सूरत	19	-	19
4	सीमा शुल्क अधिनियम, 1962	सीमा शुल्क	2009–10	सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय, मुंबई	7	-	7
5	सीमा शुल्क अधिनियम, 1962	सीमा शुल्क (जुर्माना)	2012–13	सीईएसटीएटी, अहमदाबाद	625	-	625
6	सीमा शुल्क अधिनियम, 1962	सीमा शुल्क (जुर्माना))	2012–13	सीईएसटीएटी, अहमदाबाद	300	-	300
7	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	2006–07 से 2010–11	सीईएसटीएटी, दिल्ली	753	56	697
8	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	बिक्री कर (कर और जुर्माना)	2000–01	मद्रास उच्च न्यायालय	348	-	348
9	महाराष्ट्र बिक्री कर	बिक्री कर (कर और जुर्माना)	2002–03	बिक्री कर विभाग मुंबई	1136	-	1136
10	महाराष्ट्र बिक्री कर	बिक्री कर (कर और जुर्माना)	2003–04	बिक्री कर विभाग मुंबई	375	-	375
11	दिल्ली वैट	वैट (कर और जुर्माना)	2013–14	दिल्ली वैट	2788	-	2788
12	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	2017–18	सीआईटी (अपील), दिल्ली ने आदेश सं 2008–09 के माध्यम से आईटीबीए/एएसटी/एस/143(3)/2019–20/1023210 186(1) दिनांकित 27.12.2019	722	-	722
13	आंध्र प्रदेश वैट	वैट (कर और जुर्माना)	2016–17	बिक्री कर विभाग आंध्र प्रदेश द्वारा टिन : 37180129845/2016–17 (सीएसटी) दिनांक 21.07. 2022	7	-	7
14	दिल्ली वैट	वैट	2016–17	बिक्री कर विभाग द्वारा दिनांक 04.03.2021 के आदेश सं. 150083704517 द्वारा	1438	-	1438
15	सेवा कर	सेवा कर	2016-17 & 2017-18(Q1)	सेवा कर विभाग ने मांग सह कारण बताओ नोटिस सं 2008	75		75
16	कस्टम अधिनियम	कस्टम अधिनियम	2015–16	सीएसएसटी, मुंबई	132	-	132
17	आयकर	आयकर	2011–12	सीआईटी (अपील)	55	-	55
18	**जीएसटी**				586		586
	कुल				**9420**	**56**	**9364**

* आकस्मिक के रूप में दर्शाई गई सांविधिक देनदारियों के लिए नोट संख्या 33 देखें।

viii. अनभिलिखित आय

कंपनी के पास ऐसे बही–खातों में दर्ज किए जाने वाले किसी लेन–देन को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या प्रकट किया गया है।

ix. उधारों के पुनर्भुगतान में चूक

(क) हमारे द्वारा जांचे गए कंपनी के रिकॉर्ड और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान ऋण या अन्य उधारों के पुनर्भुगतान या किसी भी ऋणदाता को ब्याज के भुगतान में चूक की है।

क्रं. सं.	ऋण प्रतिभूतियों सहित उधार की प्रकृति	ऋणदाता का नाम	31–03–2024 तक अवैतनिक राशि (लाख रुपये में)	मूल राशि (लाख रुपये में)	ब्याज (लाख रुपये में)	एन पी ए की तारीख	देरी या अवैतनिक दिनों की संख्या (31–03–2024 तक)
1	नकद क्रेडिट खाता	बैंक ऑफ बड़ौदा (पहले विजया बैंक)	44861	27826	17035	17-03-2019	1841
2	अल्पावधि ऋण	केनरा बैंक (पहले सिंडिकेट बैंक)	140544	62586	77958	17-09-2018	2022
3	नकद क्रेडिट खाता	पंजाब नेशनल बैंक (पहले यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया)	14954	10218	4736	30-09-2018	2009
4	नकद क्रेडिट खाता	पंजाब नेशनल बैंक	61959	38371	23588	30-03-2019	1828
		कुल	**262318**	**139001**	**123317**		

स्टैंडअलोन इंड बैंक के वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी 20 के अनुसार, लेखा पुस्तकों के अनुसार कंपनी की उधारी 246261.07 लाख रुपये है। बही–खातों के अनुसार बकाया राशि और उधार के बीच 16056.93 लाख रुपये के अंतर के लिए कृपया हमारी रिपोर्ट के 'मामले के पैराग्राफ पर जोर' खंड के बिंदु III को देखें।

* बैंक ऑफ बड़ौदा (पहले विजया बैंक) ने 16056.89 लाख रुपये का ब्याज नहीं लिया है और इसे 31–03–2024 तक बैंकिंग देयता के रूप में वार्षिक खातों की अनुसूची 23 में दिखाया गया है।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।

हालांकि, कंपनी चालू खाता बनाए हुए है और आईडीबीआई बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के साथ 5693.07 लाख रुपये (31–03–2024 तक नोट 12 देखें) की बैंक जमा है, जो ऋणदाता बैंक नहीं हैं।

(ख) हमारी राय में, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सावधि ऋण ों को समग्र आधार पर, उन उद्देश्यों के लिए लागू किया गया है जिनके लिए उन्हें प्राप्त किया गया था। चूंकि कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है, इसलिए आदेश का खंड 3 (xi) (ग) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण, और हमारे द्वारा की गई प्रक्रियाओं के अनुसार, और कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई धन नहीं उठाया है। इसलिए आदेश का खंड 3 (xi) (घ) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई धन नहीं लिया है।

(ड़) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा की गई प्रक्रियाओं के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी गई प्रतिभूतियों की प्रतिज्ञा पर वर्ष के दौरान ऋण नहीं उठाया है।

x. सार्वजनिक निर्गम की आय (ऋण लिखतों सहित) / अधिमान्य निर्गम

क. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा सत्यापित रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी ने प्रारंभिक / आगे सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से वर्ष के दौरान कोई पैसा नहीं जुटाया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (ग)(क) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती हैं।

ख. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह से, आंशिक रूप से, या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (x) (ख) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

xi. धोखाधड़ी और व्हिसल ब्लोअर की शिकायतें

क. भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा परीक्षा प्रथाओं के अनुसार किए गए कंपनी के बही–खातों और अभिलेखों की हमारी जांच के दौरान, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमें न तो कंपनी द्वारा या कंपनी पर सामग्री धोखाधड़ी का कोई उदाहरण मिला है, जिसे वर्ष के दौरान देखा या रिपोर्ट किया गया है। न ही हमें प्रबंधन द्वारा ऐसे किसी मामले के बारे में सूचित किया गया है।

ख. भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा परीक्षा प्रथाओं के अनुसार किए गए कंपनी के बही–खातों और अभिलेखों की हमारी जांच के दौरान, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियमों के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी –4 में अधिनियम की धारा 143 (12) के तहत एक रिपोर्ट, 2014 को केंद्र सरकार के पास दाखिल करने की आवश्यकता नहीं थी। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xi) (ख) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

ग. वर्ष के दौरान कंपनी को व्हिसलब्लोअर की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

xii. निधि कंपनियां

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी निधि कंपनी नहीं है और इसलिए, निधि नियम 2014 के तहत निर्धारित मानदंड कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। आदेश के खंड 3 (xii) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

xiii. संबंधित पक्ष लेनदेन

हमारे सत्यापन के दौरान दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुसार संबंधित पक्षों के साथ कोई लेनदेन नहीं हुआ था, सिवाय इसके कि कंपनी द्वारा नोट नंबर 37 में रिपोर्ट किया गया था।

xiv. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली

क) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी कोई व्यवसाय नहीं कर रही है और वर्ष के दौरान आंतरिक लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए एक बाहरी सीए फर्म नियुक्त की है।

ख) हमने आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट पढ़ी है और स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में आंतरिक लेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर विचार किया है।.

xv. निदेशकों के साथ गैर–नकद लेनदेन

हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान, कंपनी ने अधिनियम की धारा 192 के दायरे में निदेशकों या निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए आदेश का खंड 3 (xv.) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

xvi. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के 45–आईए का प्रावधान

(क) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xvi)(क) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ख) कंपनी ने वर्ष के दौरान गैर–बैंकिंग वित्तीय/ आवास वित्त गतिविधियों का संचालन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xvi) (ख) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ग) कंपनी एक कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xvi) (ग) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(घ) कंपनी के प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, समूह के हिस्से के रूप में सीआईसी नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xvi) (घ) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

xvii. नकद हानि

कंपनी को वित्तीय वर्ष में 17901 लाख रुपये और वित्तीय वर्ष के ठीक पहले के वर्ष में 14284 लाख रुपये का नकद घाटा हुआ है।

xviii. सांविधिक लेखा परीक्षकों का त्यागपत्र

कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति प्रत्येक वर्ष भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। वर्ष के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं आया है और तदनुसार आदेश के खंड 3(**xviii**) के अंतर्गत दी गई सूचना कंपनी पर लागू नहीं होती है।

xix. देनदारियों को पूरा करने पर भौतिक अनिश्चितता

वित्तीय अनुपात, उम्र बढ़ने और वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारे ज्ञान और धारणा का समर्थन करने वाले सबूतों की हमारी जांच के आधार पर, हमने देखा है कि चूंकि कंपनी ने अपने व्यावसायिक संचालन को बंद कर दिया है और नॉन–गोइंग कंसर्न के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किए हैं, लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख के अनुसार सामग्री अनिश्चितता मौजूद है। ट्रेड प्राप्तियों के संबंध में कई कानूनी मामले हैं और 31–03–2024 को बैंक से 2,46,261.07 लाख रुपये की उधारियां (नोट 20 के अनुसार आंकड़ा) जो लंबे समय से एनपीए बन गई थीं, यह इंगित करती हैं कि कंपनी बैलेंस शीट की तारीख पर अपनी मौजूदा देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, जब भी वे बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय हो जाते हैं।

xx. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट निधि में अंतरण

चूंकि कंपनी को भारी संचित घाटा हुआ है और यह चिंता का विषय नहीं है, इसलिए उसे सीएसआर की कोई राशि खर्च करने की आवश्यकता नहीं है और किसी भी राशि को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि में

स्थानांतरित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए आदेश के खंड 3 (xx) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

xxi. आदेश के खंड 3(xxi) के तहत रिपोर्टिंग स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के संबंध में लागू नहीं है। तदनुसार, उक्त खंड के संबंध में कोई टिप्पणी इस रिपोर्ट में शामिल नहीं की गई है।

पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 001049 सी

हस्ता/–
आशीष कुमार गुप्ता
पार्टनर
सदस्यता संख्या 077468
यूडीआईएन : 24077178BKAPSK7475

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10/09/2024

पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
कार्यालय क्रमांक 214, चाण्क्या कॉम्प्लेक्स
बी,10 –11 Opp. । स्तंभ संख्या 43
लक्ष्मीनगर
नई दिल्ली–110092
ई–मेल : pdco1950@gmail-com

टेलीफैक्स 011-42828005
मोबाइल न0. +91 9415175421
मोबाइल न0. +91 9792103583

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक – (बी)

(31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए पीईसी लिमिटेड के स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर सम तिथि की स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के तहत पैराग्राफ 1 के बिंदु संख्या 7 में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट (अधिनियम)

हमने 31 मार्च, 2024 तक 'पीईसी लिमिटेड' ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है, जो उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ संयोजन है।

प्रबंधन की जिम्मेदारियां और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए शासन के साथ प्रभारी।

कंपनी का प्रबंधन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों के पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक है।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे ऑडिट के आधार पर इन स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट (मार्गदर्शन नोट) और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा पर मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर लागू सीमा तक और दोनों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और योजना बनाएं और ऑडिट करें ताकि इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि क्या इन स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

एक ऑडिट में इन स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे ऑडिट में इन स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त ऑडिट साक्ष्य इन स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी योग्य ऑडिट राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

इन स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

इन स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इन स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो :

1. रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित जो, उचित विस्तार से, कंपनी की संपत्ति के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं।

2. उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन को आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है, और यह कि कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं। और

3. कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करें जो स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डाल सकते हैं।

इन स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

इन स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री गलत विवरण हो सकते हैं और इसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकती है।

तात्विक कमजोरी

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे ऑडिट के आधार पर, 31 मार्च, 2024 तक निम्नलिखित भौतिक कमजोरियों की पहचान की गई है :

1. कोई उचित फाइलिंग प्रणाली नहीं;

2. देय व्यापार शेष की पुष्टि प्राप्त न करना और उसका मिलान करना;

3. कोई प्रलेखित नीति नहीं

   क. देनदारों, सहयोगियों के खिलाफ बकाया और अग्रिमों की वसूली के लिए कानूनी मामले दायर करने के लिए;

   ख. ऋणों/अग्रिमों/दावों को बट्टे खाते में डालने के लिए;

4. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा–22 के तहत सूचना का रखरखाव न करना, जो दंडात्मक प्रावधानों को आकर्षित करता है;

5. निदेशकों के संबंध में फॉर्म एमबीपी–4 में रजिस्टर का रखरखाव न करना;

6. बही–खातों के साथ जीएसटी इनपुट का मिलान लंबित है।

7. बोर्ड की बैठक और स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन न करना।

8. आयकर प्रावधान का समाधान लंबित है;

9. कंपनी ऑडिट ट्रेल का रखरखाव नहीं कर रही है जो 1 अप्रैल 2023 से अनिवार्य हो गया है।

10. आयकर विभाग द्वारा उठाए गए टीडीएस मांगों और कंपनी की पुस्तकों में टीडीएस देय लेजर में शेष राशि के बीच एक बड़ा अनसुलझा अंतर है।

एक "भौतिक कमजोरी" वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में एक कमी, या कमियों का एक संयोजन है, जैसे कि एक उचित संभावना है कि कंपनी के वार्षिक या अंतरिम वित्तीय विवरणों के एक भौतिक गलत विवरण को समय पर रोका या पता नहीं लगाया जाएगा।

योग्य राय

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और नियंत्रण मानदंडों के उद्देश्यों की उपलब्धि पर ऊपर वर्णित हमारे ऑडिट, भौतिक कमजोरी के आधार पर, कंपनी ने सभी भौतिक मामलों में, इन स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखा है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित है। इस तरह की भौतिक कमजोरी के परिणामस्वरूप वित्तीय प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सका है।

व्याख्यात्मक पैराग्राफ

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार, पीईसी लिमिटेड के स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों, जिसमें 31 मार्च, 2024 तक बैलेंस शीट शामिल है, और लाभ और हानि के संबंधित विवरण के अनुसार ऑडिट भी किया है। नकद प्रवाह विवरण और वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का बयान समाप्त हो गया, और महत्वपूर्ण गिनती नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश, और 10–09–2024 की हमारी रिपोर्ट ने एक योग्य राय व्यक्त की।

पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 001049 सी

हस्ता/–
आशीष कुमार गुप्ता
पार्टनर
सदस्यता संख्या 077178
यूडीआईएन : 24077178BKAPSK7475

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10/09/2024

पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
कार्यालय क्रमांक 214, चाण्क्या कॉम्प्लेक्स
बी,10 –11 Opp. | स्तंभ संख्या 43
लक्ष्मीनगर
नई दिल्ली–110092
ई–मेल : pdco1950@gmail-com

टेलीफैक्स 011-42828005
मोबाइल न0. +91 9415175421
मोबाइल न0. +91 9792103583

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक – (सी)

(31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए पीईसी लिमिटेड के स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर सम तिथि की स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के पैराग्राफ 2 में संदर्भित) वर्ष 2023–24 के लिए पीईसी लिमिटेड के वार्षिक खातों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देश और उप–निर्देश।

क्रं. सं.	दिशा–निर्देश / उपदिशा–निर्देश	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रियाएँ	जिस पर प्रबंधन द्वारा कार्रवाई करनी है	स्टैंडअलोन इंडस्ट्रीज एएस वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
क	<u>दिशा–निर्देश</u>			
1	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखा लेनदेन के प्रसंस्करण के प्रभावों के साथ–साथ वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हों, बताए जा सकते हैं।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार 1. कंपनी के लेखांकन लेनदेन "टैली ईआरपी 9" सॉफ्टवेयर में दर्ज किए जाते हैं जिसमें शाखाओं के साथ–साथ प्रधान कार्यालय को एक दूसरे के साथ एकीकृत किया जाता है। 2. कंपनी पेरोल सॉफ्टवेयर का रखरखाव कर रही है लेकिन यह लेखांकन सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत नहीं है। कंपनी प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस), और लीव मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) को बनाए नहीं रख रही है, जिसके परिणामस्वरूप वे एक–दूसरे के साथ–साथ लेखांकन सॉफ्टवेयर के साथ इंटरफेस नहीं कर रहे हैं।	किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है	कोई प्रभाव नहीं
2	क्या मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋण / ऋण / ब्याज आदि की छूट / बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव के बारे में बताया जा सकता है। क्या ऐसे मामलों का सही हिसाब रखा जाता है ? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन या ऋण / ऋण / ब्याज आदि की माफी / बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है। इसके अलावा कंपनी उन बैंकों के बकाए के लिए "एकमुश्त निपटान" (ओटीएस) के लिए ऋणदाता बैंकों के साथ चर्चा कर रही थी, जिसके लिए कंपनी लगातार डिफॉल्ट में है। हालाँकि ओटीएस अमल में नहीं आ सका, केनरा बैंक (पहले सिंडिकेट बैंक) ने डीआरटी (पी) नियम 1993 में मामला दायर किया है, मामला 09–05–2022 को स्वीकार किया गया है।	किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है	कोई प्रभाव नहीं

3	(केन्द्रीय/राज्य अभिकरणों से विशिष्ट योजनाओं के लिए क्या धन प्राप्त हुआ है/प्राप्य है कि क्या इसकी शर्तों के अनुसार समुचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था ? विचलन के मामलों को सूचीबद्ध करें।	केन्द्रीय/राज्य अभिकरणों से विशिष्ट नामांकन के लिए क्या धन प्राप्त हुआ ह/प्राप्य है कि इसके पुस्तकालय के स्वामित्व के रूप में क्या लेखांकन/उपयोग किया गया है ? विभूतियों के मामलों को सूचीबद्ध करें।	किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है	कोई प्रभाव नहीं
B	उपदिशाएँ			
	शून्य			

पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 001049 सी

हस्ता/–
आशीष कुमार गुप्ता
पार्टनर
सदस्यता संख्या 077178
यूडीआईएन : 24077178BKAPSK7475

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10/09/2024

वित्त वर्ष 2023–24 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर प्रबंधन का उत्तर

क्र.सं.	प्रबंधन के उत्तर
1.	कंपनी द्वारा धारित परिसंपत्तियों को मोटे तौर पर दो मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात 31.03.2023 की मूल्यांकन रिपोर्ट में अचल जिसमें मूल्यांकन योग्य मूल्य रु. 4.00 लाख पर पहुंच गया था, हालांकि इसे पुस्तकों में ले जाने वाले मूल्य यानी रु. 1.00 लाख में दिखाया गया है। उपर्युक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हमने वहन लागत पर परिसंपत्तियां दर्शाई हैं जो एनआरवी से काफी कम है। तदनुसार, हमने आईएनडी एएस 105 की आवश्यकता का अनुपालन किया है, जिसमें बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति को वहन राशि से कम या बेचने के लिए उचित मूल्य कम लागत पर दिखाया जाना है। चूंकि अवलोकन अचल संपत्तियों के संबंध में है जिसमें भूमि और भवन शामिल हैं, कंपनी ने 08.07.2021 की मूल्यांकन रिपोर्ट पर भरोसा किया है, जिसमें निर्धारण योग्य मूल्य 2000 लाख रुपये पर पहुंचा था, हालांकि इसे पुस्तकों में ले जाने वाले मूल्य यानी 1.00 लाख रुपये पर दिखाया गया है। उपर्युक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हमने वहन लागत पर परिसंपत्तियां दिखाई हैं जो एनआरवी से काफी कम है। तदनुसार, हमने आईएनडी एएस 105 की आवश्यकता का अनुपालन किया है, जिसमें बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति को बेचने के लिए उचित मूल्य कम लागत की वहन राशि से कम पर दिखाया जाना है।
2	कंपनी ने व्यापार संचालन बंद कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी का कारोबार शून्य हो गया है। जीएसटी पोर्टल और लेखा पुस्तकों पर आईटीसी का मिलान चालू वर्ष में किया जाएगा।
3	3882.74 लाख रुपये की राशि वाले देनदारों को सहयोगियों के संबंध में समझौते के अनुसार बैक टू बैक आधार पर कवर किया जाता है। नीचे दिए गए व्यापक शब्दों वाले विशिष्ट खंड के साथ : "पीईसी ट्रेडिंग मार्जिन, करों और आपूर्तिकर्ता की ओर से पीईसी द्वारा किए गए किसी भी अन्य खर्च को काटने के बाद खरीदार से भुगतान प्राप्त होने के बाद पीईसी द्वारा आपूर्ति का भुगतान किया जाएगा।" इसके अलावा, जैसा कि बताया गया है कि 3 साल से अधिक समय से बकाया 3882.74 लाख रुपये की राशि, पर कंपनी को कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है और कोई जोखिम परिकल्पित नहीं है क्योंकि वे बैक टू बैक व्यवस्था के तहत कवर किए गए हैं।

	महत्वपूर्ण मामले
I	कंपनी ने खाते के नोट संख्या 33 पर उचित प्रकटीकरण दिया है
II	पीईसी लिमिटेड के बोर्ड ने पहले ही वीआरएस के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इसे 13–04–2022 को वाणिज्य मंत्रालय को भेज दिया गया था। वीआरएस का प्रस्ताव अनुमोदन के लिए वाणिज्य मंत्रालय के पास लंबित है।
III	कंपनी उद्योग मंत्रालय के निदेशानुसार उचित विधिक फोरम में कंपनी के हितों की रक्षा के लिए मामला उठा रही है। इसके अलावा, बोर्ड के नियमानुसार एएसजी की नियुक्ति कर दी गई है।
IV	कंपनी वसूली के मामलों को उचित कानूनी मंचों पर आगे बढ़ा रही है और अधिकांश मामले न्यायाधीन हैं। जिनकी समीक्षा प्रबंधन द्वारा नियमित आधार पर की जाती है। न्यायाधीन मामले होने के कारण वसूली कार्यवाही के परिणामों पर निर्भर करती है।
V	कंपनी ने अकाउंटिंग पॉलिसी के अनुसार ब्याज बुक किया है और इस स्तर पर इसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।
VI	यह प्रश्न पिछले वर्षों से जारी है और कंपनी निम्नानुसार उत्तर दे रही है। प्रत्येक लेन–देन के पूरा होने पर सहयोगियों के साथ लेखाओं का निपटान किया जाता है और अंतर, यदि कोई हो, का मिलान किया जाता है। हानि के परिणामी समायोजन के लिए प्रावधान की परिकल्पना नहीं की गई है।
VII	इस संबंध में उचित प्रकटीकरण वित्त वर्ष 2023–24 के वित्तीय विवरण के नोट संख्या 36 पर नोट टू अकाउंट में दिया गया है।
VIII	उद्योग मंत्रालय के निर्देशानुसार, पीईसी अपने कर्मचारियों के लिए चिकित्सा लाभ योजनाओं की खोज, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण से प्रयासरत है। इसके अलावा, इस कॉर्पस को बनाने के लिए कंपनी के पास अपना फंड नहीं है।
IX	यह मुद्दा पिछले वर्षों से जारी है और कंपनी निम्नानुसार उत्तर दे रही है। छूट के लिए अनुमोदन पहले ही आरबीआई से अधिकृत डीलर के माध्यम से आवेदन कर चुका है क्योंकि विदेशी खरीदारों की परिसमापन प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है और अब और विदेशी मुद्रा की उम्मीद नहीं है।

X	इस संबंध में उचित खुलासा वित्त वर्ष 2023–24 के वित्तीय विवरण के नोट नंबर 59 पर खातों के नोट्स में दिया गया है।
XI	**तात्विक कमजोरी** वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय पीईसी को बंद करने पर विचार कर रहा है और निर्देशों के अनुसार पीईसी ने सितंबर 2019 से नए व्यवसाय को रोक दिया है, पीईसी जनशक्ति और व्यय को कम करने की प्रक्रिया में है। 31 मार्च 2024 तक पीईसी में 35 नियमित कर्मचारी हैं और इनमें से 09 अन्य संगठनों के साथ प्रतिनियुक्ति पर हैं। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए सर्वोत्तम प्रयास किए जा रह हैं। तथापि, लेखा परीक्षक के सुझावों की सराहना की जाती है और उन पर विचार किया जाता है। 1. कोई वित्तीय निहितार्थ नहीं है, हालांकि भविष्य के अनुपालन के लिए नोट किया गया है। 2. यह मुद्दा पिछले कई वर्षों से जारी है और कंपनी निम्नानुसार उत्तर दे रही है :– सहयोगियों के साथ खातों का निपटान प्रत्येक लेनदेन के पूरा होने पर किया जाता है और अंतिम निपटान से पहले मतभेदों को सुलझा लिया जाता है। हानियों के परिणामी समायोजन के प्रावधान की परिकल्पना नहीं की गई है। हालांकि, पीईसी ने सितंबर 2019 से कारोबार बंद कर दिया है। 3. (क और ख) पीईसी के हितों की रक्षा के लिए मामले के तथ्य और गुण–दोष के आधार पर ऐसा किया जाता है। 4. कंपनी ने खाते के नोट संख्या 36 पर उचित प्रकटीकरण दिया है। 5. वर्ष के दौरान दर्ज धारा 184 (2) या 188 में निर्धारित कोई संबंधित लेनदेन नहीं है, इसलिए धारा 189 के अनुपालन में, संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध के रजिस्टर में कोई प्रविष्टि नहीं की गई है। 6. इसकी समीक्षा वित्त वर्ष 2024–25 में की जा सकती है। 7. स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति उद्योग मंत्रालय द्वारा की जाती है और वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान कोई नामांकन प्राप्त नहीं हुआ है। 8. आयकर के कुछ मामले आईटी अपील में लंबित हैं इसलिए प्रावधान को आगे बढ़ाया जाता है। उसका मिलान किया जाएगा और मामले के निस्तारण पर आवश्यक समायोजन किया जाएगा। 9. कंपनी ने नोट्स टू अकाउंट्स के नोट 60 में उचित प्रकटीकरण दिया है। 10. टीडीएस रिटर्न में मतभेद संबंधित टीडीएस चालान के गैर–मैपिंग के कारण हैं क्योंकि लेखा पुस्तकों में कोई लंबित टीडीएस देयता नहीं है। तदनुसार, लंबित मिलान के प्रयास चालू वित्त वर्ष के दौरान किए जाएंगे।

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के खंड रिपोर्ट

भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान द्वारा जारी भारतीय लेखांकन मानक 108 के अनुसरण में

संलग्नक "क"

कंपनी के तीन प्राथमिक व्यवसाय खंड हैं अर्थात निर्यात, आयात और घरेलू हैं

(लाख रुपये में)

विवरण	निर्यातित माल		आयात		घरेलू		अनअलोकेटेड		समेकित	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
परिचालन से राजस्व										
बिक्री										
(भारत)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(विदेश में)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल राजस्व	-	-			-	-	-	-	-	-
सेगमेंट के परिणाम	-	-	-	-	-	-	(547.06)	(431.24)	(547.06)	(431.24)
अन्य परिचालन राजस्व	-		-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य आय	-		-	-	-	-	3.88	10.50	3.88	10.50
ब्याज व्यय	-	-	-	-	-	-	(33,330.01)	(27,386.36)	(33,330.01)	(27,386.36)
साधारण गतिविधियों से लाभ	-		-	-	-	-	(33,873.19)	(27,807.10)	(33,873.19)	(27,807.10)
असाधारण आइटम	-	-		-	-	-	(86.10)	502.65	(86.10)	502.65
कर व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
शुद्ध लाभ	-	-	-	-	-	-	(33,959.29)	(27,304.45)	(33,959.29)	(27,304.45)
								-		
अन्य जानकारी										
सेगमेंट की संपत्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अनाबंटित कॉर्पोरेट परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-	10,508.95	11,148.47	10,508.95	11,148.47
कुल संपत्ति	-	-	-	-	-	-	10,508.95	11,148.47	10,508.95	11,148.47
सेगमेंट देयता	-	-		-		-	-	-	-	-
अनावंटित कॉर्पोरेट दायित्व	-	-	-	-	-	-	10,508.95	11,148.47	10,508.95	11,148.47
कुल देनदारियां	-	-	-	-	-	-	10,508.95	11,148.47	10,508.95	11,148.47

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा,
उद्योग एवं कॉर्पोरेट कार्य
ए.जी.सी.आर. भवन, आई.पी. एस्टेट,
नई दिल्ली-110 002

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT,
INDUSTRY AND CORPORATE AFFAIRS
A.G.C.R. BUILDING I.P. ESTATE,
NEW DELHI-110 002

संख्या: एएमजी-I/15(14)/वार्षिक लेखा/
PEC (2023-24)/2024-25/264-265
दिनांक: 10 OCT 2024

सेवा में

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
पीईसी लिमिटेड,
एफ़ ब्लाक, तीसरा तल, फ्लैटेड फैक्ट्रीज काम्प्लेक्स,
झंडेवालान ज्वेलरी काम्प्लेक्स, रानी झाँसी रोड,
नई दिल्ली - 110 055

विषय: कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (b) के अंतर्गत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए पीईसी लिमिटेड के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदया,

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (b) के अंतर्गत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए पीईसी लिमिटेड के वार्षिक वित्तीय लेखों पर उपरोक्त विषय संबंधित संलगन पत्र अग्रेषित है।

भवदीया,

एस. ए. पंडा

(एस. आह्लादिनी पंडा)
महानिदेशक लेखा परीक्षा
(उद्योग एवं कारपोरेट कार्य)
नई दिल्ली

संलग्नक:- यथोपरि

दूरभाष / Phone : +91-11-23702357, फैक्स / Fax : +91-11-23702359, E-mail : pdaica@cag.gov.in

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF PEC LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2024

The preparation of financial statements of PEC Limited for the year ended 31 March 2024 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the Company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 10 September 2024.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India have decided not to conduct the supplementary audit of the financial statements of PEC Limited for the year ended 31 March 2024 under section 143(6)(a) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

(S. Ahlladini Panda)
Director General of Audit
(Industry & Corporate Affairs)
New Delhi

Place: New Delhi
Date: 10 OCT 2024

NOTES

NOTES

पीईसी लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

एफ ब्लॉक, तृतीय तल, फ्लैटिड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स
एफ एण्ड जी ब्लॉक, झण्डेवालान ज्वैलरी कॉम्प्लैक्स
रानी झासी रोड, नई दिल्ली–110055
ई–मेल : pec@peclimited.com | वेबसाइट : www.peclimited.com